राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06]   पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का पैंतीसवां दिवस   [संख्या: 17

मंगलवार,

16 मार्च 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। प्रशान्त बैरवा।

निवाई में कस्टोडियन भूमि के खातेदारी अधिकार

286. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) (श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई) के स्थान पर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के कितने गांवों में कस्टोडियन भूमि है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में कस्टोडियन भूमि के खातेदारी अधिकार देने में लागू डीएलसी दर में पचास प्रतिशत राशि को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ही कस्टोडियन भूमि होने से वहां के काश्तकार जो वर्षों से भूमि पर काबिज काश्त हैं, क्या उन्हें उक्त भूमि के बेचान व स्थानान्तरण में भारी कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो भूमि का नामांतरण होने तथा बेचान से सरकार को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में राजस्व की प्राप्ति को छोड़ते हुए, क्या सरकार शीघ्र ही डीएलसी दर की पचास प्रतिशत राशि को खतम कर किसानों को खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में कुल 6 गांवों में सिवाय चक कस्टोडियन भूमि है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(राजस्व मंत्री)

क्रम संख्या	**ग्राम का नाम**	**क्षेत्रफल बीघा में**
1	बनवाड़ा	475.02
2	निम्हेड़ा	48.12
3	डोडवाडी	40.05
4	बोरखंडी	1.13
5	जवाली	212.19
6	हाजीपुरा उर्फ इलाहीपुरा	19.18
	योग	**798.09**

(2) राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रांत कृषि भूमि का स्थायी आबंटन) नियम, 1963 के तहत निष्क्रांत संपत्ति के रूप में निष्क्रांत संपत्ति की व्यवस्था अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत घोषित कर दी गयी अथवा घोषित किया जाना मान लिया गया, की भूमियों पर गैर दावेदार विस्थापित अथवा किसी भी वर्ग के विस्थापित व्यक्ति का अस्थायी कब्जा हो, उनको सशर्त स्थायी आबंटन किया जाता है। उक्त नियम के नियम-6 में कतिपय भूमि का सार्वजनिक नीलामी एवं आबंटन किये जाने का प्रावधान है, जिसके उपनियम (4) में यह प्रावधान है कि निष्क्रांत कृषि भूमि जो राज्य सरकार में निहित की गयी है लेकिन अतिचारियों के रूप में अनधिकृत व्यक्तियों या उप अभिधारी के रूप में अवैध कब्जे में है, वहां 15 बीघा तक कब्जे की भूमिधारकों को सलाहकार समिति से परामर्श के उपरांत उपखंड अधिकारी द्वारा उस क्षेत्र में प्रचलित मूल्य का 50 प्रतिशत लिया जाकर एवं यदि ऐसी कब्जे की भूमि का क्षेत्रफल 15 बीघा से अधिक है तो उस क्षेत्र में प्रचलित पूर्ण बाजार मूल्य वसूल कर आबंटन किये जाने का प्रावधान है। यदि ऐसी अतिचारी SC/ST/BPL श्रेणी के व्यक्ति हैं तो उक्त निर्धारित कीमत का 50 प्रतिशत वसूल किया जाकर आबंटन किये जाने का प्रावधान है।

यदि उक्त श्रेणी के कब्जेधारी सीमांत एवं लघु कृषक हैं तो उन्हें उक्त निर्धारित राशि का 10 प्रतिशत, सीमांत एवं लघु कृषक SC/ST/BPL श्रेणी के व्यक्ति हैं तो उन्हें 5 प्रतिशत राशि लिया जाकर भूमि आबंटन किये जाने का प्रावधान है। नियमों में खातेदारी दिये जाने में उचित रियायत दी हुई है। अतः इसके अतिरिक्त रियायत दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(3) (i) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अंतर्गत तहसील निवाई क्षेत्र में कस्टोडियन भूमि की सूचना शून्य है।

(राजस्व मंत्री)

(ii) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अंतर्गत तहसील पीपलू क्षेत्र में स्थित कस्टोडियन भूमि कब्जेधारियों द्वारा किसी दस्तावेज़ के आधार पर क्रय नहीं की गयी है। राजस्थान भू-राजस्व (निष्क्रांत कृषि भूमि का स्थायी आबंटन) नियम, 1963 के तहत खातेदारी हेतु कार्यालय उपखंड अधिकारी, पीपलू में कोई दावा लम्बित नहीं है। किसी कब्जेधारी/किसान को कस्टोडियन भूमि का आबंटन नहीं हुआ है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि पर कब्जेधारियों की हैसियत अतिक्रमियों की है, जिनके विरुद्ध नियमानुसार धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है। कस्टोडियन भूमि की कब्जेधारी उक्त भूमि का आबंटन/विक्रय नहीं होने से खातेदारी की पात्रता खातेदारी अधिकार दिये जाने के पात्र नहीं हैं। खातेदारी अधिकार के अभाव में कब्जेधारी पर नियमानुसार उक्त भूमि का बेचान व हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं।

(iii) उक्तानुसार प्रश्न के प्रथम भाग की सूचना शून्य है।

(iv) विद्यमान नियमों में कस्टोडियन भूमि पर काबिज व्यक्तियों को खातेदारी दिये जाने के लिए रियायत दी हुई है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सैकड़ों वर्षों से खेती कर रहे हैं, उन्हें खातेदारी कैंप लगाकर कब तक देंगे? न ही इन्हें कृषि कार्ड से लोन मिल सकता है, तो कब तक कैम्प लगाकर खातेदारी देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, कस्टोडियन खेती के बारे में पूछें। कस्टोडियन जमीन के बारे में प्रश्न है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कस्टोडियन का ही है, साहब। केवल यहां का ही मैटर नहीं है, सब जगह है। पीपलू का है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बैठें। निवाई में कस्टोडियन की कोई जमीन नहीं है। कृपया प्रश्न पूछें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पीपलू गांव में रामनिवास और धूड़ाराम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कस्टोडियन भूमि है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप बैठें। विधान सभा क्षेत्र निवाई के अंतर्गत तहसील निवाई क्षेत्र में कस्टोडियन भूमि की सूचना शून्य है। आप बैठें।

अगला प्रश्न। श्री राजकुमार रोत।

चौरासी में मां-बाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण

287. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कितने मां-बाड़ी केन्द्र भवन बनने शेष हैं व कितनों के कार्य प्रगति पर हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मां-बाड़ी केन्द्रों के भवनों के निर्माण का कार्य ग्राम विकास समिति के द्वारा न किया जाकर अन्य के द्वारा किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी गुणवत्ता की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त केन्द्र के भवन निर्माण में कितनी राशि स्वीकृत की जाती है व उक्त में क्या-क्या कार्य सम्मिलित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में 23 मां-बाड़ी केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 39 भवन रहित मां-बाड़ी केन्द्रों का स्वीकृति के अभाव में निर्माण बकाया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मां-बाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य सम्बन्धित ग्राम विकास समिति के माध्यम से ही करवाया जाकर भुगतान ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाता है। मां-बाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच तकनीकी कार्मिकों द्वारा समय-समय पर की जाती है।

(3) मां-बाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण में प्रति मां-बाड़ी केन्द्र हेतु 6.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। मांबाड़ी केन्द्रों पर कराये जाने वाले कार्यों का तख़मीना परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 में जो 23 मां-बाड़ी भवनों की वित्तीय स्वीकृति हुई थी, इसके बारे में उत्तर में यह बताया गया है कि यह प्रगतिशील है। मेरा प्रश्न यह है कि 23 मां-बाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगतिशील है तो वह किस-किस स्तर पर प्रगतिशील है? भवन निर्माण पूर्ण कराने की क्या कोई निश्चित अवधि है? यह मेरा प्रश्न है।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ग्राम विकास समिति काम कराती है और उसका एक साल का समय होता है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर में दिया गया है, मां-बाड़ियों के भवन जो वर्तमान में निर्माणाधीन हैं, मां-बाड़ी केंद्र फर्स्ट है, अहारीफला, वाणीयातालाब और सैकण्ड है, उपलाफलां। वर्तमान में स्थिति यह है कि इन मां-बाड़ी भवनों का काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है और इसकी स्वीकृति 06.03.2019 को हुई थी। मतलब निश्चित समयावधि है कि एक साल के अंदर इन मां-बाड़ी भवनों का निर्माण होना चाहिए, उनका कोई निर्माण नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से सवाल करना चाहूंगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या इन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी?

दूसरा उत्तर आया है कि मां-बाड़ी भवनों का जो निर्माण है, वह ग्राम विकास समिति द्वारा करवाया जाएगा, लेकिन वास्तव में ग्राम विकास समिति द्वारा कार्य नहीं किया जाता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): मेरा प्रश्न यह है कि इस इलाके में मां-बाड़ी केन्द्रों के निर्माण में जो भ्रष्टाचार हो रहा है और समयावधि पूर्ण होने पर कई मां-बाड़ी केन्द्रों के कार्य चालू नहीं हुए हैं तो कोई उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके इनकी जांच कराने की मंशा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न करें। माननीय मंत्री जी, मैं शार्ट कर देता हूं। 2018-19 में स्वीकृति हुई है 2021-22 आ गया है। एक साल में करनी है और ग्राम विकास समिति को करनी है। ग्राम विकास समिति यदि नहीं कराये तो भवन का कार्य पूरा कराने के लिए क्या व्यवस्था है?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादातर पंचायत द्वारा भूमि अलॉट नहीं होने की वजह से लंबित हुए हैं। उन्हें दिखाकर यदि ग्राम विकास समिति नहीं करती है तो हम उसको टेंडर प्रक्रिया से भी करा देंगे।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, मेरा यह सवाल है कि इन्होंने बताया कि मां-बाड़ियों का तकनीकी कार्मिकों द्वारा समय-समय पर भौतिक सत्यापन किया जाता है। डूंगरपुर जिले में कितने तकनीकी कर्मचारियों की पोस्ट है और कितने लोग कार्यरत हैं और कितनी बार इनका भौतिक सत्यापन हुआ?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की पीड़ा है, उसके अनुरूप मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर में जो मांबाड़ी देखने वाले टैक्निकल आदमी हैं, इंजीनियर हैं और वह समय-समय पर देखें। इसके अलावा भी आपके पास में कोई पर्टिकूलर जगह की कम्प्लेन्ट है तो उसको दिखवा कर जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। पुखराज जी।

भवन विहीन राजकीय महाविद्यालय

288. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय महाविद्यालय बावडी जिला जोधपुर सहित प्रदेश में कितने महाविद्यालय भवन विहीन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त भवन विहीन महाविद्यालयों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 में बजट प्रावधान कर भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) राजकीय महाविद्यालय बावडी सहित 136 राजकीय महाविद्यालय भवन विहीन हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 01 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने एवं आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए विभिन्न महाविद्यालयों में सुदृढ़ीकरण एवं भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। भवन निर्माण हेतु उपलब्ध बजट प्रावधानों के अनुसार भवन विहीन महाविद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य चरणबद्ध रूप से कराया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, पिछले तीन साल से 550 छात्र इस कॉलेज के अंदर अध्ययनरत हैं और प्राइमरी स्कूल के कमरों के अंदर विश्वविद्यालय चल रहा है, 550 लड़के हैं। उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। मैं चाहता हूं कि जब तक बजट का प्रावधान उपलब्ध नहीं हो, तब तक मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करने का कोई प्रपोजल है क्या?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय महाविद्यालय बावडी वर्ष 2018-19 में स्वीकृत किया गया था बजट घोषणा में और उस बजट घोषणा में जितने भी राजकीय महाविद्यालय खोले गये थे, उनके भवन आदि के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया था। एमएलए लैड या एमपी लैड या भामाशाहों के सहयोग से भवन निर्माण कराये जाने की बजट घोषणा की गयी थी। अभी वर्तमान में इस महाविद्यालय के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर चल रही है। जैसे ही भूमि आबंटन होगा तो इसका यह कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जाएगी।

अभी अस्थायी भवन में जहां चल रहा है यह महाविद्यालय, जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने बताया है कि कमरों की, कक्षों की कमी है तो उसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास करके वहां एक्स्ट्रा रूम बनाने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर। एक मिनट, कटारिया जी कुछ बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, बार-बार इसलिए पूछते हैं कि सामान्यत: बजट का प्रावधान करते हैं। मतलब, आपने जो हमको सूची दी है 136 की, इसमें से 2005-06 से लेकर 2017-18 तक केवल 31 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग नहीं है और अभी जो आपने खोले हैं वह 116 में से किसी की भी बिल्डिंग नहीं है। अभी आपने प्रश्न के जवाब में कहा कि 2021-22 में तो हमने 100 करोड़ रुपया रखा है। जैसे इसमें रखा है तो आपने 2019-20 में कितना रखा, 2020-21 में कितना रखा? वह भी बता दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय, उन्होंने खुद ने यह कह दिया है कि इसमें प्रोविजन नहीं किया है। यह जवाब में बोल चुके हैं और 2021-22 में 100 करोड़ का है, इसके पहले कोई प्रोविजन नहीं किया, बोल चुके हैं। जो आप चाह रहे हैं, वे उत्तर बोल चुके हैं कि इसके पहले कोई प्रोविजन नहीं किया।

अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

रामगढ़ में महिला पोलीटेक्निक कालेज की स्थापना

289. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती सफिया जुबेर)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में कोई महिला पोलीटेक्निक कालेज नहीं है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में महिला पोलीटेक्निक कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक नहीं व तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां। वर्तमान में अलवर जिले में 02 राजकीय सह-शिक्षा एवं 06 निजी सह-शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालय क्रमश: 364 एवं 1230 प्रवेश क्षमता के साथ संचालित हैं। सत्र 2020-21 में 02 राजकीय सह-शिक्षा में 364 प्रवेश क्षमता के विरुद्ध 301 तथा 06 निजी सह-शिक्षा पोलीटेक्निक महाविद्यालय में 1230 की प्रवेश क्षमता के विरुद्ध मात्र 173 प्रवेश हुए हैं।

इन महाविद्यालयों में कुल प्रवेश क्षमता में से 25 प्रतिशत सीटें छात्राओं हेतु आरक्षित हैं, जिन पर छात्राओं का प्रवेश अत्यन्त न्यून हैं।

(2) जी नहीं।

प्रश्न के भाग संख्या एक में वर्णित स्थिति के दृष्टिगत वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में महिला पोलीटेक्निक कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह पूछना चाहूंगी कि अलवर पोलीटेक्निक कालेज में पिछली कांग्रेस सरकार के समय गर्ल्स हॉस्टल सैंक्शन हुआ था, जो अब तक कम्प्लीट नहीं हुआ है और पिछली बीजेपी की सरकार ने उसमें एक भी ईंट नहीं लगाई और यही कारण है कि बच्चियों का प्रवेश बहुत कम है, हालांकि 23 परसेंट है, जो 25 परसेंट होना चाहिए। उसका कारण क्या यही है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि यह जो रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र का मामला है, यहां से नजदीक दो कालेज हैं। एक गवर्नमेंट पोलीटेक्निक कालेज, अलवर और गवर्नमेंट पोलीटेक्निक कालेज, नीमराना (अलवर) और अलवर से रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की दूरी, रामगढ़ जो विधान सभा क्षेत्र शुरू होता है, 5 किलोमीटर है और इनके रामगढ़ की केवल 20 किलोमीटर दूरी है, फिर भी

(डा. सुभाष गर्ग)

क्योंकि इसी सत्र के दौरान माननीय सदस्या ने मुझको एक प्रस्ताव दिया है, निश्चित रूप से उनके प्रस्ताव पर विचार करेंगे और उम्मीद करेंगे, जल्दी से कोई निर्णय लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। गर्ल्स हॉस्टल का मामला है, वह सात साल से कम्प्लीट नहीं हो रहा है पोलीटेक्निक कालेज में। एक सवाल और है कि क्या प्राइवेट कालेज में फीस 35 हजार है और गवर्नमेंट कालेज में 8200 है, जिसके कारण प्राइवेट कालेज में कोई एडमिशन लेना नहीं चाहता है, गरीब बच्चियां कैसे लेंगी?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): ऐसा नहीं है। मैं तो गवर्नमेंट कालेज की खुद आपसे कह रहा हूं। आपको मैंने बताया केवल 364 के विरुद्ध 301 ही एडमिशन है और गर्ल्स की जहां 41 सीट हैं, वहां जीरो ही एडमिशन है। बच्चियां आएं, उनको देंगे। हॉस्टल निर्माणाधीन है, जल्दी ही उसको पूरा कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मंजीत धर्मपाल। माननीय सदस्य, बैठें आप। प्लीज, अंकित नहीं होगा। श्री मंजीत धर्मपाल।

मुण्डावर में स्थापित उद्योगों में स्थानीय को रोजगार

290. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में कितने उद्योग स्थापित हैं? उक्त उद्योगों में रोजगार के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कोविड-19 कोरोना से उपजे हालात को देखते हुए उक्त उद्योगों में स्थानीय प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है एवं उक्त को कब तक लागू कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) अलवर जिले के विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में 564 औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत/स्थापित हैं, जिनमें से 547 विनिर्माण क्षेत्र तथा 17 सेवा क्षेत्र की इकाइयां हैं। औद्योगिक इकाइयों द्वारा

(श्री उद्योग मंत्री)

कार्मिकों/श्रमिकों का चयन उद्योग आवश्यकता एवं रोजगार अपेक्षी व्यक्तियों की योग्यता/कुशलता के आधार पर किया जाता है।

(2) प्रदेश में उद्योगों में स्थानीय प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलाने हेतु उद्योगों पर बाध्यकारी कोई विधायी प्रावधान नहीं है, तथापि राज्य में कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राज्य के स्थानीय लोगों को उद्योगों की मांग के आधार पर कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार हेतु सक्षम बनाया जाता है।

राजस्थान में रोजगार सृजन एवं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से दिनांक 17.12.2019 से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 लागू की गई है, जो कि दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी है। योजनान्तर्गत विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के पात्र उद्यमों के लिए रोजगार सृजन अनुदान का प्रावधान किया गया है।

1- इस प्रावधान के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के ईपीएफ एवं ईएसआई के अंशदान के रूप में जमा कराई गई राशि की 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सात वर्ष की अवधि के लिए अनुदान के रूप में किये जाने का प्रावधान किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि नियोक्ता द्वारा श्रमिकों के ईपीएफ एवं ईएसआई के अंशदान के रूप में जमा कराई गई राशि के 75 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण सात वर्ष की अवधि के लिए उद्यम में कार्यरत समस्त श्रमिकों हेतु किये जाने का प्रावधान किया गया है, यदि समस्त श्रमिकों में से 75 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार राजस्थान के अधिवासित नागरिकों को प्रदान किया गया हो।

योजना के रोजगार संबंधित प्रावधान सम्पूर्ण राज्य के लिए लागू हैं, जिसमें अलवर जिले का विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर भी सम्मिलित है।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि रोजगार के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को योग्यता और कुशलता के आधार पर लिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में जिन बच्चों ने आईटीआई, पोलीटेक्निक, बीटेक, बीकॉम, एमकॉम की हुई हैं, क्या आप उद्योगों को निर्देशित करेंगे उन युवाओं को लेने के लिए? अगर वे उद्योग उन युवाओं को नहीं लेते तो क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में ही बताया कि ये उद्योगों की आवश्यकतानुसार, योग्यतानुसार उनको रखने का प्रावधान है, सरकार उनको कोई बाध्यकारी नहीं कर सकती। सरकार की 2019 की प्रोत्साहन निवेश, RIPS हमारी जो योजना है, उसमें हमने प्रावधान किया है कि 75 प्रतिशत नियोक्ता यदि हमारे लोगों को लगाएगा उसको 50 परसेंट ईएसआई और ईपीएफ का अंशदान हम देंगे। अगर 75 परसेंट वह हमारे स्थानीय लोगों को, राजस्थान के लोगों को तो 75 परसेंट राशि सरकार उनको देगी। ये प्रावधान हमने किया है। इस तरह का कोई बाध्यकारी कानून हमारे प्रदेश में नहीं है कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए किसी उद्योगपति को बाध्य करें।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने दूसरे प्रश्न के जवाब में कहा कि 17-12-2019 को राजस्थान में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 लागू की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा जनवरी, 2020 से लेकर अब तक इस प्रोत्साहन नीति के माध्यम से इन उद्योगों में कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया गया है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोजगार का है, इनके अलवर में ही बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर भारत सरकार की सहायता से लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, फिर आवश्यकता के अनुसार उद्यमी उनको वहां से लेते हैं। अच्छी ट्रेनिंग है। बहुत अच्छा सेंटर है। भारत सरकार के सहयोग से भिवाड़ी में बनाया है। मैं खुद देखकर आया हूं। उसके बाद भी उनको कहीं न कहीं रोजगार मिलता है। मेरे ख्याल से एक लाख से भी अधिक लोगों को रोजगार हमने अब तक उन प्रशिक्षण केन्द्र के ट्रेंड लोगों को दिया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। रफीक खान।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। हो गया। रफीक खान।

आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की पात्रता में अन्य समकक्षों को जोड़ने की कार्ययोजना

291. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रफीक खान)

(1) क्या यह सही है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण में पूर्व में चयनित आयुष्मान भारत के परिवार एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवार ही लाभार्थी होंगे? यदि हां, तो अन्य समकक्ष गरीब एवं योग्य व पीड़ित परिवारों को लाभ कैसे दिया जा सकेगा? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त योजना में पात्रता में परिर्वतन कर अन्य समकक्ष श्रेणी के नवीन लाभार्थियों को सम्मिलित करने हेतु सरकार कोई विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जी हां। यह सही है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण में पूर्व में चयनित आयुष्मान भारत के परिवार (सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी-2011) के पात्र परिवार) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित परिवार लाभार्थी हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अनुसार आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के एनएफएसए एवं एसईसीसी परिवारों के साथ-साथ समस्त संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों को नि:शुल्क तथा अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि पर (अर्थात् लगभग 850 रुपये वार्षिक खर्च पर) संबद्ध सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों में 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज हेतु यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज के तहत अन्य परिवारों को लाभ मिल सकेगा।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के अनुसार सरकार राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज योजना लागू करने जा रही है। इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवारों के साथ-साथ समस्त संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमान्त कृषकों को नि:शुल्क तथा अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि पर (अर्थात् लगभग 850 रुपये वार्षिक खर्च पर) संबद्ध सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थानों में 5 लाख रुपये तक की कैशलेस वार्षिक चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पात्र परिवारों की संख्या कितनी है? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसकी इन्फोर्मेशन दी जा चुकी है, प्राइवेट हॉस्पिटल

(श्री रफीक खान)

ऑनर कर रहे हैं, इस पांच लाख रुपये के क्लेम को, कैशलेस क्लेम को? अभी तक 50 परसेंट में कितने लोगों ने प्रीमियम देकर एलीजिबिलिटी ले ली है?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अभी का बजट अनाउंसमेंट है। हमने इसमें प्रोविजन किया है कि जो लोग 850 रुपये देकर, इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, हम एक मोबाइल एप डवलप कर रहे हैं, या तो वह लॉग-इन कर लें या ई-मित्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और हिस्सा राशि जमा करा दें, तो उनको इसका लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ को जिला बनाने की कार्ययोजना

292. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नवीन जिलों के गठन एवं पुनर्गठन के प्रस्ताव पर नये जिले स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा वर्ष 2018 में सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट परीक्षणाधीन है?

(3) क्या यह भी सही है कि अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग विभिन्न संस्थाओं/संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(4) क्या सरकार के परीक्षणाधीन रिपोर्ट में अनूपगढ़ को जिला बनाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अनूपगढ़ को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जी नहीं। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की समिति का गठन नहीं किया गया है, जबकि गत राज्य सरकार द्वारा राज्य में नये ज़िलों, उपखण्ड, पुलिस उपखण्डों के पुनर्गठन/सृजन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए डॉ.

(राजस्व मंत्री)

परमेशचन्द्र, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन आदेश दिनांक 20.01.2014 के द्वारा किया गया था। आदेश की छाया प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। अनूपगढ़ को जिला बनाने के संबंध में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों एवं जन प्रतिनिधियों आदि द्वारा मांग की जाती रही है। नामवार सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2018 में प्रस्तुत रिपोर्ट उच्च स्तर पर परीक्षणाधीन है।

(5) वर्तमान में नवीन जिला बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के active consideration में नहीं है। राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धताओं के आधार पर नये जिले के गठन के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जाता है।

(छाया प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में बताया गया है कि नये जिले बनाने के लिए प्रशासनिक एक्टिव कंसीडरेशन नहीं है, मैं पूछना चाहती हूं कि कब तक होगा? एक मेरा प्रश्न है कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2018 में प्रस्तुत रिपोर्ट उच्च स्तर पर परीक्षणाधीन है, मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार उक्त रिपोर्ट को कब तक पूरा करके सौंप देंगी? क्या सरकार के परीक्षणाधीन रिपोर्ट में अनूपगढ़ को जिला बनाने का प्रस्ताव भी है?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, एक्टिव कंसीडरेशन में आज के समय में नहीं है, भविष्य में जब कभी भी होगा, तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। दूसरा, आपने यह बात की है कि जो परमेशचन्द्र कमेटी बनी है, उसमें अनूपगढ़ का उल्लेख है या नहीं है? अध्यक्ष महोदय, परमेशचन्द्र कमेटी बनी है, पूर्ण तौर पर उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, सिर्फ अध्यक्ष से सिग्नेचर किये हुए आये हैं, बाकी दूसरे सदस्यों के नहीं आए हैं, इसलिए किस स्तर पर इसको किया जाए, इसका फैसला नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): रिपोर्ट कब तक आ जाएगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न को या तो समझ नहीं पा रहा हूं या जवाब नहीं समझ पा रहा हूं। क्या यह सही है कि प्रदेश में नवीन ज़िलों के गठन एवं पुनर्गठन के प्रस्ताव पर नये ज़िले स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा...., सरकार आपकी हो, सरकार पहले कोई भी हो, सरकार ने परमेशचन्द्र कमेटी का गठन किया, आप कह रहे हो कि, जी नहीं। मैं सोचता हूं, सरकार नहीं बदलती है, व्यक्ति बदलता है तो क्या यह प्रश्न सही है, जी नहीं लिख रहे हो? फिर नीचे लिख रहे हो, परमेशचन्द्र कमेटी 2014 में बनी थी, उसने आपको रिपोर्ट दी है। इन दोनों में क्या अंतर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज के समय में कोई कमेटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है उस संदर्भ में जवाब दिया है कि नहीं बनी हुई है। आजादी के बाद कई कमेटियां बनी। सबसे आखिर में, पिछली दफा आपकी सरकार के अंदर परमेशचन्द्र कमेटी बनीं। परमेशचन्द्र कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट दी। वह रिपोर्ट आधी-अधूरी है। बाकी दूसरे सदस्यों के उस पर सिग्नेचर नहीं हैं, सिर्फ अध्यक्ष के सिग्नेचर हैं। सिर्फ अध्यक्ष का सिग्नेचर होना मतलब कि कमेटी अध्यक्ष द्वारा जो अपने रिकमंडेशन है, वह हैं। अगर पूर्ण तरह से, सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होते तो कमेटी की रिकमंडेशन होती है, यह अंतर सिर्फ अध्यक्ष के और बाकी दूसरे सदस्यों के मार्फत से है। इसलिए यह जो कमेटी की रिपोर्ट है, यह पूर्ण रिपोर्ट नहीं है। जहां तक आपका सवाल है कि अभी कोई कमेटी है, तो उसका उत्तर है कि आज कमेटी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। गोपीचंद मीणा। पूछना है? एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट को, जो 2014 में गठित हुई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इतने सालों तक उस कमेटी ने जो एक्सरसाइज की, उसको विभाग देखेगा, उसको मूल्यांकन करने के बाद उस कमेटी की उस रिपोर्ट पर सरकार पुनर्विचार करने का विचार रखती है क्या?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। कमेटी की रिपोर्ट का मतलब कमेटी के तमाम सदस्यों द्वारा रिपोर्ट देना। सिर्फ अध्यक्ष के सिग्नेचर से रिपोर्ट आई है, बाकी दूसरे सदस्य अपने आपको उसमें सम्मिलित मानते हैं,

(श्री हरीश चौधरी)

कोई डिसेंट है, उससे असहमत है, इस तरह की रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है। इसलिए जो तथाकथित रिपोर्ट है, वह सिर्फ परमेशचन्द्र जी, जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यह रिकमंडेशन है। कमेटी की रिकमंडेशन हम लोग आज के समय में नहीं मान रहे। पूरी कमेटी के हस्ताक्षर होते तो कमेटी के होते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री गोपीचंद मीणा।

मां-बाड़ी में कार्यरत शिक्षाकर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी

293. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार मां-बाड़ी में कार्यरत शिक्षाकर्मियों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): मां-बाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत शिक्षा सहयोगियों का मानदेय प्रति वर्ष योजना स्वीकृति अनुसार ग्राम विकास समिति द्वारा दिया जाता है, जिसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है। मानदेय में वर्ष 2016-17 से आज तक की गयी वृद्धि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इनका मानदेय कब-कब बढ़ाया, आगे बढ़ाने के लिए कब तक विचार रख रहे हो? लंबे समय से यह शिक्षाकर्मी के रूप में मां-बाड़ी में काम कर रहे हैं। जहां तक हो सके, आपकी तरफ से इनका मानदेय अच्छी तरह से बढ़ाया जाए। अंत में, इनके लिए कुछ विचार भी किया जाए।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 तक इनका मानदेय समय-समय पर बढ़ाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मां-बाड़ी के शिक्षा सहयोगियों का सवाल है, चार भागों में इनको अलग-अलग किया गया है। 2001 में सहरिया में मां-बाड़ी की शुरुआत हुई 2007 में टी.एस.पी. एरिये में हुई। जो लम्बे समय से कार्यरत शिक्षा सहयोगी हैं, उन्होंने समय-समय पर मुझे ज्ञापन दिये हैं। उनका यह मानना है कि हम

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

काम भी समान कर रहे हैं, हमें मानदेय समान दो। इस दृष्टि से हम इसका परीक्षण करा कर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

सादुलशहर उप खंड मुख्यालय पर सहशिक्षा महाविद्यालय खोलने की कार्ययोजना

294. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर उप खंड मुख्यालय पर सहशिक्षा महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर उप खंड मुख्यालय पर सहशिक्षा महाविद्यालय खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि भविष्य में सरकार कोई विचार रखती है कॉलेज खोलने का? नम्बर-1, नम्बर-2, सहशिक्षा कॉलेज खोलने का सरकार का क्या प्रोसीजर है? कृपया बताएं।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में वर्तमान में राजकीय कन्या महाविद्यालय, सादुलशहर संचालित है। सहशिक्षा का कोई महाविद्यालय पूरे सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र में संचालित नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में उप खंड स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की प्रक्रिया के तहत माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा गत तीन बजटों में राजस्थान में करीब 116 राजकीय महाविद्यालय खोले गये हैं। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आगामी समय में, चूंकि सादुलशहर में सहशिक्षा का एक भी महाविद्यालय नहीं है तो इसको आगामी जो भी घोषणाएं होंगी या आगामी समय में सरकार इस पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

डग में संचालित संस्कृत विद्यालय

295. श्री कालूराम (डग): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ में कुल कितने राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र डग में संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) जिला झालावाड़ में कुल 35 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र डग में संस्कृत विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है तथा विधान सभा क्षेत्र डग में विद्यालयों की संख्या 7 व उसमें अध्ययनरत छात्रों की संख्या 496 है, जिनका विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डग में संस्कृत शिक्षा विभाग का 01 प्रवेशिका, 06 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें निम्नलिखितानुसार पद स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त हैं:-

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
प्रधानाध्यापक	01	01	00
वरिष्ठ अध्यापक	08	02	06
अध्यापक	30	17	13

राज्य में संचालित संस्कृत विद्यालयों में अध्यापक ग्रेड-III के कुल रिक्त पद 1777 हैं, जिनमें से 226 पदों को भरने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शेष 1551 पदों को भरने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। रीट 2021 के आयोजन उपरान्त इन पदों को भरा जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री कालूराम (डग): मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 6 विद्यालय हैं और आपने इसमें 7 विद्यालय लिख रखा है, तो एक और विद्यालय कहां है? यह बताने की कृपा करेंगे क्योंकि 6 विद्यालय ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं और आपने 7 बता रखे हैं। इसमें आपने एक और संख्या दे रखी है कि कुल कार्यरत 20 कर्मचारी लगा रखे हैं, जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 17 ही कार्यरत हैं, तो जो गलत सूचना जिस अधिकारी ने दी, क्या उसके खिलाफ आप कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है और जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं, जो सूची मेरे पास उपलब्ध है, जो विभाग ने उपलब्ध कराई है, अगर यह गलत है तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैं बता देता हूं, आप उसको भी करेक्ट कर दीजिएगा। 7 विद्यालयों की जो सूची है, पहला है, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, गुराडियामाना; दूसरा है, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, करणपुरा; तीसरा है, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, क्यासंरा; चौथा है, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, घाटिट्या; पांचवां है, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मेघवाल खेड़ा; छठा है, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, ग्राम आंवली कलां और सातवां है, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, श्यामपुरा। इनमें से कौनसा आपके विधान सभा क्षेत्र में नहीं है?

श्री कालूराम (डग): श्यामपुरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): ठीक है।

श्री कालूराम (डग): एक तो श्यामपुरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है, तो श्यामपुरा की जगह मुझे कोई भी दूसरा विद्यालय दें। नम्बर, दो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उनकी मांग बिलकुल जायज है। जब आप 7 मान चुके हैं तो एक विद्यालय निश्चित तौर पर आपको देना चाहिए, जिससे माननीय सदस्य की भावना पूरी हो।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्षजी के निर्देशानुसार निश्चित रूप से इस पर विचार करके आपकी मांग को पूरा किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती कृष्णा पूनियाँ।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अपनी बात हो गई। ...(व्यवधान) बैठें, माननीय सदस्य। बात मानिये, हो गया, माननीय सदस्य।

अगला प्रश्न। श्रीमती कृष्णा पूनियाँ।

सादुलपुर में औद्योगिक विकास की कार्ययोजना

296. श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में औद्योगिक विकास के लिये क्या-क्या कदम उठाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में औद्योगिक विकास के लिए रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सादुलपुर, प्रथम व द्वितीय चरण की स्थापना वर्ष 1971 एवं तृतीय चरण की स्थापना 1997 में की गई। उक्त तीनों चरण 120.78 एकड़ भूमि पर स्थापित हैं। उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र सादुलपुर प्रथम व द्वितीय चरण को दिनांक 02.11.1979 एवं औद्योगिक क्षेत्र सादुलपुर तृतीय चरण को दिनांक 01.01.2009 को विकसित घोषित किया गया। इन औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 181 औद्योगिक भूखंड नियोजित किये गये हैं, जिनमें से 111 भूखंड आबंटित किये जा चुके हैं। आबंटित भूखंडों पर 87 इकाइयां संचालित हैं। संचालित इकाइयों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

औद्योगिक क्षेत्र, सादुलपुर प्रथम व द्वितीय चरण में वर्तमान में सभी मूलभूत सुविधाएं सड़क, पानी एवं बिजली की स्थिति संतोषप्रद है। पानी की आपूर्ति पी.एच.ई.डी. द्वारा की जा रही है।

औद्योगिक क्षेत्र सादुलपुर, तृतीय चरण में सड़क एवं बिजली की स्थिति संतोषप्रद है एवं जल प्रदाय योजना के विकास कार्यों के लिये अतिरिक्त प्रशासनिक स्वीकृति राशि रुपये 126.57 लाख, दिनांक 06.07.2018 को एवं रुपये 22.33 लाख, दिनांक 10.02.2020 को जारी की गई है एवं रुपये 101.29 लाख की राशि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दिनांक 05.10.2018 को जमा करवा दी गई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि शेष बचे 70 भूखंड, उनके लिए कोई आवेदन प्राप्त हुए क्या? जो आपके द्वारा बताया गया कि 111 भूखंडों में से 87 इकाइयां संचालित हैं, तो शेष 24 भूखंड बचे हैं, जिन पर कोई भी इकाई संचालित नहीं है तो जो 70 भूखंड बचे हुए हैं उनके लिए आवेदन प्राप्त हुए क्या और औद्योगिक क्षेत्र में जो भूखंड हैं, जिन पर कोई इकाई संचालित नहीं है, उनके बारे में सरकार क्या विचार रखती है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने कहा कि शेष बचे भूखंडों के लिए कोई आवेदन, आजकल ऑनलाइन ऑक्शन होता है, आवेदन की आवश्यकता नहीं है। अगर वहां पर लोग चाहते हैं, ऑनलाइन ऑक्शन हम खुलवा देंगे, जिसको चाहे, वह ले लो, सारे ही खुलवा देंगे, जितने ऑक्शन हों, उतने हो जाएंगे।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि जल प्रदाय योजना के विकास के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है, उन कार्यों को कब तक प्रारम्भ करवाएंगे?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने राशि जारी कर दी है 2018 में, 2020 में। पी.एच.ई.डी. विभाग ने काम नहीं किया होगा तो हम रीको के द्वारा अधिकारियों को कहेंगे कि तुरन्त उनसे काम करवाएं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वासुदेव देवनानी।

सरकारी मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मौतें

297. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2019 व 2020 में प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध बाल रोग विभाग अथवा अस्पतालों में नवजात शिशुओं की कितनी मौतें हुईं? माहवार व अस्पतालवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पतालों में से किस अस्पताल में उक्त अवधि में अधिक संख्या में नवजात शिशुओं की मौतें हुई हैं? माहवार व अस्पतालवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त मौतों के क्रम में कोई जांच करवाई गई है? यदि हां, तो कब तथा जांच में कौन दोषी पाये गये व उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? अस्पतालवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(4) सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मौतों की घटनाओं के बाद वहां की व्यवस्थाओं में सुधार, आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता व चिकित्सकों की नियुक्ति सहित क्या-क्या कदम कब-कब उठाये गये? माहवार व अस्पतालवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) वर्ष 2019 व 2020 में राज्य के राजकीय मेडिकल कालेज से सम्बद्ध बाल रोग विभाग अथवा अस्पतालों में नवजात शिशुओं की मृत्यु माहवार व अस्पतालवार सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) परिशिष्ट 1 के अनुरूप।

(3) दिसम्बर, 2019 एवं दिसम्बर, 2020 को कोटा चिकित्सा महाविद्यालय के जे.के. लोन चिकित्सालय में हुई मृत्यु के पश्चात् सरकार द्वारा जांच करवायी गयी। जांच में कोई दोषी नही पाया गया, किन्तु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु की गयी कार्यवाही एवं राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(4) चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सालयों में नवजात शिशुओं की विभिन्न कारणों से होने वाली मौतों की घटनाओं के इनपुट के आधार पर वहां की व्यवस्थाओं में सुधार, आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता, चिकित्सकों की नियुक्ति सहित उठाये गये कदम माहवार एवं अस्पताल वार परिशिष्ट 3 पर संलग्न हैं।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है कि आपने जो सूची दी है, उसके अनुसार पिछले दो वर्षों में 19190 बच्चों की मौत हुई है और जब मैंने यह टोटल किया तो उसमें आप जो जवाब दे रहे हैं, कि मैंने इस तीसरे खंड में यह पूछा कि क्या सरकार द्वारा उक्त मौतों के क्रम में कोई जांच करवाई गयी है? आप केवल जे.के. लोन, कोटा अस्पताल की बात कर रहे हैं जबकि कोटा में दो वर्षों में कुल मौतें हुई हैं 1552 जबकि उससे कई गुना जयपुर में हुई है 6378, मेरे अजमेर में हुई है 2139, उदयपुर में हुई है 2469 ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या इन बाकी हॉस्पिटल्स में भी आप जांच करवाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

(श्री वासुदेव देवनानी)

नंबर दो, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। कोटा में आपने यह लिखा है कि कोई दोषी नहीं है। यदि कोई दोषी ही नहीं है तो आपने कुछ लोगों को निलंबित और ए.पी.ओ. आखिर क्यों किया है? इसके दोनों का जवाब देंगे तो फिर मैं एक प्रश्न अजमेर से जुड़ा हुआ पूछूंगा।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो सवाल कर रहे हैं, यह आंकड़े आप वर्ष 2017-18 के भी उठाकर देख लें जरा, सुनिये, मेरी बात। मैं जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप तो 2019-20 का बता दो। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उत्तर नहीं सुनना है? आपको उत्तर नहीं सुनना है? एक मिनट, मंत्रीजी। आपको उत्तर नहीं सुनना है क्या? मंत्रीजी को सुनना पड़ेगा आपको, आप बीच में इंटरवीन नहीं करेंगे।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो जगह पर, सिर्फ जयपुर में और झालावाड़ में कुछ मौतें ज्यादा हुई हैं लेकिन आपके अजमेर में वर्ष 2017-18 में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2017 में 1060, 2018 में 1276, 2019 में सिर्फ 1200 और फिर 2020 में 939, यह कितनी कम है, इसको भी कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद यह कोटा के अंदर वर्ष 2017 में 852, 2018 में 881 और हमारे टाइम में यह कम हुई 835 हुई, 717 रह गयी। आप आंकड़े जोड़-जोड़ कर बताते हो। उसके बाद आप जोधपुर के ले लो, वहां पर कम हुई है। उसके बाद उदयपुर के ले लो, वहां पर कम हुई है। उसके बाद आप बीकानेर के ले लो, वहां पर कम हुई है। सिर्फ झालावाड़ और जयपुर में, क्योंकि जयपुर सबसे बड़ा अस्पताल है, रैफर्ड केसेज आते हैं और पिछली बार 2019 में जब यह सवाल उठाया गया प्रतिपक्ष के द्वारा, वहां कोटा में जाकर और जिस ढंग की बच्चों की मौत पर राजनीति हुई, भारत सरकार जो अपने आंकड़े जारी करती है, नीकू के और एस.एन.सी.यू. के, उन आंकड़ों पर गौर करो, यह इसमें हमने उस टाइम जारी किया था 2019 में जब आप लोगों ने हल्ला किया था। जो टॉप टेन स्टेट्स हैं, उनमें राजस्थान का नंबर नहीं है और इसमें ज्यादातर वे स्टेट्स हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप क्या बातें कर रहे हो? उसके अलावा, अगर आप तुलना करना चाहते हो गुजरात से, गुजरात की तुलना भी हमारे

(श्री रघु शर्मा)

पास है और अगर आप तुलना करना चाहते हो बिहार से तो उसकी तुलना भी हमारे पास है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं सुनना है?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दे रहा हूं, इनको सुनना पड़ेगा। जब यह कैलकुलेट करके लाये हैं तो यह इंफेंट मोर्टेलिटी रेट से रिलेटेड सवाल है और बच्चों की मौत क्यों होती है, यह माननीय सदस्य जानते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि 2019 के बाद जब हमने यह जारी किया कि पहले टॉप टेन राज्यों में बच्चों की मृत्यु के मामले में राजस्थान सम्मिलित ही नहीं है तो भारत सरकार ने 2020 से यह आंकड़े ही जारी करना बंद कर दिया।

वंदना गुरनानी, यह भारत सरकार की अपर सचिव हैं, मिशन निदेशक। इन्होंने यह क्या लिखा है राजस्थान के बारे में - "this is with reference to your D.O letter dated 27th January, 2021 regarding action taken report on the recommendations of the Central team visit at J.K. Lon Hospital Kota, Rajasthan. We appreciate the efforts made by the State for taking action and on managing the Central team recommendations. The State has committed to take action with regards to monitoring." हमारी भारत सरकार तारीफ कर रही है कि आपकी टीम सेंटर की आई थी वहां पर, उन्होंने जो रिकमंडेशन की, उस पर हमारे डिपार्टमेंट ने जो एक्शन लिया, उसकी तारीफ के लिए यह चिट्ठी उन्होंने भेजी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल यूनिवर्सल है, पूरे देश का सवाल है। बच्चों की मौत क्यों होती है? उसके कारण क्या हैं? जन्म के समय में मस्तिष्क में गंभीर क्षति यानी ऑक्सीजन की कमी होती है। शरीर में रक्त के गंभीर संक्रमण, श्वांस लेने में गंभीर तकलीफ, समय से पूर्व जन्म, गंदा पानी श्वांस नली में चले जाने से श्वांस की गंभीर तकलीफ, जन्मजात हृदय की बीमारी या हार्ट फेल हो जाना, श्वसन तंत्र में दूध या उल्टी चले जाने से श्वसन तंत्र का गंभीर संक्रमण, शरीर में रक्त के गंभीर संक्रमण के कारण ब्लड-प्रेशर कम हो जाना, मस्तिष्क का गंभीर संक्रमण, ये तमाम कारण हैं।

(श्री रघु शर्मा)

यह जो सवाल माननीय सदस्य उठा रहे हैं, आप यह कहना चाहते हैं कि ...(व्यवधान)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): कोटा में जो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यदि आप कहें तो मंत्रीजी का उत्तर पढ़ा हुआ मान लूं और मैं अगला प्रश्न ले लूं? माननीय मंत्रीजी ने अच्छा जवाब दिया है, धन्यवाद। अगला प्रश्न। ...(व्यवधान) तो फिर आप सुनना ही नहीं चाहते हैं तो फिर मतलब क्या है? आप पहले मंत्रीजी की पूरी बात सुनें। पहले मंत्रीजी की पूरी बात सुनो, बीच में इंटरवीन नहीं करें। मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अभी जो बजट पेश किया है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, यह जो बच्चों की मौत का कारण क्या होता है कि जो एम्बुलेंसेज हैं, और मैं आपको यह और बता दूं कि यह जो आज बच्चे मर रहे हैं न, इन बच्चों के लिए आप भी जिम्मेदार हो क्योंकि यह कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कहीं पर इक्विपमेंट की कमी है तो उनको टाइमली उपलब्ध करा दें। अगर भर्ती की बात है तो डॉक्टर्स की भर्ती टाइमली कर दें। यह एक दिन में बच्चों की मृत्यु का कारण नहीं बनता है और दूसरी बात, अभी जो बजट पेश किया माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, यह सबसे बड़ी कमी क्या है, सर, यह आते हैं रैफर्ड केसेज। यह सी.एच.सी. से रैफर्ड केसेज आते हैं, पी.एच.सी. से रैफर्ड आते हैं, प्राइवेट हास्पिटल्स से रैफर्ड आते हैं। कई दिनों तक यह वहां पर भर्ती रहते हैं और जब इनकी कंडिशन बिगड़ जाती है तो यह रैफर्ड केसेज हमारे नीकू में और एस.एन.सी.यू. में आते हैं, तो आज इस बजट के अंदर, पहले हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में 34 इस तरह की एम्बुलेंसेज थीं, जिन एम्बुलेंसेज में वेंटिलेटर था, ए.सी. था, मल्टी मोनिटर सिस्टम था। अब हमारे बजट में मुख्य मंत्रीजी ने 22 तो मेडिकल एजुकेशन में और 36 चिकित्सा विभाग में, कुल 58 ऐसी एम्बुलेंसेज क्योंकि इन एम्बुलेंसेज के उपलब्ध होने के बाद में यह जो आई.एम.आर. है, इसके प्रतिशत में गिरावट आएगी, यह हमारा विश्वास है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि इन्होंने दूसरी जांच के लिए कोई उत्तर नहीं दिया है लेकिन मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इस समय जे.एल.एन. हॉस्पिटल में जो शिशु रोग विभाग है, उसमें एक तो अधीक्षक का काम कर रहा है यूनिट प्रभारी और दूसरे एक वर्ष

(श्री वासुदेव देवनानी)

से बीमार हैं, तो आज एक तरह से पूरा शिशु विभाग एक सहायक आचार्य के भरोसे ही चल रहा है तो क्या उसके अंदर अन्य स्टाफ की यह नियुक्ति करेंगे? एक।

दूसरा, जनाना हॉस्पिटल में शिशु रोग विभाग भी जे.एल.एन. हास्पिटल के अंतर्गत ही आता है, क्या सरकार जनाना अस्पताल के लिए शिशु रोग विभाग में एक नई यूनिट स्वीकृत कर बच्चों को मौत से बचाएगी?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न के जवाब में ही इनको यह जवाब दे दिया था कि जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में 05 अगस्त, 2020 को एक सहायक आचार्य की नियुक्ति की गयी है। जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में 22 जनवरी, 2021 को चिकित्सा विभाग के द्वारा एक सहायक आचार्य के रिक्त पद पर नव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय, अजमेर में भी शिशु रोग विशेषज्ञ की बढ़ोतरी हमने की है, वहां पर इक्विपमेंट भी हमने बढ़ाये हैं और फिर भी माननीय सदस्य की अगर चिंता है, मैं खुद भी अजमेर जिले का हूं, कोई भी कमी होगी तो मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस कमी को हमारी सरकार जो संवेदनशील है, जो पारदर्शी है, जो जवाबदेह सरकार है, वह पूरा करेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन

298. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत किशनगढ़ के ग्राम सुजानपुरा में खसरा संख्या 61, खसरा संख्या 62/8 में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो कितनी भूमि का आबंटन किस प्रयोजनार्थ किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के अन्तर्गत राजकीय विद्यालय के खेल मैदान, श्मशान घाट, चिकित्सालय व आंगनबाड़ी भवन एवं अन्य राजकीय भवनों के निर्माण हेतु आबंटित भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हां, तो किस-किस अतिक्रमी द्वारा कितनी-

(श्री गोपी चन्द मीणा)

कितनी भूमि पर कब-कब अतिक्रमण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आबंटित भूमि से अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) ग्राम पंचायत किशनगढ़ के ग्राम सुजानपुरा का खसरा संख्या 61 की भूमि निजी खातेदारी की है, जो कि रूपा बेवा हीरा व अन्य खातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा संख्या 62/8 शामिल नम्बर 53 रकबा 03-15 बीघा राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुजानपुरा खेल मैदान रिकॉर्ड मे दर्ज है। ग्राम सुजानपुरा में खसरा नम्बर 62/9 रकबा 7 बीघा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज है एवं आराजी नम्बर 62/10 रकबा 3.10 बीघा राजकीय भवनों आदि के प्रयोजनार्थ दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर सलंग्न हैं।

(2) ग्राम सुजानपुरा की आराजी नम्बर 62/8 शामिल नम्बर 53 रकबा 3.15 बीघा एवं आराजी नम्बर 62/12 रकबा 01.00 बीघा श्मशान हेतु आरक्षित भूमि रिकार्ड में दर्ज अनुसार किसी का अतिक्रमण नहीं है तथा ग्राम सुजानपुरा में चिकित्सालय/आंगनबाड़ी भवन एवं अन्य राजकीय भवनों हेतु भूमि आबंटित नहीं है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि एवं राजकीय भवनों हेतु आरक्षित भूमि में निम्नानुसार अतिक्रमण है:-

(i) आराजी नम्बर 62/9 में ईश्वर, जगदीश, शंकर पिता देवकरण निवासी काबरी रकबा 4.00 बीघा पर एवं भैरू पिता भीमडा धाकड़ निवासी काबरी रकबा 1-00 बीघा पर।

(ii) आराजी नम्बर 62/10 में अर्जुन सिंह पिता रामसिंह राजपूत, सत्यनारायण पिता मोहनलाल सेन निवासी सुजानपुरा रकबा 2.00 बीघा पर एवं सोहन पिता लाखा मीणा निवासी सुजानपुरा रकबा 1.00 बीघा पर अतिकमण है, जो इसी संवत् 2077 फसल रबी में अतिक्रमण किया है।

(3) उक्त अतिक्रमियों के खिलाफ न्यायालय नायब तहसीलदार खजूरी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर पैनल्टी एवं फसल जब्त सरकार कर फसल नीलामी एवं पैनल्टी के आदेश जारी हो चुके हैं, जो फसल नीलामी के समय ही अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जाएगा।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित दर्ज भूमि व राजकीय भवनों आदि के प्रयोजनार्थ भूमि से अतिक्रमण कब तक हटा दिया जाएगा?

इसके साथ ही मेरा दूसरा प्रश्न है कि खसरा नंबर 62/9 5 बीघा, 62/10 3 बीघा भूमि पर अतिक्रमण हटाने में राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा लापरवाही की गयी, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 07.01.2021 को जो अतिक्रमी हैं, उनके खिलाफ आदेश पारित हो चुका है। यह वहां पर फसल खड़ी है। यह प्रावधान है कि खड़ी फसल जब पूरी तैयार हो जाएगी और जब उसकी फसल ली जाएगी तो उस वक्त वह फसल जब्त की जाएगी और जो भी अतिक्रमी हैं, उस वक्त अपने आप ही उससे ऊपर अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। जहां तक कर्मचारियों की लापरवाही की बात है तो अभी तक कर्मचारियों की इसमें कोई लापरवाही नहीं है। कर्मचारी नियमानुसार कार्यवाही कर चुके हैं।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार तीन साल से ग्रामवासी वहां धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। तीन साल से अतिक्रमण हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर में इन्होंने जवाब दिया कि इन्होंने अभी अतिक्रमण किया है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी की स्थिति है, उसमें मैंने आपको जैसे उत्तर के अंदर अवगत कराया कि 04.01.2021 को यह फैसला कर दिया गया कि जो फसल है, उसको जब्त किया जाए। जब तक फसल पूरी तरह नहीं हो जाए, अब इसी महीने के अंदर फसल अपने आप में पूरी पक जाएगी, उस दिन जब पक जाएगी तो इस फसल को भी जब्त कर दिया जाएगा और जिसने भी इस फसल के ऊपर फसल बोई है, उसका अतिक्रमण भी उसी दिन हटा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

प्रतापगढ़ में पेसा (PESA) एक्ट के तहत ग्राम सभाओं का गठन

299. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल मीणा)

(1) पेसा एक्ट के तहत अब तक जिला प्रतापगढ़ में कितनी ग्राम सभाओं व कितनी शांति समितियों का गठन हुआ? उक्त ग्राम सभाओं और शांति समितियों ने अब तक क्या-क्या कार्य किये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है की पांचवीं अनुसूची में आने के पश्चात् भी उक्त जिले के आदिवासियों को उक्त एक्ट के नियमों का लाभ नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) पेसा एक्ट के तहत अभी तक प्रतापगढ़ जिले में 559 ग्राम सभा बैठकों का आयोजन कर 559 शांति समितियों का गठन किया जा चुका है। गठित शांति समितियों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों के उनके अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) अधिनियम, 1999 के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर ग्राम सभाओं तथा शांति समितियों द्वारा पेसा अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत कार्य किये जाएंगे।

(2) जी नहीं। पांचवीं अनुसूची के तहत प्रतापगढ़ के जनजाति समुदाय को राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का उनके अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपांतरण) अधिनियम, 1999 के नियम 2011 के फायदा दिये गये हैं। दिये गये फायदे निम्न हैं-

पेसा नियम-26 के तहत वन विभाग द्वारा पेसा क्षेत्र से संग्रहित लघु वन उपज का सकल राजस्व संबंधित ग्राम पंचायत को करने का प्रावधान किया गया है।

- लघु वन उपज के संग्रहण एवं बेचान पर लगने वाला ट्रांजिट परमिट हटा दिया गया है।

- पेसा क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के समस्त अध्यक्ष पद जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।

- राजस्थान खान एवं खनन नियम में 1986 संशोधन कर पेसा क्षेत्र में माइनिंग लीज एवं लाइसेंस के लिए संबंधित ग्राम पंचायतों से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि पेसा एक्ट लागू हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक सिर्फ 599 ग्राम सभाओं एवं शांति समितियों का गठन किया है, जो कि निराशाजनक है। क्या सरकार ग्राम सभाओं और शांति समितियों के गठन के लिए युद्ध स्तर पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? नंबर-2, प्रतापगढ़ जिला पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आता है एवं यहां पे-स्केल 1 से लगाकर 9 तक पूरे सम्पूर्ण टी.एस.पी. क्षेत्र में सभी भर्तियों के अंदर जिला स्तर पर भर्ती एवं एस.टी. को 45 प्रतिशत ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिलेवेंट प्रश्न ही पूछें। जो प्रश्न पूछा है, उसी से संबंधित प्रश्न पूछें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): उसी से संबंधित है, सर।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, पहले प्रश्न का जवाब दें। आप बैठें, पहले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं अवगत करा देना चाहता हूं। अभी जनजाति की मांग थी, उस दिन भी मैंने सभी माननीय सदस्यों को निवेदन किया था कि आप करीब-करीब सभी माननीय सदस्य पेसा एक्ट की जानकारी करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेसा एक्ट का नोडल विभाग है पंचायती राज और नोडल विभाग के निर्देशानुसार जनजाति विभाग का कार्यक्रम संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है एवं इसकी क्या प्रक्रिया है, वह जनजाति विभाग करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं, यह पूरे पेसा एक्ट की सारी जानकारी 2011 की है। पेसा एक्ट में जो जन-प्रतिनिधि पंचायतीराज से चुनकर आते हैं, वह स्वत: ही इस कमेटी के सदस्य होते हैं और किसी पंचायत में राजस्व गांव अलग होता है, तो उस राजस्व गांव के 20 सदस्य और मनोनीत करके उसमें लिये जाते हैं। प्रत्येक गांव, प्रत्येक पंचायत में अलग-अलग अपनी समस्या के अनुरूप वह कमेटियां काम करती हैं।

जहां तक हमारे विभाग की काम करने की बात है, तो मैं आपको निवेदन कर दूं। जुलाई, 2018 में पंचायतीराज विभाग द्वारा उसके क्रियान्वयन के लिए जनजाति विभाग को कोई पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। 2018-19, 2019-20 तक कोई पैसा जारी नहीं हुआ और 2020 में पंचायती राज विभाग

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

ने जनजाति विभाग को पैसा ट्रांसफर किया। उसके बाद में कोविड की वजह से पंचायती राज विभाग ने उस राशि को वापस मांग लिया। उसके बावजूद भी जनजाति विभाग ने कोविड के चलते हुए भी अभी 8 मार्च को प्रतापगढ़ में जो समन्वयक ब्लॉक लेवल पर लगाये जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग करा दी गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूंगा कि उसके बाद में प्रत्येक जिला स्तर पर हमने बैठकें कर ली हैं और इसके साथ-साथ में जब भी पूरे समन्वयकों को ट्रेनिंग देने के बाद में उनको पंचायत स्तर पर भेजकर पंचायत लेवल पर जो सदस्य हैं पंचायती राज के या राजस्व गांव के, उनको वह समन्वयक जाकर ट्रेनिंग देंगे और वहां की लोकल समस्या के हिसाब से, जिन पंचायतों को पेसा एक्ट का प्रावधान है, उनको अधिकार दिया है, उनके तहत वह लोकल पंचायतें वहां की समस्या का समाधान करेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काम 2018-2019, 2019-2020 में पंचायतीराज विभाग ने जनजाति विभाग को पैसा ट्रांसफर नहीं करने की वजह से और कोविड की वजह से यह कार्यक्रम थोड़ा-सा विलम्ब जरूर हुआ और हमारे पास में सेविंग के पैसे थे, उसके अनुसार हमने काम करना शुरू कर दिया और आने वाले वित्तीय वर्ष में उसको और सशक्त करने के लिए प्रावधान किये जा रहे हैं और उसको हम आगे ले जाएंगे।

(12.00 बजे)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मंत्री जी और यह विभाग बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी इन्होंने समन्वयक भी गठित किये हैं लेकिन समन्वय कम हैं। मेरा दूसरा पॉइंट यह था कि प्रतापगढ़ जिला पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के अन्दर आता है लेकिन, साहब, पिछली दो पुलिस की भर्तियों में गत भर्ती में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं, बैठें आप।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): सर, इसी का है।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। बैठें आप ...(व्यवधान)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): पांचवीं अनुसूची का ही है, सर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पेसा एक्ट में नहीं है, बैठें। मुझे पता है पेसा एक्ट में यह नहीं है, बैठें। माननीय सदस्य, बैठें।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ। बैठें आप।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं बिहार एवं झारखण्ड के पूर्व राज्यपाल श्री एम.रामा जोइस तथा इस सदन के पूर्व सदस्य श्री दीन मोहम्मद के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

एम.रामा. जोइस, श्री, पूर्व राज्यपाल (बिहार एवं झारखण्ड)

बिहार एवं झारखण्ड के पूर्व राज्यपाल श्री एम.रामा जोइस का जन्म 27 जुलाई, 1931 को कर्नाटक के शिमोगा जिले के अरागा ग्राम में हुआ। आपने बी.एससी. और बी.एल. की उपाधियां प्राप्त कीं। आपको डॉक्टर आफ लॉ की मानद उपाधि भी प्रदान की गयी।

श्री एम.रामा जोइस जून, 2008 से जून, 2014 तक कर्नाटक से राज्य सभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। इस दौरान आप राज्य सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। न्यायाधीश के रूप में विभिन्न न्यायालयों में सेवाएं देने वाले श्री जोइस मई, 1992 से सितम्बर, 1992 तक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रहे। श्री जोइस जून, 2002 से सितम्बर, 2004 तक बिहार तथा झारखण्ड के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे।

लेखन में रुचि रखने वाले श्री जोइस की 'लीगल एंड कांस्टीट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया', 'राज धर्मा विथ लेसन्स ऑन राजनीति' एवं 'धर्मा-द ग्लोबल एथिक' सहित सेवा कानून, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून तथा संवैधानिक कानून पर अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

श्री एम.रामा जोइस का दिनांक 16 फरवरी, 2021 को निधन हो गया।

दीन मोहम्मद, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व सदस्य श्री दीन मोहम्मद का जन्म वर्ष 1953 में अलवर जिले के गुवालदा ग्राम में हुआ। आपने मिडल तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री दीन मोहम्मद सातवीं राजस्थान विधान सभा में तिजारा निर्वाचन

(श्री अध्यक्ष)

क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति तथा वन, भेड़ व ऊन विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

अपने सार्वजनिक जीवन में श्री दीन मोहम्मद ग्राम पंचायत गुवालदा के सरपंच रहे। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति, गुवालदा के कोषाध्यक्ष तथा जिला जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति के सदस्य भी रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री दीन मोहम्मद राजस्थान भूमि विकास बैंक, अलवर के अध्यक्ष रहे।

श्री दीन मोहम्मद का दिनांक 13 मार्च, 2021 को निधन हो गया।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत प्रकाश आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर दोराई सेक्शन में दोराई सम्पर्क फाटक का निर्माणाधीन आरओबी का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से प्रदेश में चरागाह भूमि पर अंग्रेजी बबूल एवं झाड़ियां होने से जमीन के बंजर होने से जानवरों को घास व चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गोलुवाला कस्बे में एक लड़की को जिंदा जला दिये जाने वाले

(श्री अध्यक्ष)

अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से आमजन में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से आर.पी.एस.सी. द्वारा सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा से पहले सैट परीक्षा का आयोजन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से प्रदेश में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित स्वच्छ परियोजना के तहत मां-बाड़ी केन्द्र पर कार्यरत शिक्षा सहयोगी व समन्वयकों की वेतन वृद्धि व स्थायीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की पंचायत समिति बदनौर में भोजपुर फीडर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से भोपालसागर, कपासन, धमामा तथा डिण्डोली तालाब को भरने वाली बनास नदी की फीडर को किसानों द्वारा मिट्टी से भरने के कारण फीडर में पानी नहीं आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजकीय महाविद्यालय में लम्बे समय से व्याख्याताओं के पद रिक्त होने एवं भवन निर्माण कार्य स्वीकृति के चार वर्ष बाद भी पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से मानसी वाकल डैम की वर्ष 2020 में टनल धंस जाने से टनल में जमा मलबे की सफाई नहीं किये जाने से टनल ज्यादा डेमेज होने की संभावना के संबंध में।

(10) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से कोटा व बूंदी जिले में टनल के नजदीक संचालित अवैध क्रेशरों से हाईवे पर उड़ रही धूल से दुर्घटना की संभावना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के ब्लॉक सराड़ा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स की सीधी भर्ती परीक्षा हुए पांच माह व्यतीत हो जाने पर भी इन पदों पर भर्ती नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर में पंचायती राज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से प्रदेश में फोन टैप किये जाने से जनता की निजता भंग होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में जन प्रतिनिधि, विधायक, सांसदों व केंद्रीय मंत्रियों के बिना अधिकृत प्राधिकारी की स्वीकृति के पैमाने बिना टेलीफोन टैप किये जाने पर निजी निजता पर हमला होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(16) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से दिनांक 14 मार्च, 2021 को सिरोही जिले के थाना मंडार की नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे बदमाशों का पुलिस द्वारा पीछा किये जाने पर बदमाशों की गोली से घायल हुए आम नागरिक को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में घाटा क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई की बहूद्देशीय सांकेड़ा बांध योजना से प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री छगनसिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से प्रदेश में ई.डब्ल्यू.एस. के छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में आयु सीमा एवं अर्हता अंक में छूट नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से प्रदेश में कृषि कनेक्शन डिमाण्ड नोट जमा कराने के बाद भी किसानों को समय पर कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(20) श्री हमीर सिंह भायल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में ई.डब्ल्यू.एस. के छात्रों को विभिन्न परिक्षाओं में आयु सीमा एवं अर्हता अंक में छूट नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा, श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, श्री रामस्वरूप लाम्बा एवं श्री हमीर सिंह भायल को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी। श्री छगनसिंह सदस्य की भावनाएं सम्मिलित करते हुए श्री हमीर सिंह भायल विचार प्रकट करेंगे।

प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से पंचायत समिति छबड़ा में विकास अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में सफाई कर्मचारी/वार्ड ब्वॉय के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रताप लाल भील (गमेती), सदस्य की ओर से पंचायत समिति सायरा की ग्राम पंचायत पानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की भूमि का पट्टा जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती जाहिदा खान, सदस्य की ओर से गुड़गांव कैनाल की पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का सीकरी बांध तक विस्तार करने एवं गुड़गांव कैनाल की बची हुई कच्ची वितरिकाओं की सिल्ट निकालकर पक्का किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत आलड़ी में प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना में पात्र परिवारों के नाम सूची से हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती गंगा देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू में सड़क से वंचित राजस्व ग्रामों को सड़क से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से मुण्डावर कस्बे में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाये जाने हेतु बाईपास सड़क का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में जनता जल योजना में संचालित नलकूपों के संचालन हेतु अलग से बजट आबंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से पृथ्वीराज योजना, जयपुर में सीवरेज, पानी, सड़क एवं नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री हीराराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजस्थान रोडवेज की बसें ग्राम सेन्दड़ा, निमाज एवं जैतारण शहर से होकर नहीं जाने से महिलाओं और बच्चों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(12) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में रावत जाति के लोगों को एक समान अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में पदों पर भर्ती प्रक्रिया में दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी युवाओं हेतु पद आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल सूची जारी नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुक कम हैल्पर का मानदेय अकुशल श्रमिकों के समान किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान की गुजरात सीमा पर ...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, संयम जी। एक मिनट।

अनुरोध एवं मांग

शासन द्वारा करायी गयी फोन टैपिंग पर चर्चा की मांग

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि यह जो फोन टैपिंग वाला मामला है, यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली बार चीफ व्हिप साहब ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उसमें फोन टैपिंग के कारण से ही कुछ लोगों के विरुद्ध गिरफतारी का काम हुआ। उसके बाद और भी कई लोगों के नाम उसमें थे, जिनके आधार पर आपने एफआईआर दर्ज कराई। हम केवल इस कारण से कि क्योंकि वह फोन टैपिंग किसने कराई, किस अधिकार से कराई और उस अधिकार के कारण से जब आपने एफआईआर दर्ज कराई तो यह तो तय हो गया कि गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी ने उस फोन को टैप कराया। हम यही जानना चाह रहे थे कि वह फोन टैपिंग जिसके द्वारा यह मुकदमा दर्ज हुआ, जिस रैफरेंस में यह मुकदमा दर्ज हुआ, उसका कारण फोन टैपिंग था। यह अधिकृत रूप से सरकार या होम डिपार्टमेंट फोन टैपिंग कराती है अभियुक्तों के ढूंढने के लिए या इस प्रकार के कोई कारण होते हों, जिनको ढूंढने के काम के लिए, पर उसका एक अधिकृत तरीका है। होम डिपार्टमेंट उस पर स्वीकृति लेकर उसके बाद वह कितने भी लोगों का चाहे तो फोन टैपिंग कर सकता है। यह अधिकार उसके पास सुरक्षित है लेकिन यह जो एफआईआर है, यह क्या उस अधिकार के तहत फोन टैपिंग हैं या नहीं है? यह हम जानना चाहते थे इसलिए इस विषय को हम आपके माध्यम से सदन के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं। यह हमारी भावना है।

व्यवस्था

अस्वीकृत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप इतने सीनियर इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं। सरकार में मंत्री भी रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव क्या है, पहले समझ लें। स्थगन प्रस्ताव में ये चीजें नहीं हैं, उसको मैं अलाउ नहीं करूंगा।

मैं स्थगन प्रस्ताव को पढ़ लेता हूं। प्लीज, दोनों पढ़ रहा हूं मैं, please understand it. प्रश्न जिस पर आप उठा रहे है, अख़बार सदन की कार्यवाही को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। टीआरपी बढ़ाने के नाम पर टीवी पर

(श्री अध्यक्ष)

बात हो सकती है। अख़बार इस तरह की न्यूज देकर सेंसेशनल करना चाहें, ऐसा नहीं होगा।

जो प्रश्न पूछा है वह मैं पहले बता देता हूं। प्रश्न पूछा गया है, जिसका जवाब आया है, प्रश्न यह पूछा गया है, क्या यह सही है कि विगत दिवसों में फोन टैपिंग किये जाने के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत, किसके आदेश पर? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें। इसका जवाब दिया गया। इसमें जो आप कह रहे हो कि कोई मेंशन नहीं है।

आपने जो सदन में रखा है, माननीय कालीचरण जी सराफ ने रखा है, वह भी मैं बोल देता हूं। प्रदेश में फोन टैप किये जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकारोक्ति से जनता की निजता भंग होने के संबंध में। यह कानून है। खुद कटारिया जी होम मिनिस्टर रहे हैं। कानून के अंतर्गत फोन टैप होते हैं। टैप करने के लिए कौनसा कानून है, वह कानून इसमें मेंशन कर दिया। अब आप क्या कह रहे हैं? किसकी निजता भंग हुई? किसी की निजता भंग हुई तो आप बताएं कि किसका टैप किया गया फोन। उसका नाम होना चाहिए। सुनें प्लीज, इसमें मेंशन नहीं है, I'm confined to the 'Sthagan Prastav' only, I'm not elaborating what you're saying here. मेरे सामने स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था का सवाल है। उस पर मैं बोल रहा हूं। इस स्थगन प्रस्ताव में आप उठाकर देख लें। उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्तमान विधान सभा के पांचवें सत्र में मेरे द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि राजस्थान पुलिस द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही फोन टैप किये गये हैं। इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि लोगों की निजता भंग हुई है जिसके कारण प्रदेश की जनता आक्रोशित हुई है। एक्ट है, एक्ट का प्रोविजन है। यह होता रहा है। इसमें किसकी निजता भंग हुई? किसी व्यक्ति का नाम होना चाहिए। किसकी निजता भंग हुई, वह इसमें मेंशन नहीं है। जब इसमें मेंशन नहीं है तो स्थगन प्रस्ताव में मेरी व्यवस्था यह है कि यह स्थगन प्रस्ताव के लायक नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक और है।

श्री अध्यक्ष: मैं आगे आ रहा हूं। आगे आ रहा हूं। मैंने यह भी पढ़ा है। यह माननीय राजेन्द्र राठौड़ का है, मैं यह भी पढ़ देता हूं। पहले सुन लें।

(श्री अध्यक्ष)

प्रदेश में चुने हुए जन प्रतिनिधि विधायक, सांसदों एवं केन्द्रीय मंत्रियों के बिना, फिर पढ़ रहा हूं मैं, प्रदेश में चुने हुए जन प्रतिनिधि विधायक, सांसदों एवं केन्द्रीय मंत्रियों के बिना अधिकृत प्राधिकारी की स्वीकृति के पैमाने पर टेलीफोन टैप कर निजी निजता पर हमला किया गया है। आपके पास रिकार्ड हैं तो दे दें मेरे को न। इसमें नहीं होता है। मैं एक रिकार्ड, मैं स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे रहा हूं। आप पार्लियामेंट में भी रहे हैं। सीनियर आदमी हैं। स्थगन प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ है। राजेन्द्र राठौड़ की भंग हुई या कटारिया जी की भंग हुई या फलाने की भंग हुई यह मेंशन नहीं है। so, I can't allow. I'll not allow it. आपको मेरी व्यवस्था को, अध्यक्षीय व्यवस्था है। मैंने सोच-समझकर आपका जो स्थगन प्रस्ताव है, माननीय कटारिया जी, प्लीज, आप समझें मेरे को, मैं अध्यक्षीय व्यवस्था पर बहस करना अलाउ नहीं करूंगा, please understand it very clear. यदि आपको अध्यक्षीय व्यवस्था पर नहीं है तो मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं। स्थगन की मैंने व्यवस्था दे दी है। उस स्थगन के प्रस्ताव पर मैं सदन में चर्चा अलाउ नहीं करूंगा। मैंने स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट है स्थगन प्रस्ताव। आपको चर्चा करनी है, माननीय सदस्य, सबसे पहले संयम लोढ़ा बोलें। अपनी बात कहें ...(व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा, I'll not allow. I'll not allow. ...(Interruption)... I'll not allow.

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात की सीमा पर आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें ...(व्यवधान) आप बैठें ...(व्यवधान) अपना काम करें। हां, बोलें अपनी बात।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गुजरात की सीमा पर आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और पूरे जोधपुर रेंज के हार्डकोर अपराधियों ने गुजरात की सीमा पर अपना अड्डा जमा दिया है ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अभी 2 दिन पहले मंडोर पुलिस को ...

(श्री संयम लोढ़ा)

(व्यवधान) मुखबिर से किसी अपराधी के आने की सूचना मिली। इस पर वहां नाकाबंदी करवाई गई।

श्री अध्यक्ष: कोई रिकॉर्ड नहीं होगा ...(व्यवधान) एक मिनट, संयम जी, रुकें। माननीय कटारिया जी, मैं अंतिम बार बोल रहा हूं। अध्यक्ष की व्यवस्था पर यह जो परंपरा डाल रहे हैं, गलत परंपरा डाल रहे हैं। अध्यक्ष की व्यवस्था पर जो परंपरा आप डाल रहे हैं वह संसदीय इतिहास में आप काला अध्याय लगा रहे हैं। इस काले अध्याय को बर्दाश्त नहीं करूंगा ...(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पुलिस की नाकाबन्दी तोड़कर भाग रहे बदमाशों की गोली से घायल आम नागरिक को आर्थिक सहायता

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा की तरफ से एक गाड़ी बाछौल पाटिये पर आ रही थी। पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। उस गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में बैठे हुए 2 सवारों से पूछताछ की गई। जब उनको कहा गया कि वह अपनी डिग्गी खोलकर दिखाएं तो वह नाकाबंदी तोड़कर भागे। दोनों गाड़ियां रानीवाड़ा की तरफ से आ रही थीं ...(व्यवधान) आगे नाकाबंदी थी लेकिन गाड़ी वालों ने उस नाकाबंदी को भी तोड़ा। कच्चे रास्ते से ...(व्यवधान) गांव की तरफ घुस गए। आगे अपराधी और पीछे पुलिस, खेतों के अंदर दौड़ते रहे। किसानों ने उनको रोकने की कोशिश की। उन गुंडों ने किसानों के ऊपर फायर किये। एक के बाद एक राउंड किये। 5 से 6 राउंड फायर किये। भीमाराम कोली नामक किसान के गोली लग गई, जिसे पहले सिरोही के अस्पताल में ले जाया गया। अभी वह भीमाराम कोली जोधपुर के एम्स अस्पताल में एडमिट है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ के चलते उसको गोली लगी है। धारीवाल साहब बैठे हैं। उस निर्दोष नागरिक को, जिसको अपराधी की गोली लगी है, राज्य सरकार की ओर से सहायता स्वीकृत कराएं। जोधपुर के एम्स में उसका इलाज हो रहा है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप कल्याणकारी सरकार हो, दरियादिल हो, खुले दिल से उनकी मदद करो और इनका पूरी तरह से नाश करो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्री छगनसिंह।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्री रामस्वरूप लाम्बा।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्री हमीर सिंह भायल।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

295.

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री प्रताप सिंह।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्रीमती अनिता भदेल।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्री प्रताप सिंह भील।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्रीमती जाहिदा खान।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

गुड़गांव कैनाल की पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का सीकरी बांध तक विस्तार

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं। हरियाणा सरकार से हुए यमुना जल समझौते के अनुसार कामां विधान सभा क्षेत्र में हरियाणा द्वारा गुड़गांव कैनाल के जरिये उपलब्ध हो रहे पानी की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। वर्तमान में गुड़गांव कैनाल के पानी से कामां

(श्रीमती जाहिदा खान)

विधान सभा क्षेत्र के आधे किसान ही लाभ उठा पा रहे हैं। क्षेत्र के अधिकतम किसान सिंचाई हेतु इस जल का लाभ उठा सकें इसलिए गुड़गांव कैनाल से निकलने वाली पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार सीकरी बांध तक करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव कैनाल से निकलने वाली पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार सीकरी बांध तक करने से हरियाणा द्वारा मिलने वाले पानी का संचय इस सीकरी बांध में किया जा सकेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर इस पानी को विभिन्न वितरिकाओं के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए बारहों महीने उपलब्ध कराया जा सकेगा तथा तालाबों को भरा जा सकेगा, जिससे पशुओं को भी पीने का पानी बारहों महीने उपलब्ध रहे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र में गुड़गांव कैनाल की कुल 36 वितरिकाएं हैं जिनमें से गत वर्ष के बजट में 23 वितरिकाओं को पक्का करने के लिए बजट आबंटित कर दिया है, लेकिन अभी भी 13 वितरिकाएं बची हुई हैं, जिनकी सिल्ट निकालकर पक्का किया जाना है। इन कच्ची वितरिकाओं को बजट आबंटन कर पक्का करवाने से पानी की पहुंच समस्त गांवों तक हो सकेगी तथा गुड़गांव कैनाल से मिल रहा पानी अंतिम छोर तक पहुंचेगा, जिससे किसान लाभांवित होंगे।

अत: गुड़गांव कैनाल की पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी का विस्तार सीकरी बांध तक करने तथा गुड़गांव कैनाल की बची हुई कच्ची वितरिकाओं की सिल्ट निकालकर पक्का करवाने के लिए बजट आबंटन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्रीमती गंगा देवी। पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव जो पढ़ा हुआ माना गया)

बगरू में सड़क से वंचित राजस्व गांव

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं

(श्रीमती गंगा देवी)

कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बगरू में जो राजस्व गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, जिन राजस्व गांवों की जनसंख्या 500 है एवं जिन गांवों की आबादी 250 है, उन गांवों को सड़क से जोड़ा जाए क्योंकि इन गांवों में रास्ते कच्चे हैं, आज तक उन्हें प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा नहीं गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि उक्त समस्या के समाधान हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्देशित कर प्रस्ताव भेजे जाएं ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्री नारायण बेनीवाल।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्री अशोक लाहोटी।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्री हीराराम।

बिलाड़ा में सड़क निर्माण एवं नवीनीकरण

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में पीपाड़ शहर, लूणी एवं मंडोर पंचायत समिति का क्षेत्र आता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की स्थिति बहुत खराब होने के कारण नागरिकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की 115 किलोमीटर सड़कों पर नवीनीकरण की अविलम्ब आवश्यकता है क्योंकि इन सड़कों के अत्यंत क्षतिग्रस्त होने के कारण से यातायात के आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे क्षेत्र में लगभग 130 किलोमीटर सड़कों का निर्माण मिसिंग लिंक योजना के तहत किये जाने की अत्यंत आवश्यकता है, इनके निर्माण से नागरिकों को बहुत राहत मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की सड़कों के निर्माण एवं

(श्री हीराराम)

नवीनीकरण हेतु पुरजोर मांग आपके समक्ष रखना चाहता हूं एवं आशा करता हूं कि मेरी मांगों पर शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की आवश्यक सड़कें निम्नलिखित हैं:-

(1) सोवनिया से रणसी गांव

(2) लाम्बा से तिलवासनी

(3) रावर से कापड़ला

(4) बोयल से सिलारी

(5) बाला से कापड़ला

(6) रूडकली से बिसलपुर

(7) घाणामगरा से बिरावास

(8) रड़या नगर से बोयल इतियादी

(9) भटिण्डा से सावलता

--इत्यादि सड़कें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्री शंकर सिंह रावत।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

श्री गणेश घोघरा।

गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर भर्ती

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दक्षिणी राजस्थान, टीएसपी क्षेत्र के आदिवासी युवाओं को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए अपनी पिछली सरकार में सत्र 2012 में राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना उदयपुर जिले में की थी। कालांतर में सरकार बदली और राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, उदयपुर का नाम व स्थान

(श्री गणेश घोघरा)

बदल दिया गया। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के रूप में बांसवाड़ा में चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि-

(1) जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा की स्थापना के बाद 9 वर्ष हो गए लेकिन इस विश्वविद्यालय में एक भी पद पर प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर एवं अन्य गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती नहीं हो पाई तथा न ही विभागों का गठन हो पाया है। मेरा आपसे निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी युवा जिन्होंने पीएचडी, नैट, स्लेट आदि की उपाधि प्राप्त कर रखी है, करीब 360 युवा हैं जो उक्त पदों पर भर्ती होती है तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

(2) इस जनजाति विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया में जनसंख्या के आधार पर दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी युवाओं हेतु आरक्षण किया जाए क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में क्रमशः मुस्लिम व एससी के लिए भर्ती प्रक्रिया में उक्त वर्ग के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं। इसी आधार पर जनजाति विश्वविद्यालय में टीएसपी के एसटी वर्ग हेतु आरक्षित किया जाए ताकि जनजाति समाज की संस्कृति, कला एवं भाषा का संरक्षण एवं शोध हो सके।

(3) गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय में हिन्दी, अंग्रेजी, विधि, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, ट्राइबल स्टडीज इत्यादि विषयों के विभाग खोले जाएं एवं उक्त पदों पर शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों का सृजन कर यथाशीघ्र भर्ती आरम्भ कर जनजाति के युवाओं को नियुक्ति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में केवल कुलपति की नियुक्ति हो पाई है, बाकी पदों पर संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, उनमें भी जनजाति वर्ग के लोगों को फायदा नहीं मिला है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मनीषा पंवार। (अनुपस्थित)

श्री पब्बाराम।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

(श्री अध्यक्ष)

आधे घंटे की चर्चा।

श्री ज्ञानचंद पारख।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री मदन दिलावर।

(माननीय सदस्य सदन कूप में)

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री भंवरलाल शर्मा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

समिति प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन (क्रम सं. 1 व 2)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 2020-21 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) उपनिवेशन, डेयरी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सिंचित क्षेत्र विकास, सैनिक कल्याण, भू-जल, तकनीकी शिक्षा (कृषि), कला साहित्य, राज्य बीमा, कार्मिक, पुरातत्व, आयुर्वेद, देवस्थान, पर्यावरण, आबकारी, आयोजना, राजकीय उपक्रम, ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी), नगरीय विकास एवं आवासन, युवा मामले एवं खेल, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशुपालन, खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति, चिकित्सा शिक्षा, अल्पसंख्यक मामलात, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, परिवहन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, गृह, ऊर्जा, स्वायत्त शासन, खान, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, वन, कारागार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्व विभाग के वर्ष 2013 के आश्वासनों की क्रियान्विति से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2020-21 का प्रथम प्रतिवेदन।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्ष 2014 एवं 2015 के आश्वासनों की क्रियान्विति से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2020-21 का द्वितीय प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र बुडानिया।

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 2)

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 2020-21, राजस्थान पुलिस फोरेन्सिक सेवा नियम, 1979 से संबंधित समिति के परिपालनात्मक द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री भंवर सिंह भाटी, उच्च शिक्षा मंत्री।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,70,60,17,30,000/- (तीन सौ सत्तर अरब साठ करोड़ सत्रह लाख तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 24 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप डिमांड में भाग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं? डिमांड में भाग लेना चाहते हैं? मैं आपको समय देता हूं।

सदन की चर्चा आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.29 बजे 12.59 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(12:59 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.59 बजे 13.29 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(13:29 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अनुरोध एवं मांग

शासन द्वारा करायी गयी फोन टैपिंग पर चर्चा की मांग

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, दो मिनट बात सुनेंगे? माननीय सदस्यगण, जैसा मैंने सुबह कहा, स्थगन प्रस्ताव में जो कंटेंट मुझे दिया गया था उसके आधार पर मैंने निर्णय किया। अध्यक्ष के निर्णय पर चर्चा नहीं होती है। कोई बिन्दु, जिस पर आप जानकारी देना चाहते हैं, वह जानकारी मेरे चैम्बर में आकर दें, मैं उस सम्बन्ध में सरकार से जानकारी लेकर उस पर वक्तव्य दिलाने का निर्णय करूंगा। आज ही वक्तव्य होगा। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं सब जानते हैं कि हम एक अच्छे Conducive environment में हाउस चला रहे हैं, डिमाण्ड में सभी सदस्य भाग लें, आप डिमाण्ड पर अपनी बात करें। जो पाइंट आप लाएंगे, उसी पाइंट के आधार पर ही तो सरकार जवाब देगी। सरकार को मालूम नहीं, सरकार क्या वक्तव्य दे। मैंने निर्णय किया था कि स्थगन प्रस्ताव का जो कंटेन्ट है और माननीय प्रतिपक्ष के नेता और उप नेता संसदीय परम्पराओं को जानते हैं, अध्यक्ष के निर्णय के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है।

आपने जो बिंदु, उसके अलावा जो तथ्य हैं, जिन तथ्यों के आधार पर सरकार का आप वक्तव्य चाहते हैं, वह मेरे चैम्बर में आकर आप मुझे बताएं, जिससे सरकार उन तथ्यों के आधार पर स्टेटमेंट देगी। सरकार को ही मालूम नहीं है, आप स्टेटमेंट दिलाना चाहते हैं तो स्टेटमेंट, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर तो रिव्यू नहीं होगा और मैं फिर सबको विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि गलत परम्परा डालकर हम सदन की गरिमा को नहीं बढ़ाएंगे। अध्यक्ष का जो निर्णय है स्थगन प्रस्ताव पर, उस पर रिव्यू नहीं हो सकता।

मैं फिर आपसे अपील करना चाहता हूं कि संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करने के लिए आपके पास कोई तथ्य हैं, जिन तथ्यों के आधार पर आपको लगता है कि हमें सरकार का वक्तव्य देना है, आप तथ्य मुझे दें, मैं

(श्री अध्यक्ष)

सरकार को दूंगा, उस आधार पर सरकार स्टेटमेंट देगी, पर मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा, शिक्षा जैसी इम्पोर्टेंट डिमाण्ड, जिस डिमाण्ड पर नौजवान लोगों को, इस बारे में चर्चा है और खुद राजेन्द्र जी इस बात को मान लेंगे कि हमने सोच समझकर पूरी शिक्षा पर चर्चा नहीं करायी है। हमने हायर एजुकेशन, जिसके संबंध में हम सब लोग चिंतित हैं, उसके बारे में चर्चा करवायी है और स्पोर्ट और यूथ के बारे में चर्चा कराई है, जिस बेरोजगारी भत्ते के बारे में आप बार-बार चर्चा करते हैं।

मैं समझता हूं कि ऐसे इम्पोर्टेंट.., प्लीज या तो आप बोल लें, बैठ जाऊं मैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, आप सब संसदीय परम्पराओं को जानते हैं और प्रतिपक्ष के नेता सबसे ज्यादा सीनियर सदस्य हैं, उनके साथ उप नेता, उससे भी ज्यादा सीनियर हैं, मंत्री रहे हैं, अनुभवी रहे हैं और भैरोंसिंह जी शेखावत के साथ उन्होंने ट्रेनिंग ली है, वे संसदीय परम्पराओं को बनाने में मदद करेंगे। स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्ष के निर्णय पर यदि आपका यह व्यवहार है तो यह खेदजनक व्यवहार होगा, लेकिन आप तथ्य लाएंगे, अध्यक्ष की हैसियत से मैं वक्तव्य दिलाने के लिए निश्चित तौर पर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसलिए, मैं आपसे अपील करूंगा, आप अपने स्थान पर जाएं, डिबेट होने दें, डिस्कशन होने दें और आज ही जिन तथ्यों को आप लाएंगे, उन तथ्यों के आधार पर सरकार का स्टेटमेंट दिलाने की व्यवस्था करूंगा। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम आपके आसन को चुनौती नहीं देना चाहते पर, जिस प्रकार के तथ्य सामने हैं, दुनिया के सामने हैं, राजस्थान की हुकूमत ने टेलीफोन टैप करवाए हैं आप किसी भी रूप में, हमारा मंतव्य एक ही है कि इस पर एक बार सदन में चर्चा हो जाए, चाहे वह किसी रूप में हो चूंकि यह प्रमाणिक दस्तावेज हमारे पास हैं, जिसके आधार पर मुख्य सचेतक महोदय ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, टेलीफोन के एक पैन ड्राइव के आधार पर, इसलिए, साहब, चर्चा करवाएं इस पर और चर्चा से पहले, हम आपसे प्रार्थना करेंगे, चर्चा से पहले दूसरी कोई सदन के अंदर कार्यवाही नहीं ली जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): +++ एक्सपोज करना चाहते हैं। राठौड़ साहब, +++ एक्सपोज करना चाह रहे हैं। राजेन्द्र जी राठौड़ +++ एक्सपोज करना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप क्यों कर रहे हैं? तरीका ठीक है, उनका ठीक नहीं है तो आपका ठीक है क्या? अपना ठीक है क्या? अपना ठीक है ये? मेरा काम मेरा है, आपको अधिकार नहीं है, don't teach me. आपको अधिकार नहीं है। आप भी वही काम कर रहे हैं जो काम ये कर रहे हैं। मैं, माननीय कटारिया साहब, आपसे फिर अपील करूंगा, आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, संसदीय परम्पराओं को आप जानते हैं। मैंने सुबह पढ़कर आपको बताया है कि स्थगन प्रस्ताव पर मेरी व्यवस्था यह थी।

मैं फिर कह रहा हूं आपको, स्थगन प्रस्ताव के इतर जिन पर भी, माननीय राजेन्द्र राठौड़, आपने कहा, यदि आपके पास वे तथ्य हैं कि डिप्टी चीफ व्हिप के आधार पर हम करना चाहते हैं, मुझे तथ्य दें, मैं सरकार को तथ्य दूंगा, जिससे सरकार उन तथ्यों के आधार पर ही स्टेटमेंट देगी। ब्लाइंड तो स्टेटमेंट होगा नहीं। ब्लाइंड स्टेटमेंट दिलाने का मतलब अध्यक्ष की व्यवस्था को आप बदलना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह परम्परा ठीक नहीं है। मैं आपसे अपील करूंगा, आप डिबेट होने दें, आज ही चर्चा होगी, आप जो तथ्य देंगे, उन तथ्यों पर सरकार से पूछकर समय मैं आपको निर्धारित करके दूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप और हम सब मिलकर संसदीय परम्परा को बनाएं और आपकी उपस्थिति में, कटारिया साहब, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, अध्यक्ष के स्थगन प्रस्ताव को रिव्यू नहीं करवाना है। आपके पास जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर मैं सरकार से जानकारी लेकर आज ही वक्तव्य करवाऊंगा और इम्पोर्टेंट डिमाण्ड में आप भाग लें, सभी सदस्यों से निवेदन है। मैं आशा करूंगा कि आप मेरी अपील पर ध्यान देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, न तो अध्यक्षीय व्यवस्था को हम चुनौती दे रहे हैं और न ही हम चुनौती देना चाहते हैं पर मैं आपसे विनम्र प्रार्थना यह कर रहा हूं कि विषय इतना गंभीर है और जो तथ्य आप और मैं और सारी राजस्थान की जनता पिछले लम्बे समय से जानती है, जिस डाकूमेंट पर आई हुई है, हम चाहते हैं कि ऐसे विषय को छोड़कर, हम लोग चर्चा में आएंगे, यह हमारे लिए भी संभव नहीं है।

मैं यह चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो पहले चर्चा हो, फिर उसके बाद आप सदन चलाएं, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि इनको भी तैयारी करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के डाकूमेंट, जिस प्रकार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के इनको कागज लेने होंगे, विभाग से भी लेने होंगे, मैं सोचता हूं इनकी अपनी परेशानी को समझ रहा हूं कि बिना तथ्यों को इकट्ठे किये ये भी कोई जवाब एकदम सीधा दे देंगे, यह संभव नहीं है।

मैं चाहता हूं कि आप इस चर्चा को कल रख दीजिए आज हम, हमारी अपनी भी मजबूरी है कि इतने महत्वपूर्ण विषय को हम ऐसे खाली तो नहीं जाने देंगे, जिसके ऊपर सरकार कभी भी जा सकती है। जिन तथ्यों के आधार पर है, इस कारण से हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, हमारी अपनी भी स्थिति यह आई है कि जिन डाकूमेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में जो रिकॉर्ड पर नाम-पते आए हैं कि इन लोगों के वर्जन रिकार्ड हुए हैं और उनके कारण से यह केस जो है, वह एसओजी में 4-3 एफआईआर दर्ज हुई हैं, इसलिए आप अपनी जगह, हम आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि बिना चर्चा के हाउस हम लोग चलाने की स्थिति में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, एक मिनट। आप यह तो मानेंगे कि कोई भी तथ्य सदन के परव्यू पर नहीं है इस मोमेंट में, आप यह मानेंगे? आपने स्थगन प्रस्ताव दिया, यही तो सदन में चर्चा है, इसी पर चर्चा होनी है, इस पर चर्चा संभव नहीं हो सकती, नये तथ्य आपने कोई सदन में रखे क्या? आप नये तथ्य रखेंगे तब मैं सरकार से जवाब लेकर तो स्टेटमेंट करवाऊंगा। आप खुद सीनियर आदमी रहे हैं, आप यह कहें कि तथ्य भी नहीं और आप हाउस को एडजर्न कराएं, हाउस डिबेट करे, मैं समझता हूं यह परम्परा, गलत परम्परा होगी। मैं फिर विनम्र निवेदन कर रहा हूं आपको, हाउस में आज ही चर्चा होगी। आप जो तथ्य हैं, मुझे दें, मैं सरकार से तथ्य लेकर आज ही टाइम फिक्स करूंगा कि आज ही उस पर चर्चा हो, लेकिन यह प्री-कंडीशन हो कि नहीं, साहब, हमारा इम्पोर्टेंट....सदन के पास क्या है, आज की डेट में कुछ भी नहीं है। आपकी जो एफआईआर है, सदन के पास नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, अगर आप बोलने की अनुमति देते तो हम सारी चीजें रख देते, अगर आप अनुमति दे देते। मेरा और मालवीय नगर...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं किस पर बोलने की इजाजत देता आपको? नहीं, मैं किस पर बोलने की इजाजत देता? स्थगन प्रस्ताव मैंने

(श्री अध्यक्ष)

रिजेक्ट किया, मैं किस पर बोलने देता? आप चाहते हैं दो मिनट में अपनी बात कहकर खतम कर देते? आपका विषय इतना इम्पोर्टेंट है कि स्थगन प्रस्ताव पर दो मिनट बोलकर खतम कर दो, आपका स्थगन प्रस्ताव इम्पोर्टेंट इश्यू विषय इसमें आपने कोई लिखा है, जो आपने एफआईआर के बारे में मैंशन किया गया कि महेश जोशी की एफआईआर, कहीं लिखा है क्या आपने? प्लीज राजेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप मेरा पन्ना पढ़ें।

श्री अध्यक्ष: हां, पढ़ लिया मैंने। फिर दुबारा पढ़ लेता हूं, ध्यान से सुन लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उस प्रस्ताव में।

श्री अध्यक्ष: मैं दुबारा पढ़ लेता हूं, प्रदेश में चुने हुए जन प्रतिनिधि, विधायक, सांसद एवं केन्द्रीय मंत्रियों के बिना अधिकृत प्राधिकार की स्वीकृति के पैमाने पर टेलीफोन टैप पर निजता हनन का मामला। आप मुझे बता दें, आपने कोई रिकॉर्ड में, प्लीज सुनें, अंडरस्टैंड। किस एमएलए, किस एमपी के टैप का, आप बता दें, मैं स्टेटमेंट ले लूंगा, मैं स्टेटमेंट सरकार का ले लूंगा, आप लिखें एमएलए ये, एमपी ये, इसका टैप लो। प्लीज अंडरस्टैंड इट, अभी हाउस में कुछ भी नहीं है। आपके पास कोई भी जानकारी होगी, आप ले कर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आप हमें बुला लें, मैं आपको सब कुछ दूंगा। आप हमें चैम्बर में बुला लें, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। ये दस्तावेज हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, आपको नहीं बोलना है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं फिर आपको कह रहा हूं। दो मिनट रुक तो सकते हैं आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप एक बार स्थगित करके, इसको आपके कमरे में बात करें तो वह ज्यादा ठीक रहेगा, यहां इस प्रकार से सदन में आपसे बात करना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: तो मैं फिर इस अंडरस्टेंडिंग पर हाउस को एडजर्न करता हूं, आप मेरे चैम्बर में आएंगे, तथ्य मेरे सामने लाएंगे, तथ्यों के आधार पर सरकार का ध्यान लाऊंगा, सरकार स्टेटमेंट देगी, लेकिन डिमाण्ड होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.39 बजे 14.09 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(14:09 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अनुरोध एवं मांग

शासन द्वारा करायी गयी फोन टैपिंग पर चर्चा की मांग

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंतिम बार अपील कर रहा हूं। कटारिया जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि डिमाण्ड डिस्कस होने दें। जो तथ्य मेरे सामने लाये, माननीय सदस्य, नहीं सुनना आपको, आपका अधिकार है। आपको पूरा अधिकार है अभिमान करने का, नहीं करने का। मैं, माननीय कटारिया साहब, फिर निवेदन कर रहा हूं कि सदन में गलत परम्परा नहीं डालें। स्थगन प्रस्ताव पर मेरी व्यवस्था को मैं रिव्यू नहीं करूंगा। आप जो तथ्य सदन में लायेंगे, उन तथ्यों के आधार पर सरकार से जानकारी लेकर मैं निश्चित तौर पर आज ही उस पर चर्चा करवाऊंगा, पर मैं इस इम्पोर्टेंट डिमाण्ड पर आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि इस डिमाण्ड में आप भागीदारी निभाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, नहीं। जिस प्रकार का गंभीर विषय..

डॉ. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक):...(व्यवधान) हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान) माननीय कटारिया जी,...(व्यवधान) कटारिया जी, यह क्या कर रहे हैं, बताओ (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

डॉ. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) यह तो बहुत अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी राठौड़ साहब, इधर भी मुंह कर लेते न आप। आप इधर मुंह कर रहे हैं, इधर भी मुंह कर लेते न। कम से कम आपके लीडर खड़े होकर बोल रहे हैं और आप उधर मुंह करके हल्ला करवा रहे हैं, यह ठीक है क्या? आप इतने सीनियर आदमी हैं और कम से कम आप इतनी गरिमा को तो नहीं बदलें कि लीडर बोल रहे हैं और आप इसमें इश्यू बनाकर काम करना चाहते हैं। ...(व्यवधान) आप लीडर हो, आप इनसे बहस कर रहे हो। ...(व्यवधान) बहुत अच्छा काम हुआ है। बैठें आप नहीं समझ में आए तो। आपको ज्यादा जानकारी है तो एफआईआर लॉज कराओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, आपने जो बताया कि चर्चा कराने को आप तैयार हैं। हमारा आग्रह इतना ही है कि विषय इतना इम्पोर्टेंट है और हम यह चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा पहले हो जाए, फिर उसके बाद अगर आप बिजनस पर आना चाहे ...

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, मैं फिर कह रहा हूं, सदन के पास क्या है जिस पर मैं चर्चा कराऊं, क्या चीज है मेरे पास? कोई आपका पाइंट है, कोई लिखी हुई चीज है मेरे पास? मेरे पास कोई चीज लिखी हुई नहीं है। हवा में मैं चर्चा नहीं कराऊंगा, मैं हवा में चर्चा नहीं कराऊंगा। जो तथ्य हैं वह मुझे दे दें। तथ्य तो मेरे पास हैं ही नहीं और आप कह रहे हैं कि कराएं, तथ्य के बिना मैं नहीं कराऊंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो स्थगन प्रस्ताव है उसमें एमएलए, मंत्री के ऊपर लगाये हुए आरोप हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, स्थगन प्रस्ताव पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं, उसको मैं रिव्यू नहीं करूंगा। आपके पास कोई तथ्य हैं, वह रखें। मैं सरकार से तथ्य लेकर उसके बाद चर्चा कराऊंगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन अपोजिशन का यह रुख संसदीय लोकतंत्र में ठीक नहीं है। मैंने स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी, वह रिव्यू नहीं हो सकती। मैं इस बात पर ओपन हूं, आपके पास कोई तथ्य हैं जो आप चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, वह लिख कर दें। उन्हीं पर तो मैं मंत्री जी से जवाब लूंगा। सरकार से हवा में क्या चर्चा कराऊंगा मैं। कोई चीज ही नहीं है मेरे पास तो मैं सदन में क्या चर्चा कराऊंगा। ...(व्यवधान) धन्यवाद, नमस्कार, नहीं समझ आया? ...(व्यवधान) कोई तकलीफ नहीं है। कटारिया जी, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, अभी तक मैंने चर्चा शुरू नहीं की है ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, जो देवनानी जी के

(श्री अध्यक्ष)

साथ काम किया मैं वह काम नहीं करना चाहता। मैं खड़ा हूं और आप बोल रहे हैं ...(व्यवधान) आप निकले हुए ही हो, क्या निकालो ...(व्यवधान)

आय-व्ययक पर चर्चा, शिक्षा, कला, वाद-विवाद पर चर्चा ...(व्यवधान) डाक्टर जितेन्द्र सिंह।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत विश्व में शिक्षा का केन्द्र था और जब ह्वेनसांग आये थे, उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान दुनिया में धर्म गुरू है। महात्मा बुद्ध, भगवानमहावीर, आदि शंकराचार्य, ये वे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का धर्म क्षेत्र में नाम किया। वेद, पुराण, महाकाव्य, महाभारत, रामायण और भगवद्गीता के लेखक माननीय तुलसीदास जी, माननीय वाल्मीकि जी, इन्होंने उस वक्त धर्म ग्रंथ लिखे जबकि दुनिया में civilization का ही नाम नहीं था। जो डवलप्ड कंट्री हैं, अमरीका जैसे कंट्री का मात्र 200 साल पुराना इतिहास है। उस वक्त हिन्दुस्तान शिक्षा का केन्द्र था। तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय थे, जहां विश्व के सभी लोग आकर शिक्षा प्राप्त करते थे और भारत का अपना नाम था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान बना तो राजस्थान में मात्र 7 कालेज थे और आज राजस्थान में करीब 1800 कालेज हैं। 51 प्राइवेट सैक्टर की यूनिवर्सिटी हैं, 15 अन्य विश्वविद्यालय हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 13 हजार के करीब स्टाफ है, 13 लाख बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वूमेन एजुकेशन में राजस्थान का रेशो 100 के कम्पेरिजन में 105 है। 105 लड़कियां पढ़ती हैं, 100 लड़के पढ़ते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व के साथ कहना है कि वूमेन एजुकेशन में राजस्थान का सबसे हाईली लिटरेट जिला झुंझुनूं है। अध्यक्ष महोदय 1964 में जब मैं मेडिकल कालेज में था तो झुंझुनूं के मात्र 2 छात्र थे और आज 2021 में अकेले एसएमएस मेडिकल कालेज में 350 बच्चे शेखावाटी के पढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, God has given grey matter equal to everybody; whether he be a son of Maharaja or a son of a common farmer.

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो वैज्ञानिक,

(श्री जितेन्द्र सिंह)

जितने सैटेलाइट आर्य भट्ट से लेकर लास्ट तक बने, डॉक्टर राम रतन मेरे विधान सभा क्षेत्र के हैं और वह आईआईटी देहली के टॉपर हैं। उनकी गरीबी का यह आलम था कि उनके पास पहनने को कपड़े नहीं होते थे। अपने कपड़े अपने तकिये के नीचे रखते थे प्रेस करने के लिए। डाक्टर सुरेन्द्र पॉल मेरे विधान सभा क्षेत्र के हैं और जितने भी सैटेलाइट लांच हुए उनका ग्राउंड कंट्रोल, उसके डायरेक्टर थे डाक्टर सुरेन्द्र पॉल। साधारण परिवारों के बच्चे शिक्षा में जिस तरह से आ रहे हैं। मेरी सिस्टर आस्ट्रेलिया में है। वह कहती है कि भाई साहब, क्या आपके हिन्दुस्तान में विश्वविद्यालय नहीं हैं? मैंने कहा, हमारे टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं। हिन्दुस्तान वह जगह है जहां से हमने बड़े-बड़े वैज्ञानिक दिये हैं। जगदीश चंद्र बसु, सी.वी. रमन, डाक्टर हरगोविन्द खुराना। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्व की यह हालत है कि अगर अमरीका और इंग्लैण्ड में एक दिन के लिये इंडियन डाक्टर और साइंटिस्ट स्ट्राइक पर चले जाएं तो उनकी व्यवस्था चरमरा जाए। उनका जो नासा है, उसमें भारत के वैज्ञानिक हैं और हमारे देश की बेटी ने शहादत दी थी जिसमें लास्ट सैटेलाइट उनका क्रैश हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहूंगा। जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 में हायर एजुकेशन में एससी का रिजर्वेशन 01 परसेंट था, एसटी का रिज़र्वेशन 6 परसेंट था, ओबीसी 21 परसेंट था। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐतिहासिक सच है कि माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने, मैं हायर एजुकेशन मिनिस्टर था, एससी का रिजर्वेशन 1998 में अशोक गहलोत ने 8 से 16 परसेंट किया था, एसटी का रिजर्वेशन 6 परसेंट था, उसको 12 परसेंट किया था। आप कल्पना कर सकते हैं यह गरीब की सरकार में मुख्य मंत्री जी ने, कई सरकारें आईं और चली गईं लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने एससी, एसटी का रिजर्वेशन डबल किया, यह एक ऐतिहासिक फैक्ट है। मैं प्रतिपक्ष से कहता हूं, आप उस हिस्ट्री को निकाल कर देखो कि राजस्थान के लिये किसने क्या किया है। साधारण परिवारों के बच्चे आज आई.ए.एस. और आर.ए.एस. बन रहे हैं, हायर एजुकेशन में टॉपर बन रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मिराज के पायलेट ने, जो पाकिस्तान पर पहला स्ट्राइक हुआ था, उसमें वह साधारण-से गांव का

(श्री जितेन्द्र सिंह)

लड़का खेतड़ी का था, जो मिराज में लीड कर रहा था। मुझे दु:ख है कि आज इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस तरह का माहौल हो रहा है, यह हम सब के लिए एक बड़ी शर्म की बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा को कहना पड़ा था, सावधान अमेरिकन्स, हिंदुस्तान के लड़के आ रहे हैं, तुम्हारे जॉब्स छीन लेंगे, वे तुमसे ज्यादा पढ़े-लिखे लड़के हैं। इतने बड़े अमेरिका पर आज पूरा कंट्रोल है। राष्ट्रपति को इस बात के लिए झुकना पड़ा और इस बात के लिए अपने लड़कों को आगाह करना पड़ा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में उच्च शिक्षा की मीटिंग हो रही थी। मैं उस मीटिंग में अंग्रेजी में बोल रहा था और कर्नाटक के मंत्री हिंदी में बोल रहे थे। जब शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि यह नजारा क्या हो रहा है, आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं और कर्नाटक के मंत्री हिंदी में? मैंने कहा कि मंत्री महोदय, यह मेरी मजबूरी है कि मैं पिछड़े स्टेट राजस्थान से आ रहा हूं और मैं अंग्रेजी में बोलकर बताना चाहता हूं कि राजस्थान पिछड़ा नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, गेम्स के अंदर राजस्थान का अपना बहुत बड़ा नाम है। आज हमारे हाउस में कृष्णा पूनियॉ बैठी हैं, वे पद्मश्री हैं, ये विश्व में डिस्कस-थ्रो में छठे नंबर की खिलाड़ी हैं। कैलाश त्रिवेदी आज नहीं हैं। स्व. श्री कैलाश त्रिवेदी भारत की बॉलीवाल टीम के सदस्य थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाउस के लैजिस्लेटर्स किस स्तर के थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेजर ध्यानचंद, मैं अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर और मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने मेजर ध्यानचंद के नाम से हमारे स्टेडियम बनाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी बना है। 1936 के बर्लिन ओलम्पिक में एडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को कहा था कि आप वहां सूबेदार हो, आप मेरे यहां आओ तो मैं आपको जर्मनी में मार्शल बना दूंगा। मेजर ध्यानचंद ने कहा कि मैं मेरे भारत में ही खुश हूं। मेजर ध्यानचंद ने उस वक्त यूएसए की टीम को 24 गोल से हराया था। उसके बाद अमेरिका की टीम आज तक हॉकी खेलने के लिए नहीं उतरी।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक लड़की है, जिसके पांव में स्पाइक्स नहीं थे, उसने लगातार 51 गोल्ड

(श्री जितेन्द्र सिंह)

मैडल अपने करियर में जीते, जिसके पास स्पाइक्स भी नहीं थे। आज मैं ऐसे खिलाड़ियों को डैडिकेट कर रहा हूं स्टेडियम बनाने के लिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद ने कहा था - 'make the nerves of steel' यह मैसेज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी 'His Highness' ने विश्व हिंदू सम्मेलन में शिकागो भेजा था। स्वामी विवेकानंद ने कहा है - it's a message to the new generation, "make the nerves of steel and muscles of iron, nobody can check your way". यह नयी पीढ़ी के लिए संदेश है। आपने मुझे समय दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में वुमेन एजुकेशन में नंबर वन पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 हजार सैनिक हैं। मैं अंत में बोलना चाहूंगा कि मैं एक शहीद की मां के घर मुख्य मंत्री जी का कागज लेकर गया था और उससे कहा था कि मां, मुख्य मंत्री जी ने यह तोहफा भेजा है। उस मां ने कहा, डाक्टर साहब, इस तिरंगे के ताबूत में लिपटा मेरा बेटा है, वह सो रहा है। इसके पिता बांग्लादेश की वार में शहीद हुए थे। मैंने मेरे बेटे को जीजाबाई की तरह पढ़ाया था कि तुम्हें तुम्हारे पिता का बदला लेना है। आज मेरा बेटा अपने बाप का बदला लेकर ताबूत में लेटा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी मां ने जो अंतिम शब्द कहे, उसने कहा कि डाक्टर साहब, मेरे पोते को फौज में भेज दो, मेरे लिए यह बड़ी बात होगी। इसलिए शेखावाटी में कहा है

माई ऐड़ा पूत जण, के दाता के सूर,

वरना रहीजे बांझणी, तू मत न गवावे नूर।

यह कहानी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि मिलिट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट शुरू करें। शेखावाटी में एक लाख फौजी हैं, वहां पर अवसर नहीं हैं। वहां पर मिलिट्री साइंस पंजाब और कर्नाटक की तरह चालू करें। मैं उनको कहना चाहूंगा कि इस सब्जैक्ट में काम करें।

अंत में, स्वामी विवेकानंद के शब्दों के साथ खतम करूंगा, जो कि न्यू जरनेशन को डायरेक्शन हैं, make the nerves of steel and muscles of iron, nobody can conquer you. बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सुश्री रीटा चौधरी।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): "सा विद्या या शास्ति, सा विद्या या

(सुश्री रीटा चौधरी)

विमुक्तये": अर्थात् जो हमें अनुशासित करती है, वह विद्या है, जो हमें मुक्ति देती है, वह विद्या है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, हर देश के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का उच्च शिक्षा तंत्र विश्व के अंदर तीसरे स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चीन है और उसके बाद भारत का उच्च शिक्षा तंत्र आता है। अध्यक्ष महोदय, विगत 70 वर्षों के अंदर देश के विश्वविद्यालयों के अंदर साढ़े ग्यारह परसेंट की बढ़ोतरी हुई, महाविद्यालयों में साढ़े बारह परसेंट की बढ़ोतरी हुई, विद्यार्थियों की संख्या में 60 परसेंट की बढ़ोतरी हुई और शिक्षकों की संख्या में 25 परसेंट की बढ़ोतरी हुई। राजस्थान आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे आ गया है। प्रदेश में 12 सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, 300 सरकारी कॉलेज हैं और 900 बी.एड. कॉलेज हैं और अनगिनत प्राइवेट कॉलेज हैं।

कोरोना के कारण राज्य की कमजोर राजस्व आमदनी के बावजूद हमारे बजट 2021-22 में सम्माननीय मुख्य मंत्री जी की उच्च शिक्षा के लिए जो घोषणाएं थीं और जो फैसले थे, वे सराहना के योग्य हैं। अध्यक्ष महोदय, जोधपुर में 400 करोड़ रुपये लागत से Fintech Digital University और जयपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से Institute of Advanced Learning की डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलने की जो घोषणा की, वह हमारे मुख्य मंत्री के कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक जीता-जागता उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि 7वें पे-कमीशन के बाद हमारा जो उच्च शिक्षा का स्टाफ है, उनके वेतन में बढ़ोतरी हुई, उनकी तनख़्वाहें बढ़ीं। चाहे किसी की भी सरकार हो, इन सब संस्थाओं को चलाने में एक बहुत बड़ी बाधा हम लोगों के सामने आती है। अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा में आज लगभग दो हजार शिक्षकों के पद खाली हैं। होता यह है कि राजनीतिक दबाव में, जन प्रतिनिधियों के दबाव में, अच्छे शहरों में और अच्छी जगह पर स्टाफ जाना चाहता है, शिक्षक जाना चाहता है। इस राजनीतिक दबाव के चलते हमारे दूरदराज के जो गांव हैं, दूरदराज के जो जिले हैं, वहां पर शिक्षक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे मंत्री महोदय और सरकार को कहना

(सुश्री रीटा चौधरी)

चाहूंगी कि समय आ गया है कि अब हमें कठोर निर्णय लेने होंगे और कठिन कार्यवाही भी करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेजों के अंदर संसाधनों की कमी है। हम सारी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सरकार ने एक 'रेस' योजना बनायी थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होने वाला था, उसमें अभी कोई खास तरक्की नहीं हुई। वह एक अच्छी योजना थी, जिससे हम लोग वंचित रह रहे हैं। हम लोगों को पार्टी लाइन को छोड़कर थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ट्रांसफर पालिसी हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है, वह बनाने की अब जरूरत आ गयी है।

अध्यक्ष महोदय, हम लोग जन प्रतिनिधि हैं और हम वोटों से जीतकर आते हैं। वोटों की राजनीति का दबाव होते हुए, हमारे क्षेत्र की मांग को देखते हुए हम हमारे क्षेत्र में कॉलेज खुलवाने के लिए मुख्य मंत्री महोदय पर दबाव रखते हैं। मैं समझती हूं कि पिछले और अभी के बजट के अंदर बहुत सारे कालेजेज, चाहे वे जनरल कालेज हों, पॉलीटेक्निक कालेज हों, आईटीआई कालेज हों, एग्रीकल्चर कालेज हों, बहुत सारे कालेज खुले। हम लोग केवल क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दें, काफी नहीं, आज क्वालिटी की जरूरत है। मैं समझती हूं कि हमने कालेज बहुत खोल दिये, लेकिन उनको सुचारु रूप से चलाने के लिए अब जरूरत है कि उनको संसाधन उपलब्ध करवाएं और उनमें नवाचार लेकर आएं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, कोरोना ने हमारी जीवन शैली को बदला है। बहुत सारे नवाचार हुए हैं, इस दौरान पिछले एक साल के अंदर। आई.टी. एवं डिजिटलाइजेशन का जमाना है, ई-क्लासेज पर मैं जोर देना चाहूंगी। इसके माध्यम से यूएस के अंदर, यूएस की जो यूनिवर्सिटीज हैं, वह दुनिया भर के अंदर क्लासेज लेती हैं और, अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि एक प्रश्न के जवाब में आपने भी यह बात रखी थी इस सदन के अंदर, आपने कहा था उच्च शिक्षा मंत्री जी को कि क्यों नहीं हम लोग ई-क्लासेज को रैगुलराइज कराएं, ताकि शिक्षकों की जो कमी हैं कालेज के अंदर, उसको दूर किया जा सके। खराब गुणवत्ता की शिक्षा देना भी हमारे युवाओं के भविष्य के लिए खिलवाड़ है। आज गली-गली के अंदर बीएड की कालेज खुल गयी। आज गली-गली के अंदर इंजीनियरिंग कालेज खुली हुई हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बाहर निकालिए इनको।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि कोई लड़का जब इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है और आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि चार में से एक को ही रोजगार मिल पाता है और इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वह व्यक्ति कोई और काम करना नहीं चाहता। उसको शर्म महसूस होती है। अत: मेरा यह निवेदन है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी पर ध्यान दे।

बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी खोलने का एक दौर चला था। बहुत सारे विधेयक इसी विधान सभा के अंदर लाये गये। मैं जिक्र करना चाहूंगी जयपुर की बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जैसे मणिपाल हुआ, जेएनयू हुआ, अच्छी यूनिवर्सिटीज में उनको माना जाता है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जेजेटी, चुडैला के अंदर एक यूनिवर्सिटी है। उसको सरकारी रियायत पर फ्री जमीन दी गयी। उसको बहुत सारी रियायतें दी गयीं। बहुत बड़ी बिल्डिंग उसने वहां पर बना दी। जब यह विधेयक आया था तो उसके अंदर कहा गया था कि आप यूनिवर्सिटी को डवलप करें लेकिन आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसके अंदर मैनेजमेंट में हिस्सेदारी करें। आस-पास के इलाके के अंदर डवलपमेंट वर्क होना चाहिए। लेकिन मुझे खेद है बताते हुए कि आज जो जेजेटी यूनिवर्सिटी है चुडैला की, उसके अंदर पीएचडी की डिग्रियां इस तरीके से बांटी जा रही हैं, 13-14 हजार से ऊपर डिग्रियां वहां पर बांटी जा चुकी हैं। न वहां पर वीसी हैं, न वहां पर शिक्षक हैं। इतनी बुरी हालत में वह यूनिवर्सिटी चल रही है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि प्रदेश के आर्थिक हालात अच्छे नहीं है। हमें गुणवत्ता वाली फ्री एजुकेशन अब बंद करनी पड़ेगी। आज केन्द्र सरकार सभी आईटीआई, एनआईटी के अंदर, मेडिकल कालेज के अंदर, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में, काफी फीस ले रहे हैं। हम लोगों ने, सरकार ने बजट में जो दो नयी बड़ी संस्थाएं खोली हैं, उसके अंदर अफोर्डेबल फीस रखी जाए ताकि वे संस्थाएं मजबूत हों, वित्तीय प्रबन्धन उनका अच्छा हो।

अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कोरोना के चलते हमारे माननीय चार सदस्य इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत बड़ा दिल रखते हुए हमारे

(सुश्री रीटा चौधरी)

माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनका जो नारा था, 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ', उस अवधारणा को, उस नारे को मजबूती देने के लिए हमारे चार दिवंगत विधायकों के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। परंतु मुझे बड़ा अफसोस हुआ, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सदन में कहा कि मुझे भी कालेज खुलवाने के लिए दिवंगत होना पड़ेगा। बड़ा हास्यास्पद लगता है। मैं बताना चाहूंगी कि मेरे मण्डावा का उप चुनाव था। मेरे पिता जी रामनारायण चौधरी, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए बहुत काम किया, उस समय मैंने हेतमसर के अंदर लड़कियों की कालेज खुलवाई क्योंकि उनकी भावना थी, वे महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन हेतमसर की कालेज रामनारायण चौधरी जी के नाम पर नहीं हुई। उसमें कोई राजनीति नहीं है। तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे, परसराम मदेरणा जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे, जिन्होंने अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने इलाके को, अपनी पार्टी को बहुत कुछ दिया। उनके यहां पर जब वे श्रद्धांजलि देने गयीं तो भोपालगढ़ की कालेज को वहां खड़े-खड़े उन्होंने परसराम मदेरणा के नाम पर करने की घोषणा की। ये बातें होती हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होती हैं। इस बात को समझने की जरूरत थी। उस भावना को समझने की जरूरत थी, जिस भावना के तहत हमारे मुख्य मंत्री ने यहां पर घोषणा की और हमारे दिवंगत विधायकों के नाम पर कालेज खोले।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अपने क्षेत्र की बात रखना चाहूंगी। मेरे पास कुछ लड़के आये थे, विद्यार्थी और वे अपनी परेशानी लेकर आये थे। हमारे यहां पर सहायक आचार्यों की परीक्षा अभी होने जा रही है। उनका यह मानना है कि इसके अंदर 2013 के बाद से सैट परीक्षा नहीं हुई। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत उच्च शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें क्योंकि नैट के अंदर हमारे यहां पर जो आरक्षण है, एमबीसी का आरक्षण है, धौलपुर और भरतपुर के जाटों का जो आरक्षण है, वह नैट पर लागू नहीं होता। वहां पर 55 परसेंट के अंदर अनिवार्य है, 55 परसेंट मार्क्स के ऊपर ही वह नैट दे सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उससे पहले सैट की परीक्षाएं करवाएं ताकि हमारे स्थानीय लड़कों को उसके अंदर मौका मिले।

(सुश्री रीटा चौधरी)

दूसरा, मेरे हेतमसर की कन्या राजकीय महाविद्यालय के अंदर उर्दू विषय की बहुत बड़ी मांग है। मैं आपसे मांग करती हूं कि सकारात्मक रूप से जब आप जवाब दें सदन के अंदर इस मांग पर, तो सैट और राजकीय बालिका महाविद्यालय, हेतमसर में उर्दू विषय खोलने की भी घोषणा करें। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे मौका दिया। जय हिन्द, जय भारत।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 24-उच्च शिक्षा और युवा मामले एवं खेल के संबंध में सदन में चर्चा चल रही है। उच्च शिक्षा के मामले में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने जो क्रांति स्थापित की है, एक जमाना था, एक दौर था राजस्थान में चार-पांच यूनिवर्सिटीज हुआ करती थीं। इसी राजस्थान के मुख्य मंत्री ने निजी विश्वविद्यालयों का दौर शुरू किया। आज राजस्थान में कई दर्जन यूनिवर्सिटीज संचालित हैं। पिछले दो साल में, अध्यक्ष महोदय, 116 सरकारी कालेज खोलना, कभी यूं लगता था कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में कभी कोई सरकारी कालेज खुलेगी क्या? धन्यवाद है राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को, इन दो सालों में 116 सरकारी कालेज खोल कर एक नया इतिहास बनाया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने और हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जी ने केवल आम बच्चों का ही ध्यान नहीं रखा, जो हमारे समाज में दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए भी उन्होंने नवीन महाविद्यालय जयपुर में खोलने की घोषणा की है। विशेष योग्यजन विद्यार्थियों हेतु दो नवीन विद्यालय खोल रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, जयपुर में 200 करोड़ की लागत से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, इसके लिए भी उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को, हमारे तकनीकी शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, युवा खेल मंत्री

(श्री बाबूलाल नागर)

जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने तथा कौशल विकास की दृष्टि से राजस्थान में आईटीआई खोलने की, मुख्य मंत्री ने घोषणा की है। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से तकनीकी शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे दूदू में फागी तहसील है, फागी पंचायत समिति है। किसी जमाने में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हमने एक आईटीआई खुलवाई थी लेकिन वह आईटीआई हमने फागी के लिए खुलवाई थी। वह अब माधोराजपुरा पंचायत समिति में चली गई है। हमारे दूदू बंधवाजराज तहसील में चली गई। अब हमारे विधान सभा की फागी पंचायत समिति व फागी तहसील में कोई आईटीआई नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे फागी में एक आईटीआई खोली जाए, जिससे हमारे बच्चों को तकनीकी शिक्षा मिल सके।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, आमजन को तकनीकी जानकारी देने के लिए जयपुर में 200 करोड़ रुपये की राजीव गांधी सेंटर आफ एडवांस टेक्नोलोजी (R-CAT) स्थापित करने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। उसके लिए मैं बहुतबहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी थी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने और उच्च शिक्षा मंत्री जी ने लॉकडाउन होने के बावजूद भी, उच्च शिक्षा में कोविड-19 का सामना करने के लिए, तकनीकी क्रांति का प्रसार करने का काम किया। विद्यार्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और यू ट्यूब चैनल के माध्यम से वार्ड बनाए गए, शिक्षकों के लैक्चर उसमें अपलोड किये गए। इससे निश्चित रूप से कोरोना महामारी के बावजूद भी हमारे बच्चों को सीखने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जैसे भारत सरकार में, उच्च शिक्षा का टीवी चैनल शुरू किया जाए। जैसे यूजीसी का चैनल है पूरे देश में, केन्द्र सरकार का, यूजीसी का चैनल चलता है। इसी तरह मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि राजस्थान में भी, राजस्थान का एक चैनल शुरू किया जाए जिसके माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे बच्चों को सीखने का मौका मिले।

अध्यक्ष महोदय, आज विद्यार्थी जब प्रवेश लेता है, पहले उसको

(श्री बाबूलाल नागर)

ऑनलाइन प्रवेश लेना पड़ता है, फिर छात्रवृति का फार्म भरना पड़ता है, फिर परीक्षा, परिणाम, इसके अलावा उसको तीन बार फार्म भरना पड़ता है। जब किसी बच्चे को स्कोलरशिप मिलती है तो स्कोलरशिप के लिए फार्म भरना पड़ता है। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि तीन बार, बार-बार फार्म भरते हैं। बच्चों का एक्स्ट्रा पैसा लगता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब राजस्थान में प्रवेश फार्म भरा जाए, उसमें सम्पूर्ण जानकारी, उसमें अगर एंट्री कर दी जाती है तो बार-बार फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैकड़ों रुपये खर्च होते हैं ई-मित्र के माध्यम से। आपको केवल 75 प्रतिशत उपस्थिति की जरूरत होती है। केवल यह प्रमाणित करने की जरूरत है। अगर प्रवेश फार्म में ही यह सब मेंशन कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों को बारबार फार्म नहीं भरना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बहुत कालेज खोल दिए गए हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, उच्च शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब हमें जरूरत है उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की। आज हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेशन का काम करती है। नैक करती है। यह नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटिशन काउंसिल (नैक) है। मैं चाहूंगा कि आप गुणवत्ता के मूल्यांकन पर, पूरे राष्ट्र में, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् करती है। पूरे देश का, हमारे हायर एजुकेशन की गुणवत्ता का है, वह राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् करती है, जिसको नैक बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जो नैक है, उच्च शिक्षा की हमारी यूनिवर्सिटी हैं, कालेज हैं। इनकी गुणवत्ता का यह आधार तय करती है। राजस्थान में इसकी सख्त जरूरत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। वह तभी अनुदान प्रदान करेगा, जब नैक द्वारा उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसका ग्रेड दे दिया जाएगा। हम लोग लगातार कालेज खोल रहे हैं, लेकिन नैक के सम्बन्ध में चाहूंगा, सरकार, उच्च शिक्षा मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

राजस्थान में आज ए-ग्रेड में केवल अलवर में कालेज है। इसके अलावा आज बड़ी-बड़ी जगह जैसे भरतपुर, दौसा, बड़े-बड़े ज़िले हैं, लेकिन इन कालेजेज को भी ग्रेड नहीं मिल रही है। मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों, विशेषज्ञों को लेकर एक समिति बनाई जाए। कालेजों को संसाधन प्रदान कर, नैक की ग्रेडिंग हेतु भेजा

(श्री बाबूलाल नागर)

जाए ताकि अच्छी ग्रेड प्राप्त कर सकें। हमारे कालेजों को इसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज कालेज खोल दिए गए। महाविद्यालयों में पद रिक्त हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसके मापदंड के अनुसार छात्र पर जो अध्यापक बताये, 15 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक बताया है। आज हमारी पोजिशन है, 100 अध्यापकों पर एक अध्यापक है। करीब 3 हजार शिक्षकों के रिक्त पद हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान के कालेज हैं, उनमें राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन संस्थान से इनकी ग्रेडिंग करवाइये। जो पिछड़ रहे हैं, उनको उठाने की कार्य योजना बनाइये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज उच्च शिक्षा के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, लेकिन नियमों में मापदंड बना दिए गए हैं। राजकीय विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान ग्रेड के रूप में दिया जाता है। आज राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (नैक) है। यह सी से लेकर ए-ग्रेड तक प्रदान करती है। राजस्थान में नैक ग्रेडिंग की स्थिति बहुत विचारणीय है। अधिकांश कालेजेज के पास नैक ग्रेड नहीं है। नैक ग्रेड नहीं है, तो केन्द्र सरकार की अनुदान योजनाएं हैं, उनका फायदा नहीं मिलता है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि एक विशेषज्ञ समिति बनाकर राजकीय महाविद्यालयों में संशोधन प्रदान कर, अधिकाधिक केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान की योजना बनाई जाए। दो से ज्यादा राजकीय महाविद्यालय हैं, इनके लिए एक योजना बनाकर कार्य किया जाए, तो राज्य को सैकड़ों-करोड़ों रुपये का अनुदान प्राप्त हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा रूसा, रूसा के अन्तर्गत एक अनुदान दिया जाता है। रूसा के अन्तर्गत आधारभूत ढांचे के लिए एक कालेज को दो करोड़ रुपये मिलते हैं। हमारे उसमें एक शर्त है, नैक में जो ए-ग्रेड प्राप्त करता है उसको दो करोड़ रुपये मिलते हैं लेकिन हमारे यहां ए-ग्रेड नहीं होने के कारण। नैक की बी-ग्रेड होना आवश्यक है। हमारे कालेज जो अनुदान से वंचित हो जाते हैं, मैं चाहूंगा कि रूसा के अनुदान से भी हम हमारे कालेजों को सुदृढ़ कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार थी, ग्रामीण शिक्षा सेवा

(श्री बाबूलाल नागर)

नियम 2010 के अन्तर्गत जो शिक्षक थे, उनका हमने समावेश किया, हमारे सरकारी तंत्र में। आज उनकी छोटी-मोटी पेंशन वगैरह की समस्या है। जो कर्मचारी 2004 के बाद पेंशन योजना से वंचित है, मैं चाहूंगा सरकार उस पर विचार करे।

अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो व्याख्याता का पद समाप्त कर चुका है। सहायक आचार्य व सह आचार्य के रूप में इंगित कर दिया गया है। आज भी लोग व्याख्याता के रूप में कहते हैं। मैं चाहूंगा कि यूजीसी के नियम हैं, सहायक आचार्य और आचार्य, उसी के अनुसार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आज निजी विश्वविद्यालयों का दौर आया है, पूरे हिन्दुस्तान में आया है, लेकिन राजस्थान तो सबसे अग्रणी है। निजी विश्वविद्यालय का दौर 2004-05 के बाद लगातार बढ़ रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन संस्थान ने नियमानुसार स्थापना के 6 वर्ष बाद, विश्वविद्यालय को अपनी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए नैक से ग्रेडिंग करवानी चाहिए। यूनिवर्सिटी खोल देते हैं लेकिन उसमें न बच्चे हैं, न बच्चों के बैठने के लिए जगह है, न एक्सपर्ट अध्यापक हैं। बहुत ज्यादा फीस ले ली जाती है, इसलिए राजस्थान में तय कर देना चाहिए कि निजी विश्वविद्यालय हैं, अगर 6 साल का उसका समय हो गया है, तो कम से कम उसकी नैक की ग्रेडिंग कराई जाए। नैक में जो ए और बी लेता है, उस विश्वविद्यालय को रखा जाए, नहीं तो विधान सभा में हमने जिस तरह से निजी विश्वविद्यालय खोले, इसी विधान सभा के माध्यम से ऐसे विश्वविद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। मंत्री महोदय को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति आई, उसमें स्वायत्तशासी महाविद्यालय को प्रोत्साहन देने की बात की है। आज राजस्थान में स्वायत्तशासी महाविद्यालय नहीं है। अलवर में ही मात्र एक स्वायत्त शासन महाविद्यालय है। ऐसी स्थिति में जब स्वायत्त शासन महाविद्यालय नहीं है तो नई शिक्षा नीति में हमारे लोगों को, हमारे राजस्थान को जो लाभ मिलना चाहिए, उस लाभ से हमारे लोग वंचित हो जाएंगे। स्वायत्त शासन

(श्री बाबूलाल नागर)

महाविद्यालय में वही शिक्षक होते हैं, वही राजकीय महाविद्यालय होते हैं, वही राजकीय, स्वयं का पाठ्यक्रम होता है, स्वयं की परीक्षा लेने की विधि तय करते हैं, शोध का विकास करते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का यह नारा होना चाहिए, उच्च शिक्षा, तकनीकी क्रांति, क्वांटिटी और क्वालिटी का आज राजस्थान सरकार का नारा होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू में भी सरकारी महाविद्यालय है, फागी में भी सरकारी महाविद्यालय है। दूदू में नवनिर्मित भवन, बहुत शानदार भवन हो गया है, लेकिन वहां केवल एक आर्ट्स सब्जैक्ट है। उसमें 4-5 कमरे ही पर्याप्त रहते हैं। वहां 11 बड़े हाल बने हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि मेरे दूदू में जो महाविद्यालय है उसको क्रमोन्नत किया जाए और आर्ट्स के अलावा वहां साइंस और कॉमर्स के भी सब्जैक्ट खोले जाएं।

इसी तरह फागी में जो नया कॉलेज खोला है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी को और उच्च शिक्षा मंत्रीजी को, इन्होंने कॉलेज खोल दिया है, अध्यापक लगा दिये हैं और बिल्डिंग का जो मामला है, बिल्डिंग भी खनिज वाली योजना में, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने डाइरेक्शन दे दिये हैं और मेरे पास पत्र भी आ गया है कि 6 करोड़ रुपये की राशि, माइनिंग वाली योजना से, जिला फंड से हम आपके यहां स्वीकृत कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का, बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं, हमारे खेल मंत्रीजी का अभिनन्दन करता हूं कि खेल के सम्बन्ध में, आज के नौजवानों का मामला है, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छी यह घोषणा की है, हर ब्लॉक लेवल पर आप ध्यानचंद स्टेडियम बनाएंगे। यह बहुत काबिल-ए-तारीफ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इसमें भामाशाहों का पैसा भी जोड़ा है, आपने इसमें एम.एल.ए. और एम.पी. का भी जोड़ा है और हमारा यह सारा बजट भी जोड़ा है, उतना पैसा सरकार देगी। यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत कामयाब योजना है। आज बच्चे गांव में प्रैक्टिस करते हैं, रोड पर घूमते हैं। सुबह-सुबह जब गांव में जाते हैं, पांच बजे बच्चे रेस करते हुए मिलते हैं, बहुत दुआएं देंगे इस राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य

(श्री बाबूलाल नागर)

मंत्री को, इस राजस्थान के गरीबों और नौजवानों के मसीहा अशोक गहलोतजी को। मैं इसका समर्थन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन ने भूमि सुधार कानून, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अनेक प्रगतिशील कानून राजस्थान की जनता को दिये हैं। आज इस सर्वोच्च सदन में आपके द्वारा दी गई व्यवस्था के विरोध में यह काला अध्याय भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है कि जब प्रतिपक्ष का नेता +++ इस सदन के अन्दर कर रहा है। पूरे राजस्थान की जनता यू-ट्यूब चैनल के माध्यम से देख रही है कि जब आज राजस्थान के नौजवानों की पढ़ाई के लिये चर्चा करने का निर्णय इस सदन में हुआ है, तब देश की एक प्रमुख पार्टी के लोग किस तरीके का आचरण इस सदन में कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। इन्होंने कर्नाटक में विधायक खरीदे, इन्होंने गोवा में विधायक खरीदे, इन्होंने मध्य प्रदेश में विधायक खरीदे, इन्होंने अरुणाचल में विधायक खरीदे, राजस्थान के अन्दर इनको मुंह की खानी पड़ी। ये जो इस सदन के अन्दर शोर कर रहे हैं, गैर मर्यादित आचरण कर रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं, ये +++ निर्देश पर कर रहे हैं। उस +++ को अशोक गहलोत के सामने मुंह की खानी पड़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का मंत्री +++ जो विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाह रहा था, उसके इस प्रयोग को बेनकाब किया गया। आज ये यहां हल्ला कर रहे हैं। यह सारा उस असफलता का नतीजा है। ये इलैक्शन बांड लाये और देश के अन्दर काले धन को अपनी पार्टी के खाते में इकट्ठा करने का काम किया। विदेशों से जो चंदा आ रहा था, उसका प्रावधान खतम कर दिया कि उसका सोर्स बताने की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का यह दिन प्रजातंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। प्रतिपक्ष के नेता और इनके उप नेता का नाम काले अक्षरों के अन्दर लिखा जाएगा कि जब राजस्थान का यह सर्वोच्च

(श्री संयम लोढ़ा)

सदन नौजवानों की पढ़ाई के बारे में बात करना चाह रहा था, कैसे नौजवानों की पढ़ाई हो, कैसे उनका भविष्य बने, तब ये अपने +++ प्रलाप को प्रदर्शित कर रहे थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह राजस्थान, यह हमारी यूनिवर्सिटी, जिन्होंने वी.वी. जॉन जैसा वाइस चांसलर दिया, उन्नीथान (Unnithan) जैसा वाइस चांसलर दिया और हमारे मुख्य मंत्री के क्षेत्र में कैसे-कैसे शिक्षक और प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर नामवर सेन, सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन अज्ञेय, एक से एक नामवर लोग राजस्थान के अलग-अलग विश्वविद्यालयों में रहे हैं। आज क्या हालात बन रहे हैं? आज एक विश्वविद्यालय का कुलपति ए.सी.डी. के द्वारा ट्रैप किया जा रहा है। अनेक विश्वविद्यालयों के अन्दर जांचें हो रही हैं। जो स्तर उच्च शिक्षा का राजस्थान में गिरा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे सदन को एकजुट हो करके हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में इस सदन में चर्चा करनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो हमारी प्राथमिकता पर होना चाहिए, पुस्तकालय, आज हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेज में पुस्तकालय हमारी प्राथमिकता पर नहीं रहा। लाइब्रेरियन के पदों पर हम लम्बे समय से भर्ती नहीं कर रहे हैं। इस कारण से, मैं तो आपके माध्यम से विनती करूंगा, यह जो पुस्तकों की खरीद भी है, वह सेन्ट्रलाइज्ड होनी चाहिए, जिससे हम बच्चों की जरूरतों की पुस्तकों को खरीद सकें और हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज, इसके अन्दर बेहतरीन पुस्तकालयों का हम निर्माण कर सकें। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.टी.आई., लम्बे समय से उच्च शिक्षा विभाग में पी.टी.आई. की भर्ती की ओर हमारा ध्यान नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से विनती करना चाहूंगा कि खेलों से न केवल शरीर मजबूत बनता है, बल्कि हमारे बच्चे लीडरशिप सीखते हैं, एक-दूसरे के अन्दर विश्वास करना सीखते हैं। जो खेलता है, वह रोज हारता है, वह रोज जीतता है। खेल पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से हमारे उच्च शिक्षा मंत्रीजी से विनती करूंगा कि वे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पी.टी.आई. की भर्ती पर ध्यान दें, जिससे हमारे कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटीज हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का माध्यम बन सकें।

(श्री संयम लोढ़ा)

मानानीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा। मैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का आंकड़ा आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। मानव संसाधन मंत्रालय ने जो 2018-19 में सर्वे किया, उसमें उच्च शिक्षा में देश का सकल नामांकन अनुपात, GER 26.3 है और राजस्थान का 23 है। हम सब को इस बात की जरूरत है कि हम इस पर ध्यान दें। हमारे मुल्क का जो GER है वह 26.3 है और चाइना से आप तुलना कीजिए, चाइना का 36 है। हम 26 पर अटके हुए हैं, राजस्थान 23 पर अटका हुआ है।

(15.00 बजे)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

इसलिए इस बात की महती आवश्यकता है कि इस पर ध्यान दिया जाए और जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में हमें यह आईना दिखाया है, उससे हमें अपने देश के अंदर सुधार करने की तरफ प्रयास करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी विनती करूंगा कि प्रति लाख जनसंख्या पर जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन है, उसमें 23 उच्च शिक्षण संस्थान बताये हैं, लेकिन हमारी इस सरकार के लगातार प्रयासों से इसमें सुधार हो रहा है और हम बढ़कर प्रति लाख जनसंख्या 35 पर पहुंच गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने यह सुझाव दिया है कि जिस-जिस उप खंड मुख्यालय पर कॉलेज नहीं है, उन सब पर भी यह कॉलेज खोले जाने चाहिए और हमारे मंत्रीजी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जितने भी उप खंड मुख्यालय ऐसे रह गये हैं, एक-एक उप खंड मुख्यालय पर अशोक गहलोत की सरकार कॉलेज खोलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अंदर 2011-12 की तुलना में अगर हम आज का आकलन करेंगे तो 2018-19 के अंदर 84.4 परसेंट कॉलेज की संख्या में वृद्धि हुई है, इसके लिए मैं मंत्रीजी को और हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा

(श्री संयम लोढ़ा)

कि मंत्रीजी इस पर विचार करें कि हमारे जिन-जिन कॉलेज को रूसा का अनुदान नहीं मिल रहा है, उनको अनुदान कैसे मिल सके, उसके लिए हमें यह तैयारी करनी चाहिए, जिससे आने वाले वक्त में यह सहयोग प्राप्त करके हम हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे मंत्रीजी को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि जो विद्यार्थियों का नामांकन है, वह सामान्य एवं ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग में 4.86 परसेंट बढ़ा है। अनुसूचित जाति का नामांकन 14.36 परसेंट बढ़ा है। अनुसूचित जनजाति का नामांकन 7.36 परसेंट बढ़ा है। अन्य एवं विशेष पिछड़ा वर्ग का नामांकन 9.39 परसेंट बढ़ा है। कुल नामांकन में राजस्थान के अंदर 5.26 परसेंट की वृद्धि हुई है, इसके लिए मैं मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अल्पसंख्यक वर्ग का नामांकन भी, छात्रों का 14.21 परसेंट और छात्राओं का 8.4 परसेंट नामांकन बढ़ा है, जो टोटलिटी में 11.3 परसेंट नामांकन बढ़ा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान के पिछले पन्द्रह साल के उच्च शिक्षा के नामांकन पर यदि हम नजर डालें तो उत्तरोत्तर राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की तरफ अग्रसर है। हमारे प्रदेश में 2005-06 में 4.82 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2006-07 में 11.66 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2007-08 में 3.83 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2008-09 में 3.67 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2009-10 में 7.25 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2010-11 में 4.36 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2011-12 में 15.68 परसेंट नामांकन बढ़ा, जब अशोक गहलोत की सरकार थी। 2012-13 में 7.25 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2013-14 में 9 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2014-15 में 18 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2015-16 में 6 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2016-17 में 23 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2018-19 में 5.12 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2019-20 में 7.18 परसेंट नामांकन बढ़ा, 2020-21 में 5.26 परसेंट नामांकन बढ़ा और इस तरीके से राजस्थान लगातार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान में संकायवार नामांकन में भी शानदार प्रगति हुई है और

(श्री संयम लोढ़ा)

मंत्रीजी, मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि यह सही है कि हमारे संसाधन सीमित हैं, हम रातों-रात बिल्डिंग्स का निर्माण नहीं कर सकते, हम रातों-रात लैक्चरर नहीं लगा सकते तो हमारे बच्चों को सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की कैसे यह सुविधा मिले, उसके लिए जहां एक क्लास में पहले 60 बच्चे बैठते थे, उसको पहले बढ़ाकर 80 किया गया और अब आपने, मंत्रीजी, 25 परसेंट सीट्स बढ़ाकर 100 किया कॉमर्स में और आर्ट्स में, जिससे पूरे राजस्थान के अंदर बच्चों को सरकारी कॉलेज में पढ़ने की सुविधा मिली। वह मां-बाप जो प्राइवेट कॉलेज में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आपके इस निर्णय से राजस्थान के नौजवानों को लाभ हुआ और साइंस में भी आपने 80 से बढ़ाकर 10 परसेंट सीट्स बढ़ाईं और 88 सीट्स प्रति क्लास कीं। मैं इसके लिए राजस्थान के सारे नौजवानों की तरफ से, मंत्रीजी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि हमारे राजस्थान में महिला शिक्षा, 1997-98 में सिर्फ 60 हजार लड़कियां हमारे कॉलेज में पढ़ती थीं, जो 2003-04 में 1 लाख 3 हजार हुई, 2008-09 में बढ़कर 1 लाख 63 हुई और अभी 2020-21 में लड़कियों की यह संख्या बढ़कर 6 लाख 46 हजार हो गयी है जो कि यह साबित करता है कि हमारी सरकार महिला शिक्षा के प्रति और खास तौर पर महिलाओं को उच्च शिक्षा देने के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि 1997-98 में गर्ल्स कॉलेज जो 100 थे, 2003-04 में बढ़कर 183 हो गये, 2008-09 में यह बढ़कर 361 हो गये और मैं यह बधाई दूंगा अशोक गहलोत साहब को कि 2020-21 में गर्ल्स कॉलेज की संख्या बढ़कर 538 हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इस समय राजस्थान में यह दो यूनिवर्सिटी और दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी गर्ल्स के लिए संचालित हो रही हैं। हमारी सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि स्नातकोत्तर कॉलेज में अगर लड़कियों की सीट वेकेंट रहती है, स्नातकोत्तर कालेज में अगर सीट्स खाली रही तो लड़कियों को एडमिशन देने के लिए मिनिमम परसेंटेज में पांच परसेंट की छूट दी जाएगी। यह भी लड़कियों के लिहाज से, माननीय मंत्रीजी, आपका एक बहुत अच्छा निर्णय है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति की वे लड़कियां जिनके मां-बाप इनकम टैक्स नहीं देते हैं, उनको फ्री में बुक्स देने के लिए बुक बैंक स्कीम का एक्सपैंशन करने का सरकार ने निर्णय लिया है। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि 2005-06 में जहां 100 लड़कों की तुलना में 63 लड़कियां ही पढ़ रही थीं, अभी 2020-21 में झंडे गाड़ दिये लड़कियों ने, 100 की तुलना में 105 लड़कियां हमारी हायर एजुकेशन के अदंर पढ़ रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अब यह निवेदन करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी हमारे लिए एक आदर्श स्थान रहे हैं और हमारे राजस्थान की यूनिवर्सिटी का वह समय भी रहा है, जब दुनियाभर के छात्र यहां आकर पढ़ते थे। इस राजस्थान यूनिवर्सिटी में विदेशों से कितने ही छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आज एक ऐसा वातावरण बन गया है कि आज अगर देखेंगे तो बहुत कम संख्या में आपको विदेशी छात्र मिलेंगे। मंत्रीजी, आपको सबसे ज्यादा खास ध्यान देने की जरूरत है, वह है शिक्षकों की व्यवस्था की। हम.....(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या कर रहे हैं ये? मंत्री क्या कर रहे हैं? मजाक बना रखा है। हम अपना गला फाड़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की 61 पोस्ट हैं, 58 वेकेंट हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की 135 पोस्ट हैं, 113 वेकेंट हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 753 पोस्ट हैं, 302 वेकेंट हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यूनिवर्सिटी के अंदर क्लास नहीं लगती। बच्चे क्लास में नहीं जाते और पढ़ाई नहीं होती। हमें अपनी यूनिवर्सिटी का यह माहौल एक इच्छा शक्ति के बल पर बदलना पड़ेगा, अन्यथा न तो हमारे विश्वविद्यालय हमारे बच्चों के भविष्य का माध्यम बन सकेंगे, न केन्द्र बन सकेंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जोधपुर यूनिवर्सिटी का भी आपको निवेदन करना चाहता हूं। जोधपुर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की 45 पोस्ट वेकेंट हैं। आउट ऑफ फिफ्टी थ्री, फोर्टी फाइव वेकेंट। रीडर की, एसोसिएट प्रोफेसर की आउट ऑफ 119, इसमें से 93 वेकेंट और लैक्चरर की

(श्री संयम लोढ़ा)

आउट आफ 484, इसमें से 237 वेकेंट हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? आप कोई भी माध्यम बनाइए, चाहे इसके लिये आपको रियायतें देनी पड़ें। आप रैगुलर प्रोसेस फॉलो करने से पहले गैस्ट फैकल्टी का अरेंजमेंट करिये और उन बच्चों के पढ़ने की आप व्यवस्था करिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा यूनिवर्सिटी में 6 प्रोफेसर हैं, 3 पद खाली पड़े हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के 21 पद हैं, 15 खाली पड़े हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के ...(व्यवधान).. +++ (व्यवधान)..

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा धरना एवं नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य...(व्यवधान)..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): +++..(व्यवधान)... +++। ...(व्यवधान).. +++ माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या कर रहे हैं? ..(व्यवधान)... यह कोई तरीका है इनका? हम बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, यह क्या तरीका है इनका? ...(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप प्रस्ताव रखो। ..(व्यवधान).. माननीय मंत्रीजी, आप प्रस्ताव रखो। ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह बोलने नहीं दे रहे हैं हमको।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। ...(व्यवधान) माननीय मदन दिलावर, सदन से बाहर निकलें। ..(व्यवधान)... माननीय मदन दिलावर सदन से बाहर निकलें। मदन दिलावर सदन से बाहर निकलें। ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, आप प्रस्ताव रखिये।

सदस्य का निलम्बन

मदन दिलावर, श्री, सदस्य का एक सप्ताह के लिए निलम्बन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि ऐसे सदस्य जो सदन की मर्यादाओं के खिलाफ काम करता हो, आसन की अवहेलना करता हो, हर तरह से अशांति पैदा करता हो, उस मदन दिलावर को कम से कम एक सप्ताह के लिये सदन से बाहर निकाल देना चाहिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी भी मैं कह रहा हूं। मैं प्रस्ताव पर वोटिंग कराऊंगा। ..(व्यवधान)... मैं प्रस्ताव पर वोटिंग कराऊंगा। you cannot obstruct.

प्रश्न यह है कि मदन दिलावर को एक सप्ताह के लिए सदन से निकाला जाए?

(स्वीकृत)

मदन दिलावर को एक सप्ताह के लिए सदन से बाहर निकाला गया।

मार्शल, इनको निकालिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

मैं सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करता हूं। कार्यवाही आधे घंटे के बाद होगी। सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.15 बजे 15.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(15.45 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में उच्च शिक्षा को अपने पांच साल के शासन में गर्त में धकेल दिया। जो नोन-पीएचडी वाइस चांसलर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर बनाया, जब पूरे शिक्षक समुदाय ने एतराज किया तो, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने उसकी एक बात नहीं सुनी और राजस्थान विश्वविद्यालय जैसा प्रतिष्ठित हमारा इंस्टीट्यूशन उन्होंने एक नॉन-पीएचडी के हवाले कर दिया। माननीय सभापति महोदय, लोग हाई कोर्ट में गये और उसके बाद हाई कोर्ट ने बी.जे.पी. की सरकार के उस आदेश को निरस्त किया। आज क्या हालात बना दिये, नोन प्रोफेसर अलग-अलग यूनिवर्सिटी के

(श्री संयम लोढ़ा)

अन्दर वाइस चांसलर बनाये गये। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के उच्च शिक्षा के इतने सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब जरूरत इस बात की है कि जो एक अमेंडमेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अपोइंटमेंट के लिहाज से किया गया था, जिसमें राज्य सरकार की सलाह पर कुलपति की नियुक्ति की जाए या राज्य सरकार के कंसल्टेशन से की जाए, उस पर राज्य सरकार के अधिकार प्रभावित हुए और राजस्थान का आदमी, राजस्थान का प्रोफेसर राजस्थान के विश्वविद्यालयों के अन्दर कुलपति नहीं बन पा रहा है, पड़ोस के दूसरे राज्यों से कुलपतियों की नियुक्तियां हो रही हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

अजमेर में आपने देखा होगा किस तरीके से एण्टी करप्शन डिपार्टमेंट ने एक वाइस चांसलर को ट्रैप किया, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में किस तरीके से घोटालों की जांचें हुईं, जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर कैसे जांचें हुईं तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान की उच्च शिक्षा को गर्त में धकेलने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कोटा यूनिवर्सिटी, जहां प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 42 पद स्वीकृत हैं लेकिन इसके बाद भी 19 पद वहां खाली पड़े हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करूंगा कि वे प्राथमिकता के आधार पर उनको भरने का प्रयास करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

माननीय सभापति महोदय, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, अजमेर, महर्षि दयानन्द तो अपने आप में एक नाम अंधेरे में उजाले का नाम है। उस समय जब हमारा समाज अंधकार में डूबा हुआ था, सामाजिक बुराइयों में जकड़ा हुआ था, तरह-तरह के अंधविश्वास से घिरा हुआ था, महर्षि दयानन्द ने उस वक्त सम्पूर्ण भारतवर्ष को जाग्रत करने का काम किया और, माननीय सभापति महोदय, उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनायी गयी है, उसमें 48 एजुकेशन की पोस्ट सैंक्शंड हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने पांच साल कोई काम नहीं किया, आज 48 में से 32 पद महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी, अजमेर में खाली पड़े हुए

(श्री संयम लोढ़ा)

हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि वे प्राथमिकता के आधार पर उन पदों को भरें जिससे हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षण प्राप्त हो सके, उनके सपने साकार हो सकें, अपने मां-बाप के सपने साकार कर सकें, हमारे बच्चे अपने गांव का नाम रोशन कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह भी विनती करना चाहता हूं कि महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर, जहां पर प्रोफेसर की 9 पोस्ट सैंक्शंड हैं और उसमें से इनके कारण 8 पद खाली पड़े हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की 18 पोस्ट सैंक्शंड हैं, इनके कारण 16 पद खाली पड़े हुए हैं। 32 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के सैंक्शंड हैं और इनके कारण 18 पद उसमें से खाली पड़े हुए हैं। 5 साल राजस्थान की उच्च शिक्षा को रौंदने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज यह इसी लायक हैं कि यहां विधान सभा में +++।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री बैठे हुए हैं यह राजस्थान के 70 साल के इतिहास में पहले खेल मंत्री हैं, जिन्होंने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान के खेल जगत को नई ऊंचाइयां दी हैं, राजस्थान के खिलाड़ियों के सपने साकार करने का काम किया है। जो मां-बाप यह सोचते थे कि उनका बच्चा अगर खेलेगा तो उसका भविष्य क्या होगा? जो मां-बाप बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होते थे, हमारे खेल मंत्री ने ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार के माध्यम से करवाए हैं और खिलाड़ियों के लिए नौकरियों की झड़ी लगा दी।

माननीय सभापति महोदय, 2019 में भी खिलाड़ियों को नियुक्तियां मिलीं। 2020 में भी खिलाड़ियों को नियुक्तियां मिली। डिप्टी एसपी स्तर तक की नियुक्तियां हमारे खिलाड़ियों को मिलीं। राजस्थान में 2019 में, 2020 में तो कोरोना के कारण हो नहीं सका लेकिन 2020 में पूरे राजस्थान में खेल का आपने आयोजन किया। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बों-कस्बों के नौजवानों को इस जयपुर शहर में आकर के अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि 2020 -21 में राजस्थान युवा बोर्ड का बजट जो 50 करोड़ था, उसको बढ़ाकर मुख्य

(श्री संयम लोढ़ा)

मंत्री अशोक गहलोत ने इस साल 70 करोड़ करने का निर्णय किया है। हमारे राजस्थान के नौजवानों को यह सरकार एक मंच उपलब्ध कराएगी जिसके माध्यम से हमारे नौजवानों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। कविता, कहानी, गीत और अलग-अलग तरह के युवा महोत्सव का आयोजन होगा। युवा प्रतिभाओं को आगे आने का मंच मिलेगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी खुद पोलो के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आप अगर कभी इनको पोलो खेलते हुए देखेंगे तो आपका सीना भी गर्व से फूल जाएगा कि ऐसा होनहार खिलाड़ी राजस्थान का खेल मंत्री है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने खेल गतिविधियों में भी 800 लाख का जो बजट है, उसको बढ़ाकर के 909 लाख रुपए करने का निर्णय किया है। सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि राजस्थान में जहां स्टेडियम की सुविधाएं नहीं थीं, इस सरकार ने फैसले किये कि अब स्टेडियम बनाएंगे। हमारे बच्चों को प्रोत्साहन देंगे। राजस्थान के प्रत्येक जिले में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो सके और उसके लिए पिछले साल 236 लाख रुपये का प्रावधान था, इस साल इसको बढ़ाकर के 879 लाख करने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, टीएसपी एरिया के मंत्री अर्जुन बामनिया जी बैठे हुए हैं इनको भी पिछले साल 282 लाख रुपये मिले। इस साल स्टेडियम के लिए 370 लाख रुपये देने का निर्णय किया है।

आज क्रिकेट आईपीएल के मैच राजस्थान को नहीं मिल रहे हैं। जितने मैचों का आयोजन हो रहा है, अहमदाबाद में, बॉम्बे, कलकत्ता में हो रहे हैं। राजस्थान का क्रिकेट प्रेमी उन मैचों को देखने की सुविधा से वंचित है। अब राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत जी ने जयपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। इसी तरीके से जोधपुर के बरकतुल्लाह स्टेडियम का भी जीर्णोद्धार हुआ है। आने वाले वक्त में राजस्थान में एक से बढ़कर एक क्रिकेट स्टेडियम होंगे।

हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा का माहौल बेहतर होगा। खेल का माहौल बेहतर होगा। राजस्थान की जनता ने जो

(श्री संयम लोढ़ा)

सपने संजोए हैं, उन सपनों को साकार करने का काम मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, यह विपक्ष जो खड़ा है, उनको आरएसएस में यही ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षा एक अति महत्वपूर्ण विषय है। जिस तरह से नारी का श्रृंगार गहनों से होता है, लेकिन जीवन का श्रृंगार शिक्षा से होता है।

माननीय सभापति महोदय, आज सदन में ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि शिक्षा जीवन और जिंदगी को संवारती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को खड़ा करती है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता।

भारत देश प्राचीन काल से ही शिक्षा में अग्रणी रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय इसका एक उदाहरण है। भारत देश में विदेशों से भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इसीलिए अमेरिका ने भी कहा था कि यहां के युवाओं को पढ़ने की आवश्यकता है, शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है, नहीं तो भारतवासी यहां की नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, बात शिक्षा की चले तो जिन्होंने महिला शिक्षा के ज्ञान की ज्योति जलाई, सावित्री बाई फुले, जो एक आदर्श शिक्षिका, मराठी भाषा की प्रथम कवयित्री, प्रखर वक्ता और समाज सुधारक थी और बालिका शिक्षा पर जोर दिया, देश में शिक्षा का अलख जगाया। सावित्री बाई फुले ने जो वंचित, अछूत और पिछड़े वर्ग की बालिकाएं थीं, उन्हें शिक्षित करने का बीड़ा उठाया।

19वीं शताब्दी में महिलाओं में शिक्षा की अलख बाबा साहेब अम्बेडकर ने, बाबा खड़गे ने और पेरियार जी ने जगायी। बाबा साहेब के हाथ में जो किताब रखी गई है, वह शिक्षा का प्रतीक है। बाबा साहेब का मानना था कि सिर्फ शिक्षा से ही जीवन को ऊपर उठा सकते हैं। अगर व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व ऊपर लाना है तो उसे शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है।

(16.00 बजे)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पिछली बीजेपी सरकार ने बाबा भीमराव अम्बेडकर कॉलेज को बंद कर दिया था और यह कहकर बंद कर दिया कि वहां पर नामांकन नहीं है। बड़ी शर्म की बात है कि शिक्षा के मंदिर को बंद किया। वैसे बाबा साहब का गुणगान करते हैं लेकिन सच्चाई में कॉलेज बंद करके इन्होंने अपनी संकीर्ण और छोटी मानसिकता का प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार नहीं चाहती थी कि कोई भी पिछड़े वर्ग के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले और वे शिखर पर पहुंचें।

माननीय सभापति महोदय, पिछड़े वर्ग के अलावा जो जनजातियां हैं, चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, सभी आदिवासी क्षेत्रों के लिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी से कि जो नये कॉलेज खोले गए हैं, वहां पर टाडा, माडा या जैसे बानसूर में खोलें तो वहां पर देवनारायण योजना चालू है, तो वहां पर बिल्डिंग बनाने के लिए इन योजनाओं से फाइनेंस स्वीकृति लेकर बनाने का प्रयास किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहां के युवाओं को नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान रखना चाहिए जिससे कि पिछड़े वर्ग को वहां पर शिक्षित किया जा सके। भारत देश की शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें भारतीय संस्कृति, कला और संस्कार उसमें निहित होते हैं। रहन-सहन से पता चलता है कि भारतीय संस्कृति कैसी है। भारतीय संस्कृति और कला जो विश्व में प्रसिद्ध है, उच्च शिक्षा में अगर कोई गरीब, मजदूर का बेटा पढ़ लिखकर ऊंची नौकरी पर जाता है तो उस गरीब परिवार का उद्धार हो जाता है और वह घर बनाकर अपने पीछे जो परिवार के सदस्य हैं, उनको भी पढ़ा-लिखाकर नाम रोशन करता है, इसलिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, दीपक जलाकर अंधेरा मिटाया जा सकता है और शिक्षा में पढ़कर जीवन का अंधेरा मिटाया जा सकता है। उच्च शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है। प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो नए कॉलेज खुले हैं, उन कॉलेजों में जहां-जहां विषय व्याख्याताओं की कमी है, वहां पर नए सैट, जेआरएफ, पीजी डिप्लोमा होल्डर युवा हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें रिक्त पदों पर गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाकर एक उन्नत शिक्षा दे सकते हैं, जिससे छात्रों को विषय अध्यापक मिल जाएंगे। ड्राइंग, पेंटिंग और एग्रीकल्चर विषयों की कालांतर में आवश्यकता है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का अच्छे से विकास हो सके। जो बच्चे एससी, एसटी, एमबीसी और गरीब परिवारों से आते हैं, उनकी छात्रवृत्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि देवनारायण योजना से बालिका आवासीय कॉलेज खोलें। वहां पर छात्रावास भी खोलें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा है, रायली, बबेड़ी, देवसण, भगू का बास, मल्लूवास, भूता, शाहपुरा, आलनपुर, मोरोड़ी, नांगल लाखा, परसा का बास, कोठियां, ऊंखलेड़ा, ये ऐसी जगहें हैं, जहां पर बालिका कॉलेज खोलें और देवनारायण योजना से उसका कार्य चालू हो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, बानसूर क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है और कृषि वहां का मुख्य धंधा है इसलिए वहां पर कॉलेज में एग्रीकल्चर सब्जैक्ट खोलें तो वहां के युवाओं को बढ़ावा मिलेगा।

बानसूर में आर्मी में भी सबसे अधिक बच्चे हैं और गेम्स में भी, तो मंत्रीजी से निवेदन है कि पिछड़ा और पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए वहां पर एक स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि युवा छात्र-छात्राओं का शारीरिक, मानसिक विकास हो सके। इससे सामाजिक आपस में मेल मिलाप हो सके, आराम से बच्चे खेल सके, एकजुट होकर छत्तीस कौम के बालक स्टेडियम में खेल सकें।

माननीय सभापति महोदय, बानसूर में जो नया कॉलेज खुला है वहां पर नए पद हैं, एलडीसी के, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, उन्हें भी भरने की आवश्यकता है। बिल्डिंग का काम अभी चालू होगा तो माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि आप कोई कमेटी बनाकर उसे निर्देशित करें, जिससे कि समय-समय पर उसकी जानकारी मिल सके कि किस तरह से कॉलेज बनाया जा रहा है। कोई-सी भी योजना से उसका मद फाइनेंस से स्वीकृत कराएं।

उच्च शिक्षा में बानसूर विधान सभा क्षेत्र में बीएड कॉलेज नहीं है, एसटीसी कॉलेज नहीं है, किसानों के बालकों को बाहर जाना पड़ता है, वहां पर खोलने का कष्ट करें जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बालकों का विकास हो सके। आचार्य के पदों के लिए भर्ती होने वाली है तो उसमें सैट की परीक्षा को भी क्वालीफाइंग मानते हैं, तो आचार्य भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले सैट की परीक्षा करवाई जाए। पहले सैट की परीक्षा होती थी लेकिन पिछली सरकार ने पता नहीं किस कारण से, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, इनका विकास नहीं हो, इस मंशा से उस परीक्षा को बंद कर दिया लेकिन जब आचार्य भर्ती

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

होगी तब उस सैट परीक्षा उसमें क्वालीफाइंग मानते हैं, तो इसे पहले करवाया जाए जिससे युवाओं को नौकरी में हिस्सा मिल सके। इसमें एससी, एसटी, एमसीबी, ओबीसी, इनके छात्र-छात्राओं को इससे फायदा मिलेगा। पिछड़े हुए वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति भी देने की आवश्यकता है। जिस तरह से फीस बढ़ाई जा रही है उसी तरह से छात्रवृत्ति भी बढ़ाई जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कॉलेजों में संविदा पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं दस साल से, पन्द्रह साल से, बीस साल से, वो कर्मचारी चाहे गार्ड हों, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हों, एलडीसी, यूडीसी हों तो उनको नियमित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे बीस-बीस वर्षों से कॉलेजों में काम कर रहे हैं, तो वे दूसरी जगह तो नौकरी करेंगे नहीं इसलिए उनका मानदेय भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण विषय पर प्रतिपक्ष बोलता तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन इन्होंने किया क्या है? आप करते क्या हो? सुनने का माद्दा रखो तो मैं अभी-अभी लिखी एक कविता आपको सुनाती हूं।

सरकार बनने से पहले अच्छे दिन लाने के लिए बोलते थे बार-बार,
अच्छा दिन आयो नहीं, अभी भी एक बार।
काळो धन करोड़ां को कर्‌यो सफेद अनेक बार,
नोटबंदी सूं जनता न मार्‌यो एक बार।
देश न महंगाई की मार सूं मार रहे बार-बार,
विपक्ष काम कर्‌यो नहीं, आंकड़ा गिनाये बार-बार,
स्वच्छ भारत को सपनो दिखायो झाडू लेकर हाथ में,
भारत माता की बात करे, गाय माता रोज मरे पोलीथिन खाकर,
एक बार शर्म करो, यह है भारत सरकार।
क्यों नहीं भारत सरकार रोजगार के रास्ते खोले एक बार,
किसानों की आय दुगुनी करके मार रहे बार-बार,
ये है भारत सरकार।
किसानों को लाकर सड़क पर खड़ा कर दिया,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मरने के लिए छोड़ दिया, ये है भारत सरकार।

महंगाई की दर से बढ़ाकर गरीब को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, ये है भारत सरकार।

धन्य हो राजस्थान के मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत सरकार,

जिसने पक्ष देखा नहीं, विपक्ष देखा नहीं,

राजस्थान का विकास कर दिया अनेक बार, बेशुमार।

धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24 पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, राजस्थान और देश में उच्च शिक्षा पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं राजस्थान की मातृ भाषा राजस्थानी पर बात रखूंगा। 'राजस्थानी' राजस्थान प्रदेश की मातृ भाषा है। इन रो संरक्षण अर संवर्धन करणो राज्य सरकार रो फर्ज है। आजादी पाछै राजकाज र पढ़ाई-लिखाई सूं बारै करीजी, आपणी भाषा आपणे प्रांत में ओपरी होगी। सभापति महोदय, गोवा की कोंकणी मान्यता सूं पहली राजस्थानी भाषा बणगी। झारखण्ड में मगही, भोजपुरी समेत 17 भाषावां, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, मेघालय में खासी अर गारो, सिक्किम में भूटिया अर लेप्चा अर पश्चिम बंगाल में कामनापुरी अर राजवंशी इसी भाषावां हैं जीकी बिना संवैधानिक मान्यता के ही राजभाषा बनाइजगी। इसूं आ बात सिद्ध होवै कि कोई भी राज्य आपणे राज्य की भाषा न बिना संवैधानिक मान्यता के भी राजभाषा को दर्जो दियो जा सके।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राजस्थान में और भाषावां में पढ़ेड़ा प्रतिभा की नौकरी लागै पण राजस्थानी पढ़ेड़ा ही कोई मौको कोनी। ओ अन्याय है। राजस्थानी न बैगी सूं बैगी राजभाषा को दर्जो दियो जाणो चाहिजे। सागै ही स्कूलां अर कालेजां में राजस्थानी विषय को विस्तार करणो चाहिजे। आ म्हारी सदन सूं मांग है।

मैं उच्च शिक्षा पर अपनी बात शुरू करने से पहले राजस्थान में

(श्री बलवान पूनियां)

केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की दो साल पहले हुई नियुक्ति पर कुछ कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, +++, कुलपति, राजस्थान केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर की नियुक्ति राजभवन द्वारा अगस्त माह में तीन वर्षों के लिए की गयी, जिन्होंने 23.08.2019 को पद ग्रहण किया। +++ की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर की गयी क्योंकि, महोदय, वे अपने सेवा काल के दो वर्षों के लिए श्री बी.एल. जोशी, कुलाधिपति, राजभवन, उत्तर प्रदेश द्वारा निलम्बित किये जा चुके थे, जिसकी प्रतिलिपि भी हमने सदन में पहले उपलब्ध करवायी। अत: निलम्बित किये गये संदिग्ध व्यक्ति को शिक्षा के मन्दिर में कुलपति जैसे गरिमामय पद पर आसीन करना राजस्थान के कृषि स्नातक करने वाले विद्यार्थियों पर घोर कुठाराघात है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, इन कुलपति महोदय पर कई तरह के इल्जाम भी हैं, आरोप भी हैं और उन्होंने राजस्थान में कोविड-19 काल में वित्तीय संकट आने के बावजूद भी कई तरह के वित्तीय घोटाले किये, इसलिए उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से मेरी मांग है कि राजस्थान के स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की जांच की जाए।

मेरी दूसरी मांग है, सैट के एग्जाम पर। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि आरपीएससी द्वारा सहायक आचार्य पद के लिए विज्ञापन निकाला गया। इस पद की योग्यता के लिए सैट का प्रावधान है, जिसका आयोजन अंतिम बार 2013 में किया गया था। बहुत सारी योजनाएं राजस्थान में ऐसी हैं जिनका आयोजन 2013 में किया गया, बीच में ये अनपढ़ टाइप के लोग आये, जिन्होंने सारा सौदा बंद कर दिया था। सैट का आयोजन न होने से लाखों विद्यार्थी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने से वंचित हो जाते हैं। एमबीसी, भरतपुर, धौलपुर के जाट वर्ग व अनारक्षित वर्गों के हितों में सैट परीक्षा का आयोजन करवाया जाए, ताकि इन वर्गों के साथ न्याय हो सके।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में पंजाबी विषय में पीएचडी कराने की तरफ दिलाना चाहूंगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ में बहुत सारे पंजाबी परिवार रहते हैं जो पंजाबी भाषा में शिक्षा ग्रहण

(श्री बलवान पूनियां)

करते हैं, इसलिए पंजाबी विषय की महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर में पीएचडी शुरू की जाए।

मैं 2014 के कॉलेज व्याख्याता के शेष परिणाम जारी करने, उनकी नियुक्ति करने की मांग भी दोहराऊंगा, जिसमें हाई कोर्ट ने एसटी-एससी में पांच प्रतिशत की छूट दी, लेकिन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गयी, जो कि एसएलपी वापस लेकर 2014 की व्याख्याता भर्ती को पूरा करने का काम करेंगे। मैं अपने भादरा में राजकीय महाविद्यालय को अगले सत्र में पीजी करने की मांग भी दोहराऊंगा। मैं अपनी यह मांग भी दोहराना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को समय पर दी जाए।

सभापति महोदय, मैं आपको एक आंकड़े की तरफ लेकर जाऊंगा, जो उच्च शिक्षा में देश में हो रहा है। शिक्षा पर खर्च में भारत दुनिया में 136वें नम्बर पर है, लेकिन होमवर्क कराने में भारतीय एक नम्बर पर हैं। शिक्षा पर जो बड़े देशों में बजट का खर्च होता है, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं। नॉर्वे में जीडीपी का 28.97 प्रतिशत और शिक्षा पर खर्च होता है 1.87 प्रतिशत। न्यूजीलैण्ड में 14.95 प्रतिशत और उसका 1 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है, हिस्सेदारी 6.31 प्रतिशत है। अमेरिका में 6.9 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया में 5.9 प्रतिशत, फ्रांस में 5.20 प्रतिशत, जर्मनी में 4.22 प्रतिशत, जापान में 4.08 प्रतिशत। हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा पर खर्च होता है मात्र 2.7 प्रतिशत। उच्च शिक्षा के हालात कैसे सुधरें?

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा में केन्द्र सरकार ने संसद में जानकारी दी कि देश में उच्च शिक्षा के केन्द्रीय संस्थानों में आरक्षित श्रेणी के कितने-कितने पद खाली हैं। एक आंकड़ा यह बताता है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह बात लोक सभा में बतायी कि उच्च शिक्षा में केन्द्रीय संस्थानों में अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी के लिए आरक्षित अध्यापकों की ज्यादा सीटें खाली हैं, वहीं एससी-एसटी यानी अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 40 फीसदी सीटें खाली हैं। सभापति महोदय, प्रबंधन के लिए बेहद प्रसिद्ध भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम में 60 फीसदी से अधिक ओबीसी और एससी श्रेणी के पद खाली हैं, अनुसूचित जाति, एसटी के 80 फीसदी पद खाली हैं। आरक्षित पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। सभापति महोदय, इसका अर्थ है एसटी के लिए आरक्षित 24 प्रतिशत पदों में सिर्फ 5

(श्री बलवान पूनियां)

नियुक्तियां हुई हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में भी आंकड़ा इसी तरह का है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी इंगित करना चाहूंगा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा का तंत्र है। सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। पिछले 70 वर्षों में आजादी के बाद देश में विश्वविद्यालयों की संख्या 40 गुना बढ़ी है। महाविद्यालयों की संख्या 80 गुना बढ़ी है। विद्यार्थियों की संख्या भी 80 गुना बढ़ी है। शिक्षकों की संख्या भी 30 गुना बढ़ी है, लेकिन विकसित देशों में कम संसाधनों में बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर ध्यान दिया गया, जो हिन्दुस्तान में एक तरह से दरकिनार है।

एक ही संस्थान में हजारों विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि भारत में जरूरी बुनियादी सुविधाओं के बिना हजारों कॉलेज चल रहे हैं, जहां केवल कुछ हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने की व्यवस्था है। देश में इंजीनियरिंग और प्रबंधन कॉलेज भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन उनकी गुणवत्ता नहीं बढ़ रही है और न ही इंडस्ट्रीज की बदलती जरूरतों के मुताबिक उनके पाठ्यक्रम अपडेट हो रहे हैं। सभापति महोदय, निजी महाविद्यालय कागज पर तो खोल दिये गये, लेकिन अनियमितताएं व्यापक हैं तथा इनमें सुविधाओं का अभाव है। ये सुविधाएं भवन, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, इंटरनैट, शिक्षकों की योग्यता और संख्या से सम्बन्धित हैं।

हालत यह है कि लाखों युवा मोटी फीस देकर इन कॉलेजों में एमबीए और इंजीनियरिंग की डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। उन्होंने मोदी जी के दो करोड़ नौकरियों के बहकावे में आकर डिग्रियां तो प्राप्त कर लीं, पर उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, हालत यह है कि मोटी-मोटी फीस देकर एमबीए और इंजीनियरिंग की डिग्रियां प्राप्त करने वाले बेरोजगार आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं। जीविकोपार्जन की मजबूरी बहुत ज्यादा उन्हें सता रही है। सभापति महोदय, ऐसे में स्किल इण्डिया का नारा, मेक इन इण्डिया का नारा हवा-हवाई हो गया, फुर्र हो गया। जिस तरह से हायर एजुकेशन से केन्द्र की सरकार ने हाथ पीछे खींचे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि ये अनपढ़ टाइप के लोग देश में अनपढ़ लोगों की फौज खड़ी कर देना चाहते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री बलवान पूनियां)

थोड़े दिन पहले केरल में एक चुनाव था। कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत गये। पत्रकारों ने केरल के मुख्य मंत्री से पूछा कि ये लोग कैसे जीत गये, तो केरल के मुख्य मंत्री ने कहा, वहां पढ़ाई का स्तर थोड़ा डाउन है, इसलिए ये जीत गये। पढ़ाई का स्तर यदि ऊंचा होता तो ये नहीं जीतते। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी इंगित करना चाहूंगा, पिछले चार घंटे से जिस लोकतंत्र की दुहाई ये दे रहे हैं, लोकतंत्र के असली हत्यारे ये ही हैं। 250 लोगों के +++ जिम्मेदार ये ही हैं। किसानों की दुर्दशा के जिम्मेदार ये ही हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

विधायकों को खरीदने की हिम्मत करने वाले ये ही हैं। राजस्थान में इनकी पार नहीं पड़ी, इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनके मरोड़े उठ रहे हैं, इनको गद्दी चाहिए पर सभापति महोदय, गद्दी ऐसे नहीं मिलेगी। यह जो पागलपन है, यह पागलपन प्रदेश की जनता देख रही है, वह पढ़ा-लिखा लोग देख रहा है। मोदी के राज में रोजगार खतम हुए, उद्योग बन्द हुए, उच्च शिक्षण संस्थान बन्द हुए, आईआईएम बन्द हुआ। +++ जेएनयू को बन्द करने वाले लोग ये हैं, जेएनयू को बन्द करने की साजिश रचने वाले ये हैं। हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस में सीटें कम करने वाले लोग ये हैं, प्रोफेसर की सीटें इन्होंने कम की हैं, विद्यार्थियों की सीटें इन्होंने कम की हैं, ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय को तोड़ने वाले लोग हैं। आज इनके पेट में दर्द हो रहा है कि अगर प्रदेश की जनता पढ़ गई, प्रदेश की जनता लिख गई तो ये बर्बाद हो जाएंगे।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मैं इनका आंकड़ा बताता हूं। 2014-15 में इन्होंने बजट में 4.1 फीसदी हिस्सा खर्च करने का प्रावधान किया, 2015-16 में 3.97 प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान किया। सभापति महोदय, मैं केन्द्र का आंकड़ा बता रहा हूं। 2016-17 में 3.66 प्रतिशत, 2017-18 में 3.71 प्रतिशत, 2018-19 में 3.54 प्रतिशत, यानी केन्द्र में इनके आने के बाद उच्च शिक्षा पर बजट का पतन हुआ, +++ जिससे समाज को खतरा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर खर्च होगा, शिक्षा से देश की पीढ़ी आगे बढ़ेगी, शिक्षा से रोजगार होगा, शिक्षा से विज्ञान आगे बढ़ेगा, शिक्षा से कुतर्क खतम होगा, शिक्षा से गलत आदमी नहीं आएंगे इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है।

(श्री बलवान पूनियां)

ये विरोध कल भी कर सकते थे, लेकिन आज इन्होंने इसलिए किया कि जो चार महाविद्यालय खुले, उस दिन नेता, प्रतिपक्ष ने अपनी बात कही कि किरण माहेश्वरी के नाम पर कॉलेज कैसे खोल दिया? अब मुझे भी मरना पड़ेगा, दिवंगत होना पड़ेगा। ऐसी इनकी सोच है। मैं इस सदन में गम्भीर निन्दा करता हूं। हमारे जो चार साथी आज सदन को छोड़कर चले गए, उनके नाम पर जो महाविद्यालय खोले गये, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद पारित करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जब शिक्षा की बात आएगी तो स्वामी केशवानन्द को हम याद करेंगे, शिक्षा की बात आएगी तो हम हमारे गुरुकुलों को याद करेंगे, जब शिक्षा की बात आएगी तो हम एकलव्य को भी याद करेंगे, लेकिन ये क्या हैं, इनको कोई याद नहीं करेगा, +++ पिछले पांच महीने से किसान सड़क पर पड़े हैं, पर इनको कभी दर्द नहीं होता। आज ये कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र तो उस दिन खतरे में था जिस दिन आपने दिल्ली को चारों तरफ से सींखचों में खींच दिया था। लोकतंत्र तो तब खतरे में था जब रावला-घड़साना में आपने गोलियां चलाईं, लोकतंत्र तो तब खतरे में था जब सोहेला में आपने गोलियां चलाईं, लोकतंत्र तो तब खतरे में था जब आपने देश के किसान और नौजवान को सुना नहीं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई। अब सरकार द्वारा यूजीसी का नाम बदलकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इण्डिया किया जा रहा है। सभापति महोदय, नाम बदलने से योजना प्रभावित नहीं होती, नाम कुछ भी बदल दो। हायर एजुकेशन में जिस तरीके से बजट कम किया गया है, नाम बदलने से शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी। सभापति महोदय, जिस तरीके से आईआईटी, आईआईएम, एम्स, यूनिवर्सिटी बेसिक स्तर पर जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा में थी, उनको पीछे ले जाने का काम किया है। पिछले पांच साल में विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों में कितने विद्यार्थी हैं और उनके आनुपातिक शिक्षक और व्याख्याता कितने हैं, इस पर आज बहस करनी है। आज उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कार्य, शोध गुणवत्ता किस स्तर पर किये जा रहे हैं, इस बात पर आज चर्चा करनी है। शोध का स्तर कम हुआ है। निजी विश्वविद्यालयों में सिर्फ फर्जी नाम चल रहे हैं, शोध का काम नहीं हो रहा है,

(श्री बलवान पूनियां)

इसलिए सबसे ज्यादा इन्होंने अपने कार्यकाल में निजी विश्वविद्यालय खोले और आज उनका हित साधने के लिए बैठे हैं कि कहीं सदन में यह बात न आ जाए कि निजी विश्वविद्यालय वाले फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। शोध हेतु प्रवेश करने वाले तथा उच्च शिक्षा के छात्रों का सम्मान किस प्रकार से किया जाए, उच्च शिक्षा तक पहुंचें, उनकी सहूलियतों के बारे में ध्यान रखना होगा। हमारे शिक्षण संस्थानों की भारतवर्ष के स्तर पर, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किस स्थान पर रैंकिंग है, यह हमें देखने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैंने पहले बताया था कि दुनिया में शिक्षा पर खर्च करने वाले देशों में हम 136वें नम्बर पर हैं। हमें महाशक्ति बनाने का संकल्प दिखाने वाले लोग शिक्षा पर पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। सिर्फ नारों से देश महाशक्ति नहीं हो जाएगा, सिर्फ झूठे सुधारों से, नाम बदलने से शिक्षा में हम आगे नहीं निकल जाएंगे, शिक्षा के लिए बजट का दसवां हिस्सा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आज यह बात कहना चाहता हूं कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं पर शोध करते हुए, विभिन्न बुद्धिजीवी एवं शोधार्थियों को आगे आने का मौका देना चाहिए और विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों का स्तर बढ़ाना चाहिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि शिक्षकों और विद्यार्थियों की स्वायत्तता का सम्मान अगर हम नहीं करेंगे तो इसके बाद कोई बड़ा कार्य सम्भव नहीं होगा। विश्वविद्यालयों से बोझिल वातावरण का निस्तारण करते हुए सुरूचिपूर्ण और विचार प्रधान बनाना पड़ेगा। महाविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों के लिए, यूनिवर्सिटी में छात्रों और व्याख्याताओं के लिए बोझिल वातावरण से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। उच्च शिक्षा अधिक प्रभावी, चुस्त, गतिशील और प्रगतिशील विचारों वाली होनी चाहिए। ये जो दक्षिणपंथी लोग शिक्षा की बात आते ही जिस टाइप के नारे लगा रहे हैं, मुझे तो अचम्भा हो रहा है जैसे ये गलती से किसी यूनिवर्सिटी में आगे से चले गये हों तो पता नहीं, गलती से किसी में चले गये तो पता नहीं पर ये अभी तक डैमोक्रेसी की पहचान भी नहीं कर पाये हैं।

सभापति महोदय, भारत को कह रहे हैं कि युवाओं का देश है। मैं

(श्री बलवान पूनियां)

खेल मंत्री से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हर ब्लॉक पर जिस तरीके से महाविद्यालय खोलने की तैयारी चल रही है, खेल मंत्री महोदय, आप पूरे राजस्थान में हर ब्लॉक में इन्डोर स्टेडियम बनाएंगे, हर 12वीं तक के स्कूल में खेल के लिए उचित व्यवस्था करेंगे, थर्ड ग्रेड, सैकण्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड से लेकर हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में यह सुनिश्चित करेंगे कि खेल के लिए वहां कोच है या नहीं। राजस्थान की सरकार से हम लोग इल्तिजा करेंगे कि खेल को महत्व दिया जाए। अगर हमारे बच्चे खेलने के लिए जाएंगे, अगर हमारे बच्चे ग्राउण्ड पर जाएंगे तो कम से कम हमारे बच्चे ऐसे नहीं बनेंगे। बुद्धिजीवी होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, तर्क वाले होंगे, जिनके पास तर्क होगा पर ऐसे कदापि नहीं बनेंगे। इसलिए, मैं आपसे मांग करता हूं कि जो मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में खेल के सम्बन्ध में घोषणा की है, उस घोषणा को हमें और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आज की इस घटना पर भी ले जाना चाहूंगा। सभापति महोदय, जो पिछले कई दिनों से हम विधान सभा में देख रहे थे, इनकी कोशिश यह थी कि मुद्दे पर बहस की बजाय किस तरीके से विधान सभा को डिस्टर्ब किया जाए। सभापति महोदय, जो जून-जुलाई में राजस्थान में घटना हुई, वह सामान्य घटना नहीं थी, वह घटना बहुत बड़ी थी। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा के बाद जिस तरीके से राजस्थान में ये औंधे मुंह वापस गिरे, इनके पेट में दर्द उसी दिन से हो रहा था। सभापति महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में इनकी वापसी शुरू हो गई और राजस्थान में इनका सरकार गिराने का रथ रुक गया, उसी की ये भड़ास निकाल रहे हैं। ये दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद के अन्दर झांकें कि केन्द्र का मंत्री जिसके जिम्मे जलशक्ति मंत्रालय है, राजस्थान की नहरों के लिए एक रुपया बजट नहीं लेकर आए, राजस्थान के किसान चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि 2017 में आपने खाले बंद किये, 2015 में आपने विभाग खतम किया, उसके लिए बजट लाइए। उसकी जब जांच की बात आई तो ये आज उनको बचाने में लगे हुए हैं।

सभापति महोदय, सच्चाई ऐसी चीज है जो चौड़े में आए बगैर नहीं रहती है, सच्चाई ऐसी चीज है जो सामने आए बगैर नहीं रहती, ये कितने ही

(श्री बलवान पूनियां)

नारे लगा लें। इनकी लोकतंत्र विरोधी नीतियां पूरा हिन्दुस्तान पहचान चुका है। ये सोनार बांग्ला का नाम ले रहे हैं, मैं कहता हूं राजस्थान को सुन्दर बनाने में आपने क्या किया? रायसिंहनगर का भगत सिंह कॉलेज 2014 में आपने वापस निजी किया था, संगरिया के मीरा कॉलेज को आपने वापस निजी किया था। वे कॉलेज वापस सरकारी हुए। आपने ऐसे काले कारनामे किये राजस्थान में जिससे शिक्षा का स्तर गिरा था, आपने 17 हजार स्कूल बंद किये थे। झूठे मत हंसो, 17 हजार स्कूल बंद किये थे आपने राजस्थान में।

सभापति महोदय, जब शिक्षा पर डिबेट की बात आई तो ये हो-हो-हो करने लग गये। यह कोई नारा नहीं है, ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं, प्रदेश की जनता देख रही है। उच्च शिक्षा में जिस तरीके से हमारे शोध का भारतीय संदर्भ जटिल होता जा रहा है, उसकी उपादेयता और गुणवत्ता को लेकर उच्च शिक्षा के लाभार्थियों में असंतोष फैल रहा है। सभापति महोदय, शोध कार्यों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अन्य कारणों से शोध में जैसे हीन भावना पैदा हो रही है, वैज्ञानिक शोधों पर सरकार अभी जितना खर्च कर रही है, यह खर्च नाकाफी है। सभापति महोदय, हमारी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इंफोसिस के संस्थापक नारायणमूर्ति ध्यान दिलाते हैं कि अपनी शिक्षा प्रणाली की बदौलत ही अमेरिका ने सेमी-कंडक्टर, सूचना तकनीकी, बायो-टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है, जिसका हिन्दुस्तान को अंदाजा भी नहीं है। इन सबके पीछे वहां के विश्वविद्यालयों में किये गये शोध कार्यों का बहुत बड़ा हाथ है।

सभापति महोदय, दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुए शोध में से एक तिहाई शोध जो अभी अमेरिका में हो रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका आगे बढ़ रहा है, ठीक इसके विपरीत भारत में सिर्फ तीन फीसदी शोध पत्र प्रकाशित हो पाते हैं। भारत में शोध के कार्य को बढ़ावा देने के लिए जतन किये जाते रहे हैं, लेकिन आज भी देश में हो रहे शोध की न केवल मात्रा बल्कि उसकी गुणवत्ता को लेकर हम अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़े हुए हैं।

सभापति महोदय, शोध के विषय में हमें आत्म-आलोचना करने की जरूरत है। राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में संबंधित ताजा पेपर लीक प्रकरण चर्चित रहे हैं। जिसके तहत एसओजी ने भी विशेष कार्यवाही में

(श्री बलवान पूनियां)

विश्वविद्यालय के शिक्षक, गोपनीय शाखा के कर्मचारी, कोचिंग संचालक, पासबुकों-पुस्तकों के प्रकाशन की मिलीभगत उजागर हो रही है। हमें इन चीजों पर ध्यान देते हुए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को रोकना पड़ेगा।

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान के क्षेत्र में जो माफिया पैदा हो रहे हैं, उनका गठबंधन तोड़ना पड़ेगा, उन माफियाओं के इनके साथ क्या कनेक्शन हैं, इस बात का भी हमें पता करना पड़ेगा, जो उच्च शिक्षा के माफिया हैं, वे इनसे मिले हुए हो सकते हैं, इसलिए इस बात का भी हमें पता करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, योजना के अन्तर्गत सरकारी कॉलेजों को अत्यधिक धन और सुविधाएं दी जाती हैं तो वहां प्रोफेसरों का मूल्यांकन, विद्यार्थियों का मूल्यांकन और ज्यादा तेज होगा, प्रोफेसर जो ठेके पर रखे हुए हैं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को अनुदान मिलेगा तो समय पर उनका भुगतान भी होगा और विद्यार्थियों को उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी। हर वर्ष लाखों की संख्या में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री धारक निकलते हैं, लेकिन रोजगार मात्र 10 फीसदी। आपराधिक एवं आतंकवादी गतिविधियों में नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षित युवाओं को सही दिशा में ले जाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी जाए।

सभापति महोदय, उच्च शिक्षा हेतु सरकार की भूमिका, उच्च शिक्षा संस्थानों को मदद करने, उन्हें कोर्स प्रदान करने, विद्यार्थियों को कर्ज वित्तीय गांरटी के साथ देने, पाठ्यक्रम एवं उसकी गुणवत्ता में एकरूपता लाने, शैक्षिक विकास योजना बनाने तक सीमित न रहकर के उससे आगे दायरा बढ़ाने की जरूरत है। इस समय भारत की लगभग 25 साल से कम उम्र की आबादी के जो नौजवान हैं, वे झूठे झांसे में किसी के रहने वाले नहीं, जो लोग दो करोड़ रोजगार का वादा करके आये थे और उन्होंने लोगों को जाति और धर्म में बांटने का काम किया, नस्ल में, लिंग में बांटने का काम किया, जिन्होंने पूर्व-पश्चिम में बांटने का काम किया, जिन्होंने राज्यों में बांटने का काम किया, वह नौजवान आज दो करोड़ रोजगार की मांग कर रहा है। मैं इस नौजवान की बात में बात मिलाते हुए यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा पर खर्च 10 फीसदी हो और शिक्षापरक नौजवानों को रोजगार सुनिश्चित सरकार करे और लोकतंत्र में जिस तरीके से +++ हमारे सामने बैठे हैं, इनको किसान और नौजवान

(श्री बलवान पूनियां)

सबक सिखाए। आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद, जनता की एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद और +++

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): On a point of order, सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिए, मैंने नाम पुकार दिया उनका। आप विराजिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24-उच्च शिक्षा एवं खेल पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई, उन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सदैव कार्य किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पीएगा, उतना दहाड़ेगा। शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकता है और जीत सकता है। कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के लिए, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी जब-जब भी सत्ता में आये, अनेकों-अनेक ऐसे कार्य किये, जिससे युवाओं को हौसला बढ़ा। इस बार भी उन्होंने 88 नये कॉलेज खोलने की घोषणाएं कीं। हमारी बहनें उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसके लिए कन्या महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की और उसके साथ जो हमारे 4 साथी कोरोना काल की वजह से हमें छोड़कर चले गये थे, उन चारों साथियों के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी सदैव पक्ष और विपक्ष को एक समान मानते हुए 200 विधान सभा क्षेत्र को समानता से देखते हुए, 7 करोड़ जनता को अपना मानते हुए, सदैव उनका यही प्रयास रहा कि पूरे राजस्थान को आगे ले जाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज का दृश्य जिस तरह से हम देख रहे हैं और पूरे राजस्थान की जनता देख रही है, शायद आज राजस्थान की जनता सोच रही होगी और दु:खी भी होगी कि जिन माननीय विधायकों को हमने राजस्थान की विधान सभा में राजस्थान के विकास के लिए भेजा, आज वे ही माननीय विधायक राजस्थान की विधान सभा में भजन गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं।

(श्री अमित चाचाण)

मैं इनके लिए कहना चाहता हूं, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज लोकतंत्र की हत्या की है, आज देश का अपमान किया है, आज जो लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है, वह भाजपा के नेताओं ने किया है। आज पूरा देश जानता है कि किस तरह से इन्होंने किसानों का अपमान किया, किस तरह से अन्नदाताओं का अपमान किया, किस तरह से युवाओं की कमर तोड़ने का काम किया, किस तरह से मजदूरों को बेरोजगार करने का काम किया, किस तरह से मंडी व्यवस्था को खतम करने का काम कर रही है और आज ये आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाने चाह रहे हैं। केन्द्र में बैठी मोदी सरकार जो पूरी केन्द्रीय एजेंसियों पर कुंडली मारकर बैठी है और केन्द्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रही है। आज वह केन्द्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से विधायकों को डराना चाहती है और अपने धनबल के प्रयोग से कई विधायकों को खरीदना चाहती है, राज्य की सरकारों को इन्होंने धनबल के प्रयोग से और केन्द्रीय शक्तियों के दुरुपयोग से गिराने का काम किया और आज वह कहते हैं कि सत्ता में हम सबसे बड़े हैं लेकिन जब राजस्थान में आग लगाने चले थे, जब वो दूसरों के घरों में आग लगाने चले थे तब वो अपने घर में ही आग लगा बैठे और अपनी ही पार्टी में दो फाड़ कर बैठे। ऐसा काम उन्होंने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने सदैव आगे ले जाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वह दूरगामी सोच थी जो देश में बड़े-बड़े संस्थान स्थापित किये चाहे आईआईएम की बात करें, चाहे एम्स की बात करें, चाहे आईआईटी की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लंबी दूरगामी सोच थी कि आने वाले भारतवर्ष का पूरे विश्व में स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाए। उन्होंने ऐसे कदम उठाते हुए दूरगामी सोच के साथ बड़ेबड़े प्रतिष्ठान स्थापित किये लेकिन आज बड़े शर्म की बात है कि जो भी हमारी धरोहर थी, जो भी हमारे देश के प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे देश की संपदा है, मोदी सरकार आने के बाद एक कदम विकास की ओर न ले जा सकी लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो देश में बड़े-बड़े प्रतिष्ठान खड़े किये थे, उनको बेचने का काम कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार चंद पूंजीपति घरानों की कठपुतली बनकर आज देश के हर वर्ग को परेशान करने का काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज देश के 125 करोड़ लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमने हमारे देश की गद्दी पर ऐसे

(श्री अमित चाचाण)

लोगों को बैठा दिया और किसान तो यहां तक यह नारे लगा रहे हैं कि +++ देश की जनता इससे पीछा छुड़ाना चाह रही है। ऐसी बात देश की जनता करने लग गई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कन्या महाविद्यालय खोलने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोहर विधान सभा क्षेत्र में 1985 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजकीय महाविद्यालय खोला था। पिछले 30 वर्षों से कन्या महाविद्यालय की मांग उठ रही थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद वहां महाविद्यालय खोलने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र में पल्लू एक ऐसा गांव है जहां मां मड़वारानी का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां से नोहर मुख्यालय 70 किलोमीटर दूर और हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय 80 किलोमीटर दूर है और सरदारशहर 60 किलोमीटर दूर है। इस दूरी के बीच में वहां पर कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है और उसके बाहर 40 गांव लगते हैं तो मैं आप के माध्यम से अपील करता हूं कि पल्लू में राजकीय महाविद्यालय अगर खोला जाता है तो वहां के ग्रामीणों को उच्च शिक्षा मिल सकेगी और हमारी बहनें भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। नोहर में जो तत्कालीन सरकार ने राजकीय महाविद्यालय खोला था, उस महाविद्यालय में आज की तारीख में 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और 8000 से ज्यादा बच्चे स्ववित्त पोषित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि उसमें जो भी रिक्त पद हैं उनको भरने का काम कीजिये और राजनीति विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और एबीएसटी जो कि वहां पर स्ववित्त पोषित के तहत चल रही है, उसको राजकीय किया जाए, जिससे कि उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन पर अधिक भार नहीं पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्री जी को कि हमारी बहनों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पिछले बजट में महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज में फीस माफी की जो बात कही थी, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मुख्य मंत्री जी ने तो सदैव यही सोचा कि राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान को आगे ले जाने का काम करें लेकिन राजस्थान की जनता ने जो विपक्ष के रूप में इनको जिताने का काम किया, हर विधान सभा सत्र में देखते हैं कि

(श्री अमित चाचाण)

राजस्थान के विकास की बातें नहीं करके राजस्थान को पीछे ले जाने का काम ये जो लोग कर रहे हैं, जाति और धर्म के नाम पर हम में जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का जो यह काम कर रहे हैं, यह आज पूरा राजस्थान इस घटना से शर्मसार हुआ है कि आज राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया जब उच्च शिक्षा पर युवाओं के लिए सदन में बहुत बड़ी चर्चा हो रही हो और उसी के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्य इस तरह से सदन में हो-हल्ला करते हुए माननीय सदस्यों को बोलने नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मुख्य मंत्री जी ने युवाओं में खेल को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि, माननीय सभापति महोदय, खेल एक ऐसा विषय है जिससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है, उसके साथ ही खेल रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ होता है, खेल के माध्यम से सैकड़ों-हजारों लोग सरकारी नौकरियां प्राप्त करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां प्राप्त करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने बजट घोषणा में चाहे ओलंपिक हो, चाहे एशियन गेम्स हो, जो विजेता खिलाड़ी होते हैं उनकी इनामी राशि बढ़ाने का जो काम किया और हाल ही के बजट में प्रत्येक ब्लॉक में जो मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम की स्कीम लेकर आये हैं, इससे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे नोहर विधान सभा क्षेत्र में जो राजकीय बियानी स्टेडियम है, जिसने फुटबाल के माध्यम से नोहर की राजस्थान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, उस ग्राउंड में नोहर के युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए वहां से खिलाड़ी पैदा किये गये हैं, 2005 से वहां प्रशिक्षण शिविर चालू हो रखा है, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अगर वहां फुटबाल एकेडमी खुलती है तो फुटबाल के खेल को बढ़ावा मिलेगा और जिस तरह से पूर्व में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिये हैं, आने वाले समय में भी वही ग्राउंड राज्य स्तरीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी देगा।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि प्रत्येक

(श्री अमित चाचाण)

ब्लॉक में, प्रत्येक स्कूल में खेल ग्राउंड बनाए जाएं, एक सिंथेटिक ट्रैक भी बनाया जाए क्योंकि आज हमारा युवा साथी जब परीक्षाओं की तैयारी के लिए दौड़ता है, तैयारी करता है तो उसके लिए वहां गांव में सुविधाओं का अभाव होता है। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि अगर सारी मूलभूत सुविधाएं हमारे युवा साथियों को मिलेगी तो युवा साथी आगे बढ़कर अपने परिवार का, समाज का और क्षेत्र का, राजस्थान का भी नाम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप के माध्यम से और इस सदन के माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी और हमारे युवा साथी खेल मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये मेहनत करके पिछले 2 वर्षों से लगातार उच्च शिक्षा में, खेल में जो नवाचार करते हुए आ रहे हैं, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने तो दो करोड़ युवाओं को रोजगार का सपना दिखाकर उनकी जो कमर तोड़ने का काम किया था, उसके उज्ज्वल भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी उन युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उन युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आज हमारे मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क हम सब ने देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा कि उन्होंने चुनाव के समय जो-जो वादे, जो- जो घोषणाएं की थीं, चाहे वह 15 लाख रुपये की बात हो, चाहे दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वह किसानों की फसल दोगुनी करने की बात हो, चाहे देश को आगे ले जाने की बात हो लेकिन इस 6 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने चंद पूंजीपति घरानों को ही सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया। 'हम दो और हमारे दो' की नीति पर काम करने का काम किया।

आज पूरे देश के किसान दिल्ली में राजधानी को घेरे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो बिल का ड्राफ्टिंग बना, यह केंद्र सरकार के अधिकारियों के चैंबर में न बनकर उन बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के निवास पर यह ड्राफ्टिंग हुई और बिल आने से पहले ही उन चंद पूंजीपति घरानों ने बड़े-बड़े गोदाम बनवा लिए थे, जिससे कि जो केंद्र सरकार ने स्टॉक सीमा को समाप्त किया था, वे चाहते थे कि हम गरीब किसानों से अनाज इकट्ठा करके उन गोदामों में भरें और जब देश को जरूरत

(श्री अमित चाचाण)

होगी, जब गरीब परिवारों को जरूरत होगी, जब मजदूरों को जरूरत होगी तो उसी अनाज का 2 गुना-3 गुना दाम लेकर देश की कमर तोड़ने का वह काम करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार यह चाहती है, देश को तोड़ना चाहती है, देश में बिखराव लाना चाहती है, देश में भाईचारे को खतम करना चाहती है, देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आज जो यह नारा दे रहे हैं कि 'देश के लोकतंत्र के हत्यारों, शर्म करो, डूब मरो' तो मैं भी कहना चाहता हूं कि अगर सबसे बड़ा देश का हत्यारा है, लोकतंत्र का हत्यारा है, अगर सबसे बड़ा देश के लोकतंत्र को खतम करने का काम किया है तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किया है, उसको डूब मरना चाहिए, उसको शर्म करनी चाहिए। यह बात आप इस सदन में न उठा कर, अगर इस बात को लोक सभा में उठाएंगे, उनके कानों तक पहुंचाएंगे, तब यह बात आपकी सत्य होगी, तब उनको शर्म से डूब मरना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से एक बार पुन: देश के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए जो गहलोत सरकार कांग्रेस सरकार जो विकास के कार्य कर रही है, देश की उन्नति और तरक्की के लिए, राजस्थान की उन्नति और तरक्की के लिए जो कार्य कर रही है, मैं पूरे सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी आपका आभार। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति, उच्च शिक्षा, युवा मामले एवं खेल में माननीय मंत्री महोदय के जवाब देने एवं मांग संख्या 24 के पारण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: मांग पारित होने तक समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

मांग पारित होने तक समय बढ़ाया गया।

श्री पदमाराम।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, ऑन ए पॉइंट ऑफ आर्डर। मैं आपका ध्यान, सभापति महोदय, विधान सभा कार्य संचालन नियम 292 की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। 'सदस्य का निलंबन' एक मैंबर जिस को सस्पैंड कर दिया हाउस ने, वह हाउस में नहीं बैठ सकता है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिये आप। विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हाउस का मैंबर नहीं है वह हाउस में नहीं बैठ सकता।

श्री सभापति: यह आसन की जिम्मेदारी है, आप विराजिये। आसन की जिम्मेदारी है यह।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारे)

विराजिए, विराजिए। श्री पदमाराम ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, संस्कृति और कला पर मुझे बोलने का समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज जिस पवित्र मांग की सदन में चर्चा हो रही है, आज के दिन हमारे विपक्ष के साथियों को राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिये, राजस्थान की जनता को शिक्षा की मूलधारा से जोड़ने के लिये, राजस्थान के गरीब, एससी, एसटी के लोगों को शिक्षा की मूलधारा में जोड़ने के लिये जब सुझाव देने का समय था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए, विराजिए। पता है मुझे, आप विराजिए, विराजिए।

श्री पदमाराम (चौहटन): राजस्थान की संस्कृति यह नहीं दिखाती है कि हमारे विपक्ष के साथी राजस्थान को आगे ले जाने के बजाय अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता के साथ कुठाराघात करने के लिए ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं, वो जनता देख रही है। माननीय सभापति महोदय, आज मैं राजस्थान के कल्याणकारी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा. ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए, विराजिए। कोई पाइंट ऑफ आर्डर नहीं। विराजिए, विराजिए। ...(व्यवधान)

श्री पदमाराम (चौहटन): ...(व्यवधान) इन्होंने राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान की जनता को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने के लिए, राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने के लिए, राजस्थान के युवाओं को नौकरी देने के लिए जो शानदार बजट पेश किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और माननीय युवा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: पदमाराम जी के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य आज राजस्थान की संस्कृति की बात हो रही है और जिस संस्कृति के लिए राजस्थान प्रसिद्ध है, राजस्थान में हमेशा मर्यादा का ध्यान रखा है, आज राजस्थान की 7 करोड़ जनता देख रही है, जिन लोगों ने हमको चुन कर राजस्थान की विधान सभा में भेजा है, राजस्थान की जनता देख रही है कि हमारे जो राजस्थान विधान सभा में गये हैं, राजस्थान की विधान सभा में यह क्या दिखाना चाहते हैं। मेरे को यह लग रहा है कि राठौड़ साहब का मन, कटारिया साहब का मन कि दलितों को आगे किया जाये, दलितों के नाम से राजनीति की जाये, दलितों से नारे लगवाये जाएं, जनता देख रही है। जनता को सब कुछ मालूम है। आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, दलित के नाम पर राजनीति करके राज करना चाहते हो, राजस्थान का भला नहीं करना चाहते हो। यह क्या नाटक है? इनको यह क्या हो रहा है? माननीय सभापति महोदय, जिस सदस्य का निलंबन हो गया है, यह क्या यहां अखाड़ा बनाना चाहते हैं, यह क्या नाटक करना चाहते हैं? लोगों को मालूम है, दुनिया सब देख रही है। यह कौनसे कानून की बात कर रहे हैं? डांस करा लो, डांस। आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, जिन नारों की बात कर रहे हो, यह बात कहां होती है? मेरा निवेदन है कि थोड़ा ध्यान रखो। यह राजस्थान की विधान सभा है, कोई अखाड़ा नहीं है। आप अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो, राजस्थान की जनता देख रही है, राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करेगी। गला हमारा है, आपसे गला खराब होने वाला नहीं है। आज जिस भाषा का उपयोग कर रहे हो, आज जिस हिसाब से जनता को गुमराह कर रहे हो, जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है।

(श्री पदमाराम)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के लोक कल्याणकारी मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है और बजट में जो घोषणा की है, यह राजस्थान की जनता देख रही है। राजस्थान की जनता को मालूम है कि हमारे जन नायक राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने के लिए, राजस्थान के युवाओं को मूल धारा में जोड़ने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं कीं। कई कालेज खोले, कई स्कूलों में नये सब्जैक्ट खुले, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा की। मेरा निवेदन है कि जिस आधार पर आज विधान सभा को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है ...(व्यवधान)

मेरे को जवाब मिले या नहीं मिले, आप जो नाटक कर रहे हो, आपको जरूर मिलेगा। आज जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, आपके जो नारे हैं, आप जो चिल्लाने की बात कर रहे हो, यह तो किसी को मालूम होगा कि किसी के घर शोक है इसलिए शोक मनाने की कोशिश कर रहे हो। आज जिस प्रकार चिल्ला रहे हो, किसी की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हो, आपसे किसी की आवाज नहीं दबेगी। राजस्थान की जनता देख रही है कि आपकी जो भावना है, आप क्या कहना चाहते हो, आपके दिल में क्या है, राजस्थान की जनता देख चुकी है। आपको यह सहन नहीं हो रहा है कि राजस्थान के कल्याणकारी मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया है, आम जनता उसकी वाहवाही कर रही है। जनता को यह संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री में यह जज्बा है कि राजस्थान का विकास हो, राजस्थान का हर आदमी आगे बढ़े, राजस्थान के गरीब को रोजगार मिले, राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, राजस्थान का युवा आगे बढ़े, इसी सोच में उन्होंने बजट पेश किया है। वह चीज आपको सहन नहीं हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं, यह किसलिये धरना देकर बैठे हैं? यह अपनी खीझ मिटाने के लिये धरना दे रहे हैं। किसको आगे नेता बनना है, किसका नाम उसमें आया या नहीं आया, राजस्थान की बागडोर किसके हाथ में जा रही है, मुंगेरीलाल के हसीन सपने राजस्थान की जनता कभी सफल नहीं होने देगी। आपकी ...(व्यवधान) बढ़ाने के लिए आप काम कर रहे हो। आपके नेताओं के क्या कारनामे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हो। जो आपके साथ आ जाये वह पवित्र बन जाता है और जो आपके साथ नहीं आये, उसके खिलाफ

(श्री पदमाराम)

आप मुकदमा कर रहे हो, आप जांचें भेज रहे हो, सीबीआई की जांच कर रहे हो। आपको तो शर्म भी नहीं है। किस आधार पर आप धरना दे रहे हो और किस +++ पर यह काम कर रहे हो? हमारे दलित भाइयों को आगे बढ़ाकर दलितों का शोषण कर रहे हो। नारे दलितों से दिलवाये जा रहे हैं। ...(व्यवधान) दलितों के करा रहे हैं और वोट आप ले रहे हो, ऐसी भावना, राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को, हमारे शिक्षा मंत्री जी को, उच्च शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान की शिक्षा को मजबूत करने के लिए जो कल्याणकारी घोषणा की है, राजस्थान की जनता उनको वाहवाही दे रही है, उनको धन्यवाद दे रही है। आपने मेरे को बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

(17.00 बजे)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 -शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर चर्चा चल रही है। इस देश में सभी पार्टियों के जो जन प्रतिनिधि होते हैं, वे एक ही बात करते हैं कि हमारे देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन करना है और देश को ऊंचाइयों पर ले जाना है।

माननीय सभापति महोदय, आज उच्च शिक्षा पर डिबेट हो रही है। मेरा विधान सभा क्षेत्र चौरासी है, जो कि 96 परसेंट आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हमारे जो बच्चे होते हैं, उन्हें कहीं न कहीं उच्च शिक्षा में अवसर नहीं मिल पाता है, तो या तो प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं और पैसे के अभाव में वे लोग कई बार गुजरात चले जाते हैं और उच्च शिक्षा में अध्ययन नहीं करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो कॉलेज स्वीकृत किया, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज यह जो सिस्टम चल रहा है, उन लोगों ने आदिवासी इलाकों में यही किया है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जितनी भी कॉलेज चलती थीं, इन सभी कॉलेजों में उन लोगों ने यही ढर्रा चलाया था।

(श्री राजकुमार रोत)

अगर सही कॉलेज से या उच्च शिक्षा से उन लोगों ने अध्ययन किया होता, आज उच्च शिक्षा पर डिबेट हो रही है, तो सही तरीके से यहां पैरवी करते। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं कि उन इलाकों में वनवासी कल्याण परिषद् के माध्यम से कॉलेजों में ढर्रा चलाया, स्कूलों में चलाया, अपनी शाखाएं खोलीं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उन लोगों ने आदिवासी बहुल क्षेत्र को आज तक भड़काने का काम किया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

उनके शासन काल में मेरे विधान सभा क्षेत्र सीमलवाड़ा कॉलेज की स्वीकृति 2016 में हुई थी। उन लोगों ने वोट बैंक बनाने के लिए कॉलेज की स्वीकृति तो करा ली लेकिन आज तक उसका भवन नहीं बना। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इस बार इसकी स्वीकृति करायी जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, आज हमारे इलाके में अधिकतर बच्चे बीएसटीसी और बी.एड. करते हैं और वे लोग जब आवेदन करते हैं, हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं, उन लोगों को शेखावाटी या जोधपुर साइड का इलाका दे दिया जाता है। जब प्रशिक्षण के लिए आते हैं तो वहां पर इन कॉलेजों में उन लोगों से सैटिंग वाला सिस्टम जमाया जाता है और उनसे भारी रकम वसूली जाती है और उनको घर पर बैठाकर डिग्री दी जाती है। कहीं न कहीं उच्च शिक्षा में जो प्रशिक्षण कराये जा रहे हैं, वे एक नये भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षा के नाम से एक जो व्यवस्था बनी हुई है, शिक्षा के नाम से जो दुकानें खोल रखी हैं, इन पर कहीं न कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, 2011 की जो भर्ती थी, हम पीटीआई के लिए डिग्री कराते हैं, एक तो बीपीएड कराते हैं। पहले बीपीआई, एमपीआई, एपीआई का कोर्स करवाया जाता था, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाह रहा हूं कि ये जो बीपीएड कोर्स है, इस कोर्स को जिन लड़कों ने किया था उनको 2011 की भर्ती में कहीं न कहीं वंचित रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, ये जो पत्राचार पर पत्राचार हो रहे हैं, ये बच्चे लंबे समय से अपनी मांग रख रहे हैं कि हमने कोर्स कर रखा

(श्री राजकुमार रोत)

है, वह कोर्स करने के बाद हम भटक रहे हैं तो कहीं न कहीं ये जो पीटीआई भर्ती 2011 हुई है और बाद में जो पीटीआई भर्ती हो रही है, उनमें हमें सम्मिलित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, यह उनका तरीका है। मैं आदिवासी बहुल क्षेत्र से आता हूं, यह दबाने का तरीका है। इस तरह हम लोगों को दबाया जाता है। आज तक उन लोगों ने यही किया है। उधर से जितने भी विधायक आते हैं, उन सबको इसी तरह से दबाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, इस तरह दबाया जाता है, मुझे जो बोलने से रोका जा रहा है, मुझे जो डिस्टर्ब किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि मैं बोल रहा हूं मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे डूंगरपुर जिले में भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय है, एक वीर कालीबाई कन्या महाविद्यालय है, उन महाविद्यालयों में जो स्वीकृत पद हैं, उन स्वीकृत पदों के अनुरूप भी वहां पर व्याख्याता नहीं लगे हुए हैं। एक दुख की बात है कि भले ही उधर की सरकार रही हो या इधर की सरकार रही हो, वहां पर जो व्याख्याता लगता है, वह कुछ ही समय बाद वहां से अपने गृह जिलों में किसी न किसी की पहुंच बनाकर यहां पर आ जाता है। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार भी विधान सभा में यह मांग उठी थी और माननीय मंत्री महोदय ने कार्य व्यवस्था के लिए जितने आदेश हुए थे, उन सभी आदेशों को निरस्त करवाया था। मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 23 जुलाई, 2020 को पत्र क्रमांक एफ.1/ आकस्मिक/2011-2020-584 के तहत 9 ऐसे व्याख्याता थे जो वीर कालीबाई कन्या महाविद्यालय और भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय में लगे थे और वे दूसरी जगह पर कार्य व्यवस्था पर लगाये गये थे, वह आदेश 20 जुलाई, 2020 को निरस्त किया, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारे यहां के लोगों ने मंत्री जी पर प्रेशर बनाया, कई ऐसे बड़े जन प्रतिनिधियों ने प्रेशर बनाया और वे आदेश से वापस यथावत लगाये गये। यह कौनसा नियम है कि जो व्याख्याता उस कॉलेज में लग रहा है और लगने के बाद वहां पर जोइनिंग दे रहा है, जोइनिंग देने के बाद एक महीने तक भी सेवा नहीं दे रहा है और उसको कार्य व्यवस्था के हिसाब से यहां लगाया जा रहा है?

जो स्वीकृत पद हैं, उसके वहां पर 10 परसेंट पद भी भरे हुए नहीं है।

(श्री राजकुमार रोत)

जो भरे हुए हैं उनमें से भी कार्य व्यवस्था के जरिए दूसरी जगहों पर लगाया जा रहा है। लंबे समय से उस इलाके से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के बाहर के अध्यापक लगे हुए हैं थर्ड-ग्रेड अध्यापक। हम चाहते हैं कि पहले वहां कमी थी तो हमें आवश्यकता थी, लेकिन आज हमारे बच्चे पढ़े-लिखे हैं, उन्होंने बी.एड. और बी.एस.टी.सी. कर रखी है। इतनी भारी संख्या में भी वे आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता है कि हम उच्च शिक्षा में तो जो व्याख्याता वहां लगे हैं, उनको यहां पर कार्य व्यवस्था के लिए लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम थर्ड-ग्रेड के ट्रांसफर के लिए और जो सैकण्ड ग्रेड के वहां लगे हैं, उन लोगों के लिए यह कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत वहां पर व्यवस्था बनाये रखने के लिए अध्यापकों की कमी है, इसलिए हम उन लोगों को इन इलाकों में नहीं ला रहे हैं। मतलब, यह दो तरफा नीति किस बात की हो रही है? हम व्याख्याताओं को तो कार्य व्यवस्था के लिए इधर लगा रहे हैं और वहां पर जो थर्ड-ग्रेड एवं सैकण्ड ग्रेड के लगे हुए, वहां पर उनकी आवश्यकता नहीं है अगर वे पद खाली होंगे तो हमारे बच्चे लगेंगे। यह जो दो तरफा नीति की जा रही है, उसको ध्यान में लाया जाए। जब मंत्री जी जवाब देंगे तो मैं चाहूंगा कि भोगीलाल पंड्या महाविद्यालय और वीर कालीबाई कन्या महाविद्यालय से जितने लोग कार्य व्यवस्था हेतु बाहर लगे हुए हैं उनको निरस्त किया जाए और आदिवासी एरिये के बच्चों को राहत प्रदान की जाए।

माननीय सभापति महोदय, अभी मैंने बताया था कि लड़कों ने बीपीएड कोर्स कर रखा है लेकिन उनको पीटीआई भर्ती में शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरह से एक मामला चल रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में मेवाड़ विश्वविद्यालय है और उसमें 2018 से एनिमल हजबैंड्री डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है। अभी तक लड़के थर्ड ईयर में आ चुके हैं, वह कोर्स वहां करवा रहा है। अभी वर्तमान में कोर्स में 175 लड़के अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी ने संबंधित विभाग से उसकी कोई मान्यता प्राप्त नहीं की है। यह भी आने वाले समय में, ये जो बीपीएड कोर्स वाले लड़के भटक रहे हैं, इसी तरह से ये लड़के भी भटकेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इसकी जांच करायी जाए और इन छात्रों को राहत प्रदान की जाए।

माननीय सभापति महोदय, हम सबका भुगतान या पेमेंट होता है। हम विधायकों का 01 तारीख से 05 तारीख के बीच में पेमेंट आ जाता है और इस

(श्री राजकुमार रोत)

राज्य और इस देश में जितने भी कार्मिक कार्यरत हैं, उन सभी का महीने में 01 तारीख से 05 तारीख के बीच में पेमेंट आ जाता है। हमारे जो बच्चे हैं, उनकी जो छात्रवृत्तियां हैं, वे छात्रवृत्तियां आज तक समय पर नहीं आयी हैं। यह कौनसा तरीका है? मैं चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो बच्चे कॉलेज कर रहे हैं, उनकी छात्रवृत्ति प्रत्येक महीने की आनी चाहिए, वह भी प्रत्येक महीने की 01 तारीख से 05 तारीख के बीच में। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में इस देश में और राज्य में भले ही किसी की भी सरकार रही हो लेकिन प्राइवेट कॉलेजों का धंधा चल रहा है। हम हमारे इलाके में देखते हैं कि एक पंक्चर की दुकान हो, इतना-सा एक दरवाजा है और उस दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है कि संबद्धित फलाना-फलाना महाविद्यालय, मतलब एक कमरे के अंदर एक प्राइवेट महाविद्यालय चल रहा है। अब समझ में नहीं आता है कि यह महाविद्यालय एक कमरे के अंदर कैसे चल रहा है? मैंने अभी आंकड़ा निकलवाया, उस महाविद्यालय के अंदर 200 से 300 छात्र अध्ययनरत हैं। वहां पढ़ते कहां है? बैठते कहां हैं? उनके लिए ग्राउण्ड कहां है? ऐसी एक नीति होनी चाहिए कि जितने भी ऐसे प्राइवेट महाविद्यालय हैं, जो लोग एक या दो कमरों में चला रहे हैं, ऐसे सारे प्राइवेट महाविद्यालय बंद होने चाहिए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व धरना)

सभापति महोदय, अभी कोरोना काल में तो जो प्राइवेट महाविद्यालय वाले हैं, उन लोगों ने तो हद ही कर दी। बच्चों के एडमिशन लिए, उनसे फीस ली, अध्ययन नहीं कराया और उलटा उन लोगों से फीस तो वसूल ली लेकिन वहां पर जो सरकार के आदेश थे कि जो अध्ययन करवा रहे हैं, जो कार्मिक संविदा पर लगे हुए हैं या प्राइवेट जो लगे हुए हैं उनको भुगतान किया जाएगा, लेकिन डूंगरपुर जिले में जितने भी प्राइवेट महाविद्यालय चल रहे हैं, कोरोना काल के अंदर जो अध्ययन करवाने वाले अध्यापक थे, उनको पेमेंट नहीं किया गया है। ऐसी अनियमितता बरतने वाले महाविद्यालय के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी जो चल रहा है कि हम छात्रों को उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मैं आपको बता दूं कि डूंगरपुर जिले में एकमात्र सरकारी छात्रावास है। लंबे समय से बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन आज तक उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(श्री राजकुमार रोत)

जो गवर्नमेंट का कालेज छात्रावास है, उसके आसपास अतिक्रमण किया जा रहा है और वह भवन पड़ा हुआ है। सरकार ने पैसा लगाया है, उसका निर्माण किया है, वह बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन आज तक उसका उपयोग नहीं किया गया है। अभी भी खण्डहर पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि जो कालेज छात्रावास बना हुआ है, उसको शुरू करवाया जाए।

ये जो हमारा एरिया विस्तार हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र 1981 में अधिसूचित हुआ था। अभी हमारा दोबारा 19/05/2018 को नवीन एरिया विस्तार हुआ। वह एरिया विस्तार जब हुआ, अधिसूचना जो जारी हुई, कार्मिक विभाग का जो आदेश था, उसमें स्पष्ट था कि इस इलाके के अंतर्गत पहले की जो भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों में पुराना जो इलाका है, उन्हीं बच्चों को लिया जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई अधिकारियों ने मिलीभगत करके जो नवीन एरिया विस्तार हुआ, उससे पहले की भर्ती थी, उन भर्तियों में नये एरिये के बच्चों को भी ले लिया गया है। या तो उस क्षेत्र के अनुपात में पद बढ़ाए जाए या फिर जो नये एरिये के बच्चे लगे, उसके अनुपात में हमारे पद बढ़ाने की कृपा करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व धरना)

माननीय सभापति महोदय, अभी बजट घोषणा में खेल विभाग के लिए घोषणा हुई कि प्रत्येक ब्लॉक पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम खोला जाएगा। माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे समस्त विधायकों की भावना थी और राजस्थान के सभी युवाओं की भावना थी। सभी को था कि हमारे खेल मंत्री युवा हैं और युवाओं के लिए कुछ न कुछ करेंगे। उन्होंने इस बजट में राजस्थान के युवाओं को सौगात दी। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन मैं सुझाव देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक पर ध्यानचंद स्टेडियम खोलने की जो घोषणा की है और उसमें कहा गया है कि संबंधित एरिये के विधायक या सांसद या सीएसआर फंड से पैसा लेंगे, उतना हम विभाग से देंगे। मैं इसमें कुछ संशोधन चाहूंगा कि हमारे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जो स्टेडियम खोले जाएंगे, उसके अंदर टीएडी विभाग से भी कन्वर्जन करवाया जाए क्योंकि आदिवासियों के उद्धार के लिए हमारी केन्द्र सरकार से भी पैसा आता है और राज्य सरकार भी अलग से पैसा देती है। हम चाहेंगे कि

(श्री राजकुमार रोत)

अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत जितने खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, उनमें टीएडी से भी कुछ पैसा लिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, सभी की मांग थी कि हमारे तीरंदाजी के क्षेत्र में राजस्थान ने नाम रोशन किया है और इस राजस्थान के अंदर भी बांसवाड़ा और डूंगरपुर से जो हमारे लिम्बाराम जी और हमारे स्वर्गीय नानोबा जी, उन्होंने नाम रोशन किया है पूरे देश का। माननीय सभापति महोदय, देखिए आज तक इन लोगों ने ये ही किया है, ऐसे ही डराया गया है हम लोगों को और ऐसे ही दबाया गया है। पूरे उदयपुर संभाग में एक समय था कि उनकी शाखाओं के द्वारा पूरे युवाओं को रास्ता भटका दिया गया था। पूरे युवाओं को कालेज के अंदर सिर्फ नारे लगवाए जाते थे और एबीवीपी का पाठ पढ़ाया जाता था और शाखाओं में पढ़ाया जाता था। ये ही सिस्टम करवाया जाता था लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उनकी जो झूठी विचारधारा थी, उनका जो फर्जी एजेंडा था, वह सारा एजेंडा फेल हो चुका है। आज पूरे उदयपुर संभाग में उनका सफाया हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा उदयपुर संभाग में एक ट्राइबल एकेडमी खोली जाए। हमारे ट्राइबल्स के जो गेम होते हैं, जैसे कबड्डी है, खो-खो है, तीरंदाजी है, हॉकी है, हम माननीय मंत्री महोदय से यह चाहेंगे कि डूंगरपुर जिले में आर्चरी का तो खोला है, उसके साथ एक ट्राइबल एकेडमी खोली जाए, जिससे हमारे इलाके के अंदर जो लड़के हैं, जो युवा पीढ़ी हैं, कहीं न कहीं भटक रही है। खेल ऐसा माध्यम है जो युवाओं को जोड़ता है और जोड़ कर सही दिशा में ले जाता है। खेल के माध्यम से युवाओं में एक शारीरिक ताकत आती है और शारीरिक विकास भी होता है, साथ ही उनकी बुद्धि का विकास भी होता है। एक युवा पीढ़ी या एक जो छात्र है, बच्चा है, शिक्षा के बीच में समन्वय बनाने का काम करता है, खेल विभाग। मैं चाहूंगा कि हमारे ट्राइबल के जितने बच्चे हैं, इन बच्चों को सही दिशा देने के लिए डूंगरपुर जिले में ट्राइबल एकेडमी खोली जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व धरना)

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा में पहले से दो आईटीआई कालेज चल रही हैं। एक आईटीआई कालेज का भवन अभी वर्तमान में संचालित हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, मैं चाहूंगा कि भवन तो बन

(श्री राजकुमार रोत)

गया है लेकिन उनके अंदर क्लासें नहीं लग रही हैं, तो कहीं न कहीं क्लासें लगाई जाएं।

ये लोग बात करते हैं शिक्षा की। मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि इन्होंने पिछली बार कई स्कूलें बंद की। आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर अजीब लगेगा कि हम शिक्षा की देवी मानते हैं, काली बाई कलासुआ, काली बाई वह बच्ची थी जिन्होंने अपने गुरु की जान बचाने के लिए अंग्रेजी शासन काल में अपनी जान की परवाह नहीं की और उन लोगों ने उस काली बाई पर गोलियां चलाई। उस काली बाई के नाम से उनके जन्म स्थान का जो गांव है रास्तापाल, उस रास्तापाल में एकमात्र प्राथमिक विद्यालय था। मुझे दु:ख होता है कि उस समय राजस्थान की मुख्य मंत्री भी एक महिला थीं और हमारे इलाके से एक मंत्री जी आते थे, उनकी ही विधान सभा आज मेरा विधान सभा क्षेत्र है, इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उस शिक्षा की देवी कहलाने वाली, हम उसको पूजते हैं, उसकी स्कूल बंद कर दी गयी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि उस काली बाई कलासुआ के नाम से जो स्कूल चल रही थी, इन लोगों ने बंद कर दी तो आज उस स्कूल को वापस शुरू कराया जाए।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व धरना)

माननीय सभापति महोदय, हम बात करते हैं कला, साहित्य और संस्कृति की। हमारे इलाके में जो पाठ्यक्रम राजस्थान का पढ़ाया जा रहा है, हमने आदिवासियों के उद्धार के लिए एक अलग विभाग बनाया, टीएडी विभाग। हम यह चाहते हैं कि उसी टीएडी विभाग के अंतर्गत जो मां-बाड़ियां चल रही हैं और जो इस इलाके में आंगनबाड़ियां चल रही हैं, हम यह चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र की जो संस्कृति है, जो भाषा है, जो कला है, जो रीति-रिवाज है, उसका संरक्षण किया जाए और बच्चों को इसका अध्ययन कराया जाए। ये जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अंदर हमारे इलाके की जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, जो परम्परा है, उन सभी का भीली भाषा में संरक्षण किया जाए और पांचवीं तक के छात्रों को भीली भाषा में अध्ययन कराया जाए। आदिवासी इलाके के अंदर जो महापुरुष थे, आदिवासी इलाके में जितने भगत हुए हैं, जिन लोगों ने जन जागरण का काम किया हैं, जैसे सेंगा भाई हैं, नाना भाई हैं, काली बाई हैं, हमारे गोविंद गुरु जो हुए हैं, हमारे संत सुमाल जो हुआ करते थे, उन्होंने पूरे समाज को जन जागरण कराया था। ऐसे लोगों की जीवनी, ऐसे लोगों का इतिहास हमारे इलाके में पढ़ाया जाए।

(श्री राजकुमार रोत)

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़े। बच्चे के सामने हम ऐसे आदर्श वचन देते हैं। स्कूलों में प्रार्थना होती है। हम प्रार्थना में सरस्वती की मूर्ति रखते हैं। हम सभी बच्चों को यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इनके माध्यम से हमें ज्ञान लेना है। यह ज्ञान की देवी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीर कन्या, कालीबाई कलासुआ जो शिक्षा के लिए शहीद हुई थी, उस वीर कालीबाई कलासुआ की प्रत्येक स्कूल में एक मूर्ति लगायी जाए। जो सुबह प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में भी वीर कालीबाई कलासुआ की तस्वीर लगायी जाए। आने वाली पीढ़ी इससे कहीं न कहीं कुछ सीखेगी। हमारी बालिकाओं को शिक्षा, उच्च शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। राजस्थान की जनता ने यहां पर सभी को चुनकर भेजा है लेकिन आज इन लोगों ने, यह अखाड़ा बनाया गया है। आज इतना महत्वपूर्ण बिंदु था। हम चाहते हैं हमारे देश को, हमारे राज्य को, आगे बढ़ाया जाए। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है, उस माध्यम से ही हमारे देश, हमारे राज्य का उद्धार हो सकता है। आज उन लोगों ने इतना बखेड़ा कर दिया। इस महत्वपूर्ण विषय पर जो सदस्य बोल रहे हैं, उनको भी रोकने का काम किया जा रहा है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से विशेष निवेदन करूंगा कि हमारे चिकली में जो कालेज खोली है, उस कालेज के अंतर्गत विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय, कला विषय और वाणिज्य विषय भी खोला जाए। हमारे देश का युवा आज सड़कों पर आ रहा है। शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, उन लोगों ने बड़े-बड़े लालच दिए। इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दे देंगे। युवाओं ने बहकावे में आकर उन लोगों को वोट दे दिए। आज वही लोग, जिन युवाओं के वोटों से जीत कर आए, वही युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर यह चाहते तो उच्च शिक्षा पर अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देते।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। मैं आशा करूंगा कि यह लोग हंगामे को समाप्त करके...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): उच्च शिक्षा में हमारे राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए सुझाव दें। सभापति महोदय, धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 24 पर बोलने के लिए अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, प्राचीन काल में पावर अर्जित करने के लिए, मान सम्मान अर्जित करने के लिए, कामयाबी अर्जित करने के लिए तलवार की धार पर युद्ध लड़ने पड़ते थे लेकिन वर्तमान में कामयाब होने के लिए, प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए, मान-सम्मान अर्जित करने के लिए कलम और किताब के दम की आवश्यकता होती है। गांव में रहने वाला गरीब मजदूर, उपेक्षित का बेटा शिक्षा के दम पर, उन लोगों से पावर छीन सकता है, जिन्होंने पीढ़ियों से उनके पूर्वजों का शोषण किया।

सभापति महोदय, वर्तमान युग में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि जो भी बड़ी नौकरियों में जाने के लिए तैयारी करे तो कोचिंग सेंटर्स की फीस इतनी महंगी है। अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहे तो उसकी फीस इतनी महंगी है। अगर गरीब का बेटा अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसका अगर गवर्नमेंट कालेज में एडमिशन नहीं होता है तो उसके पास यह विकल्प नहीं है कि वह प्राइवेट कालेज से अपने बच्चे को एमबीबीएस या पीजी करवा ले। एमबीबीएस की फीस 20-20 लाख रुपये महीने की तय की हुई है। पीजी की फीस 45 से 50 लाख रुपये साल के लिए जाते हैं। इसी प्रकार चाहे बीएड हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी एजुकेशन हो, इतनी महंगी शिक्षा है।

सभापति महोदय, कोरोना काल में तो अगर किसी ने कर्जा लेकर अपनी जमीन को गिरवी रखकर, अपनी जमीन, अपने मकान को बेचकर, अपने बच्चे का मेडिकल कालेज में एडमिशन करवा दिया या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उसकी फीस तो ले ली गई लेकिन उसके बच्चे को शिक्षा नहीं दी गई। उसके बच्चे को यह सुविधा भी नहीं दी गई कि अगली साल उसको छूट दी जाएगी। सभापति महोदय, बड़े शर्म की बात है कि अपनी राजनीति के लिए, विपक्ष यहां धरने पर बैठा है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोरोना में लूट रहे थे, स्कूल-कालेज वाले लूट रहे थे, उनकी फीस माफी के लिए कभी भी विपक्ष वैल में आकर नहीं बैठा। यह शर्म की बात है। यह दोहरा चरित्र बताता है कि व्यक्ति सिर्फ अपनी राजनीति के लिए यह सारी चीज़ें करता है, वरना चाहिए था कि स्कूल फीस के लिए सरकार पर दबाव बनाता।

(श्री बलजीत यादव)

सभापति महोदय, चाहे केन्द्र सरकार हो या हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने की जहमत नहीं उठाई कि फीस पर कानून बनाए। ऑटो रिक्शा में किराया निर्धारित करने का कानून बनता है, मिनी बस में किराया निर्धारित करने का कानून बनता है लेकिन स्कूल, कालेज वेलफेयर के लिए होते हैं, कोई व्यापार नहीं होता है। आज तक मुझे समझ नहीं आया, किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने भी, कभी इस बात के लिए कानून बनाने के लिए नहीं सोचा कि इन पर लगाम कैसे लगाई जाए।

सभापति महोदय, एक नाई के पास मैं शेविंग कराने जाता हूं, दो लाख का प्लाट नाई ने खरीदा। दो लाख का प्लाट खरीदने पर इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है कि दो लाख रुपये कहां से लाए? सीए उसको कहता है तीस हजार रुपये चाहिए, तब आपका पिंड छूटेगा। यह इनकम टैक्स का हाल है लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि वैलफेयर के लिए काम करने वाले स्कूल, कालेज के मालिक के घर कभी इनकम टैक्स गई हो। इसलिए विपक्ष को चाहिए था, कालेजों के खिलाफ मोदी जी को कहते कि रेड डालो इन स्कूलों के मालिकों पर, कालेज के मालिक पर।

सभापति महोदय, जब मैंने गहनता से इसकी जांच की कि आटो रिक्शा पर कानून बन जाता है। किसान नहीं चाहता कि बिल आए, लेकिन बिल आ जाता है कि जबरदस्ती बिल देंगे। और तो और, हद हो गई, राजस्थान की विधान सभा में मैंने देखा कि प्रेमी के साथ घर से भागने वाली छोरी की मदद के लिए भी बिल आ जाता है कि इसको भागने दो, हम इसकी सहायता करेंगे, यानी कि उसके बाप का कोई अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया, आधुनिकता-आधुनिकता।

सभापति महोदय, मुझे नहीं पता क्या लिखा, किसने लिखा। हमारे समाज में लैला-मजनू को, शीरी फरहाद को ऐसे बताया जाता है जैसे यह कोई महान पुरुष हुए हों, जैसे इन्होंने कोई महान काम किया है जबकि सही मायने में अगर देखा जाए तो मैं उनको दो टके के टपोरी की संज्ञा दूंगा। वह टपोरी थे, जिस मां ने नौ महीने पेट में रखा, जिस पिता ने पेट काटकर खिलाया, उस को तनाव में डालकर, कोई बहला फुसलाकर, उसकी बच्ची को ले जाता है और उस पिता को कोई अधिकार नहीं दिया जाता कि वह अपनी बच्ची को

(श्री बलजीत यादव)

समझा भी सके। इसलिए ऐसे बिल आ जाएंगे। किसान नहीं चाह रहा, वह बिल आ जाएंगे। तरह-तरह के बिल आ जाएंगे लेकिन हिन्दुस्तान की किसी भी सरकार में नहीं आया कि साहब, जो गरीब का बेटा हैं, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, वह महंगी शिक्षा नहीं ले सकता, इसलिए उसको सस्ती शिक्षा कैसे दिलाई जाए, उस पर कोई जोर नहीं देगा क्योंकि कारण इतना है, सारे सफेदपोश नेता हैं या आईएएस हैं जो सीनियर, सीनियर, उन्हीं की कालेज चलती है, उन्हीं के स्कूल चलते हैं। सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे-बट्टे, सब भाई हैं। किसी की भी सरकार आए, उन पर न बना है, न आगे कभी बनेगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे व धरना)

इसलिए मैं मेरे विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूं कि कभी आपका ज़मीर जगे तो इसके ऊपर भी आवाज उठाना। जब मानूंगा जब आप वेल में बैठोगे। जब आपकी सरकार आई थी, तब यह बनाते। आपकी सरकार किसी स्टेट में है, उसमें कानून बनाओ और गरीब किसान को वास्तव में राहत दिलाओ। लेकिन राहत नहीं दिलाई जाती है, सिर्फ राजनीति चमकाई जाती है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

इसलिये राजनीति चमकाने के लिए नहीं, मैं चाहता हूं विरोध होना चाहिए जनता के लिए।

मैं भी मानता हूं फोन टैपिंग गलत बात है। फोन टैपिंग कब हुई थी, उस वक्त आपने धरना नहीं दिया, उस वक्त प्रदर्शन नहीं किया। आज प्रदर्शन करने आ गये कि आगे चुनाव आ रहे हैं, तो प्रदर्शन चालू कर देते हैं। इसलिये ऐसा चरित्र नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो कोचिंग्स और इंस्टीट्यूट्स हैं, इन पर लगाम लगायी जानी चाहिए। विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं कि जो फीस कोरोना टाइम की ले ली, उस फीस का कोई हिसाब नहीं, जो टीचर हैं उनको सैलेरी नहीं दी, तो आप कम से कम यही कह देते कि फीस पूरी ली है तो जो अध्यापक हैं, जिन्होंने स्कूल में पढ़ाया, जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाया, जिन्होंने कोचिंग सेन्टर में पढ़ाया, न तो उनको सैलरी दी जा रही है, न गरीब को राहत दी जा रही है, तो कम से कम कुछ तो उनको करना चाहिए था। और भी नहीं करें, तो कम से कम ये आज बोल कर जाएं कि हां, हम मोदीजी से कहेंगे कि इन स्कूल-कॉलेजों पर रेड डालो, इनका अकाउंट चैक करो, इन्होंने कितनी फीस ली, इन्होंने कितना खर्चा किया।

(श्री बलजीत यादव)

सभापति महोदय, कागजों में प्रोफेसर दिखाए जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, दूसरे प्राइवेट कॉलेज हैं, सभापति महोदय, जो वहां पर प्रोफेसर्स की संख्या बतायी जाती है, मेरे यहां पर सांसद हैं, +++, इन्हीं की बी.जे.पी. पार्टी का है, सभापति महोदय, मैंने अख़बार में पढ़ा कि उसने बताया कि उसकी यूनिवर्सिटी में 200 प्रोफेसर हैं और रिकार्ड में बताया कि वहां पर 24 प्रोफेसर हैं। कितना बड़ा घोटाला करते हैं, ऐसा दोहरा चरित्र रखते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं और दुनिया को लूट-लूट कर खाते हैं। ऐसे लोगों को इन्हें पार्टी से निकालना चाहिए। अगर ये चाहें तो वह बात आई, वह बाकायदा चैक हुई और बाकायदा जो नौकरी दूसरी जगह कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ में कर रहे हैं, और उसको अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बता कर तनख्वाह उठा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अगर वास्तव में ये सही बात कहना चाहते हैं, वास्तव में ये सच्चाई का जीवन जीते हैं तो यह बात करनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ खाने के दांत और हैं। और दिखाने के दांत और हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता में जाग्रति आती जा रही है और राजस्थान की जनता धीरे-धीरे जाग रही है। हिन्दुस्तान की जनता भी जाग रही है, और इसीलिये हो रहा है कि जो किसान है, सौ-सौ दिन हो गये हैं, लेकिन उसका मनोबल नहीं टूट रहा है। वह सड़क पर बैठा है, उसके बच्चे बैठे हैं, उसके घर वाले, सब बैठे हैं। उसकी फसल कटने को आ जाती है, सभापति महोदय, मैं किसान का बेटा हूं। मेरे दादा-परदादा, सबने खेती की है। मैंने भी बचपन में खेती की है। मेरी मां ने खेती की है। मैं जानता हूं कि किसान के पास एक मिनट का भी समय नहीं होता कि अपना एक मिनट का समय भी जाया कर दे। जो इतना बिजी रहने वाला है, जो खून-पसीने की, ईमानदारी की खाने वाला है, वह सौ-सौ दिन सड़क पर पड़ा है तो यह समझना चाहिए कि इतना अहंकार किसी को भी नहीं होना चाहिए। अहंकार रावण का भी नहीं चला था। अहंकार है, इसलिये अगर वास्तव में उसकी पीड़ा को समझते तो हम मानते, और जिसने हमको बनाया, जो दाता है, जो देश का मालिक है, भला उससे कौनसा अहंकार करेंगे, उसको कौनसी शक्ति दिखाना चाहते हैं? जो शक्ति आपको दी है, वह शक्ति उसी किसान-मजदूर ने दी है। वह शक्ति, जो देना जानता है, वह शक्ति को वापस भी लेना जानता है।

(श्री बलजीत यादव)

इसलिये, सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहूंगा कि कभी उस किसान के पक्ष में भी धरना देते तो हमें लगता कि वास्तव में इनको किसानों की चिंता है। लेकिन कोई मतलब नहीं है किसान से, कोई मतलब नहीं है गरीब से। सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करो।

सभापति महोदय, रही खेल की बात, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो नई पीढ़ी है, वह बहुत ही ज्यादा, यह मानकर चलो खतरे की तरफ बढ़ रही है। जब से यह मोबाइल आया है, जब से तरह-तरह के ऐसे मोबाइल के ऊपर बच्चा अपना टाइम वेस्ट करता है, बच्चे का सारा टाइम उसके ऊपर चला जाता है, गेम्स, तरह-तरह के आगे गेम्स खेलता रहता है और उसकी फिजिकल एक्टिविटी बंद सी हो रखी है। इसलिये, जरूरत है ऐसे बच्चों को जो खेल-कूद के अन्दर भाग लें, उस चीज के लिए उनको उत्साहित किया जाए, उनके लिये माहौल बनाया जाए, गांवों में स्टेडियम बनाए जाएं, खेल की सुविधा मुहय्या करायी जाए। मैं धन्यवाद दूंगा एक बात के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का, कि जो सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज मैं कहता हूं, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है और जो सस्ती मिलती है, मुझे यह कहने में कतई भी वह नहीं है, और मैं बिलकुल फख्र के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार ने 88 सरकारी कॉलेज खोले, उससे राजस्थान के गरीब को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। इसी प्रकार से शिक्षा में इतना बजट दिया और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने उस गरीब के बच्चे को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसका सोचा, इसका प्रयास किया। इस बात की मैं सराहना करता हूं। इस बात के लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं लेकिन मैं उनसे फिर भी प्रार्थना करता हूं कि यह सब किया लेकिन आप कम से कम यह और करिये कि यह जो स्कूलों में लूट मची है, जो वहां पर इतनी महंगी किताबें दी जाती हैं, वहां पर ड्रेस इतनी महंगी दी जाती है, हर तरह की लूट है, उस लूट पर भी राजस्थान की सरकार रोक लगाएगी। यह कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लूट है, इस पर भी राजस्थान की सरकार रोक लगाएगी और राजस्थान की सरकार इस बात की भी व्यवस्था करेगी कि सरकार की तरफ से भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं, जिससे कि गरीब के बच्चे को भी आई.ए.एस. की कोचिंग मिल सके, जिससे गरीब के बच्चे को भी मेडिकल में जाने की कोचिंग मिल सके, गरीब के बच्चे को भी आई.आई.टी. में जाने की कोचिंग मिल सके, इस बात का प्रयास करेंगे। यह मैं अपेक्षा रखता हूं।

(श्री बलजीत यादव)

खेलों के लिए, नेशनल लेवल के प्लेयर्स के लिये दो परसेंट कोटा राजस्थान की सरकार ने निर्धारित किया है, उस बात की भी मैं प्रशंसा करता हूं, क्योंकि इससे गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। जिस युवा पीढ़ी का गेम्स से मोहभंग हो गया था, उसका वापस गेम्स के प्रति लगाव बढ़ेगा, इसलिये राजस्थान की सरकार की जितनी भी इस बात के लिये सराहना की जाए, उतनी कम है।

मैं और कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार को और तरह से भी किसान के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वर्तमान युग में, इस कलियुग में नैतिक शिक्षा की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसलिये नैतिक शिक्षा दे करके गरीब किसान के बच्चे को, जो गलत दिशा में जा रहा है, उसे रोकना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिये उनको गेम्स की तरफ बढ़ावा देंगे तो जो ये बुराइयां हैं, उसके जीवन में जो बुराइयां घेरती हैं, उन बुराइयों से वह दूर रहेगा। साथ ही नशा मुक्ति अभियान चलाए जाएं, जिससे कि वह नशे की ओर जाने से मुक्त रहे। टीचर उसको कामयाब लोगों के बारे में बताएं, उनकी जीवनी उनको बताएं, उनके बच्चों को बताएं कि जिन्होंने इतिहास लिखा, जिन्होंने इतिहास बदला, उनमें कौनसी खूबियां थीं, वे खूबियां उनमें भी पैदा की जाएं।

मैं राजस्थान की असेम्बली से मेरे राजस्थान के 36 बिरादरी के गरीब मजदूरों को बताना चाहता हूं, उनके बच्चों से कहना चाहता हूं, जो यह पैसे वाले लोग हैं, इनके बच्चे हैं और एक गरीब का बच्चा है, आप में अन्तर इतना ही है कि यह जो पैसे वालों के बच्चे हैं, ये डालडा हैं और आप देशी घी हो। आपका और इनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, सिर्फ जरूरत है तो अपने जुनून को जगाने की जरूरत है, इसलिये जुनून को जगाएं।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, केन्द्र सरकार अभी न्यू एजुकेशन स्कीम 2020 लेकर आई, जो एजुकेशन स्कीम ले करके आई, उस स्कीम में इन्होंने डिसाइड किया कि जो विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज हैं, अब इन यूनिवर्सिटीज को हिन्दुस्तान में कैम्पस उपलब्ध कराया जाएगा। ये यूनिवर्सिटीज आ करके हमारे यहां के कैम्पस में शिक्षा देंगी। सभापति महोदय, इससे बहुत बड़ा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये, समाप्त करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं, एक मिनट में।

सभापति महोदय, इससे इतना बड़ा खतरा होगा कि उस विदेशी यूनिवर्सिटी को आप यहां कैम्पस उपलब्ध कराएंगे। वे यहां के अच्छे-अच्छे प्रोफेसर्स को हायर करेंगी और महंगी-महंगी फीस लेंगी। उस एजुकेशन का फायदा गरीब का बच्चा नहीं उठाएगा। हमारे आई.आई.टी. जैसे इंस्टीट्यूट बरबाद हो जाएंगे, हमारे मेडिकल कॉलेज बरबाद हो जाएंगे और वे विदेशी यहां आ करके महंगी फीस रखेंगे। उसमें अडाणी जैसों के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, इसलिये अगर हिन्दुस्तान कोरोना की वैक्सीन बना सकता है, अगर हिन्दुस्तान मेट्रो बना सकता है तो हिन्दुस्तान की सरकार वहां जाए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। ...(व्यवधान) विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): हमारे यहां के स्टूडेंट को भेजें, चाहे हमारे यहां के प्रोफेसर को विदेश में भेजें, उनको चाहे भेज करके फिर यहां पर लाएं और फिर वह वहां का अनुभव बताएं।

श्री सभापति: श्री वेद प्रकाश सोलंकी।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): कौन-कौनसी जगह हमारे यहां पर भी होनी चाहिए जो विदेशी यूनिवर्सिटीज में हैं, वही सुविधाएं यहां पर डवलप करें। वही सारा का सारा सिस्टम यहां डवलप करें और हमारे जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको भी वहां जा करके उनके पास भेजें, ताकि वहां जो शिक्षा दी जा रही है, वह भी सीख करके आएं, ट्रेनिंग के लिए भेजे और यहीं पर शिक्षा दे। चूंकि हमारा देश तरक्की तब करेगा जब सारा का सारा हम अपना ढांचा बनाएंगे। हम विदेशियों के भरोसे तरक्की नहीं कर सकते। देश इक्कीसवीं सदी में जा रहा है, अभी भी हम विदेशियों के भरोसे नहीं रह सकते। हमें अपने आपको मजबूत करने की जरूरत है, हमें अपने आपको शक्तिशाली करने की जरूरत है। यही मैं कहना चाहूंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री वेद प्रकाश सोलंकी।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि चाकसू उप खंड के ऊपर राजस्थान में चाकसू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन महाविद्यालय खोले, उसके लिये बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से ये लोग पिछले कार्यकाल में, ये चाहते ही नहीं हैं कि कोई दलितों की बात उठाए और वह दलितों के पास जाए। जिस तरीके से इनकी सरकार थी, उस समय एस.सी., एस.टी. के 153 पद काट दिये थे।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार ऐसा हुआ कि रिजल्ट जारी हो गया और उसके बाद में 153 पद, एस.सी. के 87 पद काट दिये गये थे, 66 पदों को, हमारे एस.टी. के छात्रों के काट दिये गये थे। माननीय सभापति महोदय, उसके बाद में हमारी सरकार आने के बाद में इन लोगों को माननीय मंत्री महोदय ने, उच्च शिक्षा विभाग ने इन पदों को जोड़ने के लिए वापस से आर.पी.एस.सी. को पत्र लिखा, फाइनेंस विभाग की स्वीकृति ली, कार्मिक विभाग की स्वीकृति भी ली। उच्च शिक्षा विभाग के कहने के बाद भी अभी तक आर.पी.एस.सी. ने उन 153 योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी नहीं की है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि आरपी.एस.सी. ने अभी तक 153 पदों की जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनकी सूची जारी करनी थी, तो आप आर.पी.एस.सी. को शीघ्र यह निर्देश प्रदान करें कि 153 अभ्यर्थियों की तत्काल प्रभाव से सूची जारी कराएं।

माननीय सभापति महोदय, यह लोग पहले भी ऐसे करते चले गये। इसी तरह से एस.सी., एस.टी. के लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इनकी सरकार ने गुड एकेडमिक रिकार्ड के लिए 5 परसेंट जो सरकार देती आ रही थी, उसको बंद कर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि जब अपनी सरकार ने यह गुड एकेडमिक का, पांच परसेंट की यह छूट दे दी अभी नई भर्तियों के अंदर तो जो पिछली भर्तियां थीं उनके अंदर जो पांच परसेंट की छूट नहीं दी गयी, उसको भी लागू करके जो चयनित विद्यार्थी हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से यह नियुक्तियां दिलाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक विषय की तरफ

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

और दिलाना चाहता हूं कि यह सैट की परीक्षाओं के बारे में हमारे धौलपुर और भरतपुर के जो हमारे जाट समाज के छात्र हैं, उनको मौका अभी दिया गया था। हमारे यहां पर आठ साल से सैट की परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई हैं इसकी वजह से हमारे वहां के नौजवान साथियों को इन परीक्षाओं में बैठने का फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि सैट की परीक्षाओं की जो तारीख है, वह आगे बढ़ाकर जो धौलपुर एवं भरतपुर के हमारे जाट समाज के छात्र हैं, उनको भी सम्मिलित करवाने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उच्च शिक्षा के अंदर वहां पर चाकसू में और कोटखावदा में यह कॉलेज खोले गये तो हमारे छात्रों की, युवाओं की यह मांग है, मैं माननीय खेल मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर छात्रों के लिए, यह जयपुर से पास है चालीस किलोमीटर, वहां पर खेलों का काफी स्कोप है, हमारे चाकसू विधान सभा क्षेत्र के काफी गांवों के बच्चे खेलने के लिए जयपुर एकेडमी में आते हैं, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि चाकसू के अंदर एक खेल स्टेडियम बनाएं इंडोर स्टेडियम बनाएं। उसके लिए जिस तरह से यह बात हुई है, मैं एक करोड़ रुपये विधायक कोष से भी दे दूंगा और ज्यादा से ज्यादा जो भी राशि होगी, हमारे प्राइवेट दानदाताओं से, वह भी करवाने का प्रयास करूंगा कि जिससे हमारी खेल की जो प्रतिभाएं हैं, अगर यह खेल स्टेडियम बन जाता है तो वहां की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से आपके माध्यम से आज यही कहना चाहता हूं कि आरपी.एस.सी. ने अभी तक जो हमारे डिपार्टमेंट के कहने के बाद भी लिस्ट नहीं निकाली है, वह नियुक्तियों की, सफल अभ्यर्थियों की सूची तत्काल प्रभाव से दे, जिससे हमारे एस.सी., एस.टी. के छात्रों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, जब गलती मान ली थी पिछली सरकार के लोगों ने, उसी के मार्फत हमारा डिपार्टमेंट अब यह चाह रहा है और आर.पी.एस.सी. को बार बार रिमाइंडर भेज रहा है कि जो सफल अभ्यर्थी है, उनकी सूची जारी करे, परंतु आर.पी.एस.सी. टालमटोल कर रही है, नियम-16 का हवाला दे रही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

कहना चाहता हूं कि नियम-16 का हवाला इसमें लगता भी नहीं है, न कोई वैध कारण होते हुए भी आर.पी.एस.सी. इनकी नियुक्तियां नहीं कर पा रही है। अत: पुन: आपसे निवेदन करता हूं आप यह निर्देशित करें और माननीय मंत्री महोदय से यह कहें कि 153 जो एस.सी., एस.टी. के पद हैं, वह तत्काल प्रभाव से जारी करवाने की कृपा करें, जिससे जो बच्चे हमारे राह देख रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, जिन बच्चों का रिजल्ट आने के बाद में जो यह चीज रोक ली गयी थी, उनकी नियुक्ति पत्र तक रोक लिये गये थे, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से इस संबंध में मैं कई बार मिला भी हूं, मुख्य मंत्रीजी से भी मिला हूं, 153 हमारे जो लैक्चरर्स का सवाल है, यह हमारे एस.सी., एस.टी. कर्णधार हैं। माननीय सभापति महोदय, इन बच्चों के लिए आप तत्काल प्रभाव से यह आदेश कराएं कि आर.पी.एस.सी. इनकी वेटिंग लिस्ट जारी करे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। इन लोगों का काम हमेशा यही रहा है कि गलत काम खुद कर जाओ और दूसरे को बोलने मत दो। यह आज इन्होंने चरितार्थ कर दिया है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्री सभापति: श्री अशोक चांदना।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 24 खेल एवं युवा मामलात के ऊपर सदन को मैं यह अवगत करवाना चाहता हूं कि कल प्रश्न के गलत जवाब देने के प्रकरण में 15 तारीख को कल की तारीख में ही दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। श्री लहरीदास एवं जिला खेल अधिकारी श्री ओमप्रकाश बारिया, दोनों को कल की तारीख में निलंबित कर दिया गया। उदयपुर के जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन, विधान सभा प्रकोष्ठ प्रभारी राजस्थान श्याम वीर सिंह एवं सहायक अभियंता श्री विनोद कुमार वर्मा को 17-सी.सी.ए. के नोटिस दिये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, खेल विभाग की तरफ से मैं इस सदन को यह अवगत करवाना चाहता हूं कि पिछले बजट के अंदर, वर्ष 2020-21 के अंदर जो 16 नये स्टेडियम के लिए 25-25 लाख रुपये माननीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री अशोक)

ने घोषणा की थी, समस्त 16 स्टेडियम के लिए 25-25 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं और काफी में काम भी शुरू हो गया है और बहुत जल्दी ही वह काम पूरे हो जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, युवाओं के लिए इस बार एक विशेष योजना इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी लेकर आये हैं। मैं यह समझता हूं कि हमारा यह देश एक युवा देश है। निश्चित रूप से आज देश का युवा भटका हुआ है, नशे की ओर अग्रसर है और गलत रास्ते पर चल पड़ा है। युवा डिपार्टमेंट की तरफ से जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की है कि जितने भी युवा एम्बेसडर्स राजस्थान के हैं, उनको रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा दी जाएगी, तो कहीं न कहीं युवाओं में अच्छी आदतों का संचार वह करेंगे, प्रदेश के युवाओं को अच्छा संदेश वह देंगे।

साथ ही साथ, ढाई हजार राजीव गांधी युवा मित्र और 50 हजार महिला एवं पुरुष राजीव गांधी वालंटियर बनाये जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की। माननीय सभापति महोदय, इन वालंटियर्स के माध्यम से, इन राजीव गांधी युवा मित्रों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं में जो कुरीतियां हैं, नशे का चलन है, इन सभी कुरीतियों को दूर करने का काम युवा विभाग करेगा।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ, युवाओं को यूथ हॉस्टल में अच्छी सुविधा देने के लिए उदयपुर, जोधपुर, अजमेर के यूथ हॉस्टल का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, सजाने का काम किया जाएगा और यूथ एक्सीलेंस सेंटर पांच करोड़ रुपये की लागत के व्यय से राजस्थान में स्थापित होगा।

माननीय सभापति महोदय, बात खेलों की आती है और मैं यह समझता हूं कि मैंने पिछले बजट रिप्लाई के अंदर भी यह कहा था कि व्यक्ति किसी भी उम्र का हो, चाहे पांच साल का हो, चाहे पचास साल का हो या चाहे 90 साल का हो, खेल खेलने का सबका बराबर अधिकार है। हालांकि, यह जो सामने बैठे हुए हैं, यह सब शर्मनाक खेल खेलते हैं। जनता की भावनाओं के खिलाफ सरकार को गिराने का खेल खेलते हैं। जनता की भावनाओं के खिलाफ काम करने का खेल खेलते हैं। इस सदन के अंदर शिक्षा और खेल के ऊपर जो आज चर्चा है, इस चर्चा को खराब करने का काम और ऐसा गंदा खेल यह खेलते हैं, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इस

(श्री अशोक)

प्रदेश का युवा, इस प्रदेश की युवा पीढ़ी इनको बहुत बड़ा मजा चखाने वाली है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

माननीय सभापति महोदय, खेलों के लिए मैं प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूर्व में कोचेज की संख्या केवल 300 थी, उसको 500 बढ़ाकर, 10 करोड़ का उसका बजट करके राजस्थान के खिलाड़ियों को नये सिरे से कोचिंग और हाई लेवल की कोचिंग देने का काम माननीय मुख्य मंत्रीजी के दिशा-निर्देश के अनुसार शुरू हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, खिलाड़ी सभी प्रतियोगिताओं में जाएं, उनके लिए रहने की अच्छी व्यवस्था हो, उनके अच्छे खाने की व्यवस्था हो, हाइजीन की व्यवस्था हो, उनकी परफोर्मेंस खराब नहीं हो, इसके लिए प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिदिन 500 रुपये को बढ़ाकर 1,000 का भत्ता किया, राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिदिन 300 रुपये को बढ़ाकर 600 रुपये किया गया और आने वाले समय में एक लाख के आस-पास खिलाड़ियों को फायदा मिलने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के खिलाड़ियों की हमेशा से एक मांग थी कि हरियाणा के अंदर जो चैम्पियन खिलाड़ी हैं, उनको इनाम राशि बहुत ज्यादा है, पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन राजस्थान के खिलाड़ियों की इनाम राशि बहुत कम थी। उस इनाम राशि को राजस्थान में बढ़ाने का काम यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने किया। ओलम्पिक के स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की, रजत पदक विजेता को 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की, कांस्य पदक विजेता को 30 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ की। एशियाई और कॉमनवैल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ किया, रजत पदक विजेता को 20 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किया और कांस्य पदक विजेता को 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया। मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, इस घोषणा के बाद में देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, जो मैडल लेने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान से ज्यादा कोई इनाम राशि दे सकता हो, ऐसा भारत में कोई प्रदेश नहीं है। प्रदेश

(श्री अशोक)

के एक-एक खिलाड़ी की तरफ से जननायक मुख्य मंत्रीजी को, क्योंकि वह मुझसे मिलते हैं और अपनी आशाएं बताते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद प्रेषित करते हैं और इस मंच के माध्यम से मैं भी उनका धन्यवाद देना चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

माननीय सभापति महोदय, यह जो आज वेल के अंदर बैठे हुए हैं, इनके करम हैं कि इनको वेल में बैठना पड़ रहा है। जनता ने तो 160 सीटें दी थीं लेकिन इन्होंने पाँच सालों में ऐसे दुष्कर्म किये कि इनको 160 से आधे से भी कम सीटें देने का काम प्रदेश की जनता ने किया। माननीय सभापति महोदय, उसका एक जीता-जागता उदाहरण मेरे हाथ में है। खिलाड़ियों की अनुदान राशि, जो छोटे-छोटे बच्चे खेलकर मैडल प्राप्त करके, उनका अधिकार होता है, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने तीन साल तक इनके राज में उन खिलाड़ियों की अनुदान राशि को रोकने का शर्मनाक काम किया है और यह लोग उन्हीं बच्चों की बद्दुआ की वजह से आज इस वेल के अंदर बैठे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने आंकड़ा रखना चाहता हूं। आप कहेंगे तो मैं टेबल भी कर दूंगा। पांच साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में खिलाड़ियों की अनुदान राशि के लिये मात्र 28 करोड़ 56 लाख रुपये उनके अकाउंट में गये और वहीं मात्र दो साल में, जिसमें कि 6 महीने कोरोना काल खा गया, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद में, अशोक गहलोत जी के राज में 21 करोड़ 78 लाख 93 हजार डेढ़ से दो साल के अंदर खिलाड़ियों के अकाउंट में गया। मतलब, इनकी कार्यशैली से इस साल की दो साल की कार्यशैली को कम्पेयर करें तो ढाई सौ गुना ज्यादा खिलाड़ियों को अनुदान राशि इनके कार्यकाल के मुकाबले दी है। ढाई सौ प्रतिशत, मैं अपनी बात को ठीक करूंगा, ढाई सौ प्रतिशत इनसे ज्यादा दिया है।

माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़ी मांग थी कि प्रदेश के खिलाड़ी, जिनका कि भविष्य खराब हो जाता था। अच्छे-अच्छे मैडल लेकर आते थे और बुढ़ापे में उनकी स्थितियां खराब हो जाती थीं, हमारे पहले बजट सैशन में इसी विधान सभा के अंदर आफिस में बैठकर अधिकारियों से चर्चा की कि किस प्रकार से जॉब पालिसीज के अंदर अमेंडमेंट किया जाए, क्योंकि इन्होंने तो

(श्री अशोक)

पुलिंदा बना-बनाकर छोड़ दिया। आउट ऑफ टर्न की पॉलिसी बनायी 2016 में और उस पॉलिसी के तहत इस राजस्थान की मिट्टी के, इस राजस्थान की धरती के एक भी खिलाड़ी को जॉब यह लोग नहीं दे पाये और केवल कागजों का पुलिंदा बनाने का काम इन्होंने किया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

माननीय सभापति महोदय, जब हमारी सरकार आयी तो हम लोगों ने 2 प्रतिशत का अमेंडमेंट किया और इस 2 प्रतिशत के अमेंडमेंट की वजह से 256 बच्चे इन दो सालों के अंदर सरकारी नौकरी लग चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, 85 पद खिलाड़ियों के लिये आरक्षित हो गये। मैं एक बात कहता हूं कि जब अधिकारियों ने कहा कि हर मंत्री यह बात करता है कि ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए कि खिलाड़ियों की नौकरी लग जाये, जो डिजर्व करते हैं लेकिन, मंत्री महोदय, यह काम करना असंभव है। पहले बहुत मंत्री आये और चले गये, लेकिन यह अमेंडमेंट कोई कर नहीं पाया। मुझे एक समझदार व्यक्ति की बात याद आयी कि -

'**जो सफर इख्तियार करते हैं,**
वही मंजिलों को पार करते हैं।
एक बार चलने का हौसला करिये जनाब,
ऐसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं।।'

माननीय सभापति महोदय, दो प्रतिशत जॉब पॉलिसी के अंदर हमने अमेंडमेंट किया और इस साल के अल्प कार्यकाल के अंदर 256 बच्चे ज्वाइनिंग पा चुके हैं। माननीय सभापति महोदय, ये वो लोग हैं जिन्होंने 2 प्रतिशत नौकरी के अंदर 53 खिलाड़ी, जिनकी कि नौकरी लग चुकी थी, लेकिन उनको ज्वाइनिंग से वंचित रखा। ये वह +++ सरकार है, 53 बच्चे पुलिस की नौकरी पाने के बाद में उन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार आने के बाद में उन 53 बच्चों का अधिकार, हम लोग पुलिस हैडक्वार्टर गये, ए.सी.एस. होम के पास में हम लोग गये, उनका पक्ष रखा और आज वह 53 बच्चे पुलिस के अंदर नौकरी कर रहे हैं। इसीलिए, उन बच्चों की बद्दुआ है कि आज ये लोग इस वेल में बैठे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी जो 2016 में यह वैल में बैठे हुए हैं इनके राज में बनायी

(श्री अशोक)

गयी। एक सिंगल नौकरी इस प्रदेश के खिलाड़ियों को नहीं दी। 182 खिलाड़ियों को डायरेक्ट आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। 182 बच्चों को, जिसमें से 29 को ए और बी कैटेगरी के अंदर नौकरी दी, 153 बच्चों को अभी नियुक्ति मिल गयी है, उनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

माननीय सभापति महोदय, यह आउट ऑफ टर्न पॉलिसी की वजह है कि जयपुर के अंदर जब कबड्डी का कैम्प डिसीजन हुआ, माननीय सभापति महोदय, 60 टीमों ने भाग लिया। जहां पर केवल 50 बच्चे ट्रायल के लिये आते थे, 50 में से 15 ही सलेक्ट हो पाते थे, वहां पर जिले में 750 बच्चों ने सात टीमों के माध्यम से मैच खेले और उन 750 बच्चों में से 15 खिलाड़ियों का सलेक्शन हुआ।

माननीय सभापति महोदय, खिलाड़ियों के अंदर एक उम्मीद जगी है, खिलाड़ियों के अंदर एक ऊर्जा आयी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने खिलाड़ियों को एक नया जीवन देने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, ये वो लोग हैं, आज मैं इनका एक और चेहरा बताता हूं। माननीय सभापति महोदय, आउट ऑफ टर्न पॉलिसी आने के बाद में राजस्थान में शूटिंग के अव्वल दर्जे के जो बच्चे थे, वह अव्वल दर्जे के बच्चे 2019 में 12 बच्चों ने राजस्थान छोड़ा। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सब इधर रहेंगे। इधर ही रहेंगे। सब इधर रहेंगे।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): 2020 के अंदर 16 ने राजस्थान छोड़ा। हमारी पॉलिसी आने के बाद में मात्र 6 बच्चों ने राजस्थान छोड़ा, जो कि आर्मी में थे। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: इधर ही रहिये। माननीय सदस्य, इधर रहिये।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय सभापति महोदय, यह यहां पर शोर जरूर मचाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर शोर मचा रहे हैं, लेकिन मैं इनका असली चरित्र और चेहरा बताने का काम करता हूं। आज मैं आपको बताता हूं आसाम के अंदर..(व्यवधान)..

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना एवं नारे)

श्री सभापति: रास्ता बाधित नहीं करें, आप इधर रहिये। ..(व्यवधान)..

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है, उसको डिप्टी बनाया गया। मैं आसाम की सरकार को बधाई देता हूं कि एक खिलाड़ी का जीवन बनाने का काम उन्होंने किया लेकिन यह बीजेपी के नेता, सोशल मीडिया पर बधाई देने का इनको समय है, उप नेता प्रतिपक्ष और प्रदेशाध्यक्ष ने बधाई दी लेकिन माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की बेटियां जो डिप्टी बनीं, राजस्थान की बेटियां जो अधिकारी बनीं, राजस्थान के बेटे जो अधिकारी बने, उनको बधाई देने के लिए इन लोगों के पास में कोई उनके लिए सहानुभूति नहीं है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के जो खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न जोब मिली...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, रास्ता बाधित नहीं करें, रास्ते से हटिये आप। रास्ते से हटाओ इनको। रास्ता छोड़िये रास्ता, रास्ता छोड़िये। माननीय सदस्य, रास्ता छोड़िये, इधर आइये आप। रिपोर्टर्स को आने दें, रास्ता छोड़िये आप। माननीय सदस्य, रिपोर्टर्स को आने दें, रास्ता छोड़िये। श्री भंवर सिंह भाटी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान से टोक्यो ओलम्पिक के अन्दर...

श्री सभापति: श्री भंवर सिंह भाटी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): सभापति महोदय, अभी चल रहा है।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सदस्यगण।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय सभापति महोदय, अभी चालू है, आपने रोका था इसलिए मैं रुक गया था।

श्री सभापति: और बोलेंगे अभी?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): बोल रहा हूं, बोल रहा हूं।

राजस्थान की खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश सिंह, भावना जाट को

(श्री अशोक)

टोक्यो ओलम्पिक में जगह मिली है। राजस्थान के 6 पैरा खिलाड़ी, सुन्दर गुर्जर, देवेन्द्र झाझड़िया, संदीप सिंह मान, कृष्णा नागर, अवनी लेखरा, श्याम सुन्दर स्वामी 2020 के टोक्यो पैरा-ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई किये हैं। राजस्थान के खिलाड़ी रजत चौहान, स्वाति दूधवाल को तीरंदाजी वर्ल्ड कप टीम में, 8 में से 2 बच्चे राजस्थान के गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जितने भी बच्चे टोक्यो ओलम्पिक और वर्ल्ड कप में गये, इन सबको आउट ऑफ टर्न के अन्दर नौकरी मिली है। इन सबका नाम इसके अन्दर क्वालिफाई करता है और जिन्होंने भी एप्लाई किया, उन सबको राजस्थान सरकार ने नौकरी देने का काम किया। सभापति महोदय, इनके निरन्तर प्रयासों और इनकी मेहनत के लिए कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है,

'नजर नजर में उतरना कमाल होता है,
नफस नफस में बिखरना कमाल होता है,
बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं,
बुलंदियों पर बना रहना कमाल होता है।'

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार कट-मोशंस पर बड़ी-बड़ी घोषणाएं, बड़े-बड़े भाषण यहां कई सदस्यों ने, विपक्ष के सदस्यों ने दिये, उन्हीं की बातों को मद्दे नजर रखते हुए प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने खेल विभाग में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम राजस्थान के हर ब्लॉक स्तर पर बनाने का फैसला किया और इसके अन्दर मैं समस्त विधायकगण से आह्वान करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा, मेरा पत्र भी उनको मिलेगा, जन प्रतिनिधि विधायक/सांसद निधि, जन सहयोग, सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

अब यह जो वेल के अन्दर खड़े हुए हैं, मैं देखूंगा कि इनके इलाके के युवाओं के लिए, इनके इलाके के खिलाडियों के लिए इनकी नजर में क्या रोड मैप है, यह किस मैम्बर पार्लियामेंट से लाते हैं, यह विधायक कोष से कितना पैसा देते हैं? माननीय सभापति महोदय, यह मैं इनका देखूंगा कि क्या केवल चिल्लाने के लिए यहां सदन में आते हैं या खिलाड़ियों के लिए इनके दिमाग में कोई रोडमैप है।

(श्री अशोक)

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट सत्र के अन्दर हम लोगों ने एक सपना इस सदन को दिखाया था। राजस्थान के बच्चे जो छोटी उम्र से खेलों को शुरू करते हैं, यदि उस समय में उनका ध्यान रखा जाए, उस समय में उनको कोचिंग मिले, उस छोटी उम्र में उन्हें रेजिडेंशल स्कूल मिले तो वो खिलाड़ी आगे चल कर राजस्थान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। उसी भावना की कद्र करते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री ने स्पोर्ट स्कूल बनाने की घोषणा इस सदन के अन्दर की और मैं इस सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस घोषणा के तहत इस जुलाई सैशन से ही इन दोनों स्पोर्ट स्कूल को चालू किया जाएगा।

सभापति महोदय, साथ ही साथ जो उच्च दर्जे के खिलाड़ी हैं, कई चोटों की वजह से उनका कैरियर खराब हो जाता था। किसी भी चोट की वजह से राजस्थान के खिलाड़ी का कैरियर खराब नहीं हो, उसके लिए 16 करोड़ की लागत का री-हैबिलिटेशन सेंटर राजस्थान के अन्दर बनाया जाएगा, ताकि हमारे राजस्थान के खिलाडियों का हम ध्यान रखें और कभी इनका भविष्य खराब नहीं हो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण खेलों के लिए ग्रामीण इलाकों में खेलों का वातावरण बने और ग्रामीण बच्चों को अव्वल दर्जे के आयोजन के अन्दर हिस्सा लेने का मौका मिले, उसको नजर में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने ग्रामीण खेल के लिए 30 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। राजस्थान के हर गांव के अन्दर, राजस्थान के हर रेवेन्यू विलेज के अन्दर हमारा बेटा खेलेगा, हमारी बेटी खेलेगी और आने वाले समय में इस योजना के तहत गांव के अन्दर खेलों को बढ़ावा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। चूंकि प्रदेश में अब खेलों के प्रति आग लग चुकी है, खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं, मैदान भर रहे हैं तो बहुत सारी प्राइवेट एकेडमीज भी प्रदेश में आ रही हैं और काफी शिकायतें आती हैं कि प्राइवेट एकेडमीज के अन्दर कई जगह पर अनाप-शनाप पैसा लिया जाता है और उनके ऊपर कोई रूल्स-रेगुलेशन नहीं खेल विभाग के, आने वाले साल में प्राइवेट एकेडमीज के लिए नियम और प्रावधान बनाये जाएंगे ताकि प्रदेश के बच्चे, जो प्राइवेट एकेडमीज की सुविधाओं को हासिल करेंगे, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हो और उनके साथ भी न्याय हो।

(श्री अशोक)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

माननीय सभापति महोदय, बार-बार एक बात, यह विपक्ष के साथी हर घोषणा के ऊपर यह एक बात उठाते हैं कि कितने बजट का प्रावधान किया? यह मुद्दा हमेशा उठाते हैं, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं कि इनकी यह बात सुनते हुए हम लोगों ने भी अपना मन बनाया, हमने प्रेरणा ली, किसी ने कहा है,

'सुना है आज समुद्र को बड़ा गुमान आया है,

उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है'

और इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सभापति महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि 100 नर्सरी एकेडमीज राजस्थान के अन्दर, उसका कोई बजट प्रावधान नहीं है, यह भी मैं घोषणा कर रहा हूं लेकिन जितना बजट लगेगा वह मुहैया होगा और हमारे पास में जो साधन हैं उनका इस्तेमाल होगा। दिमाग लगा कर 100 नर्सरी एकेडमीज की हम लोग राजस्थान में स्थापना करेंगे ताकि राजस्थान के बच्चों को कम उम्र में उनके जिले में, उनके गांव में खेलने की सुविधा मिले और जो स्पोर्ट्स स्कूल हैं और बड़ी एकेडमीज हैं उनके लिए यह एकेडमीज नर्सरी का काम करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

माननीय सभापति महोदय, चूंकि चाकसू से आने वाले माननीय सदस्य ने स्टेडियम में एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है तो आज मैं घोषणा करता हूं कि उनके यहां पर मैचिंग ग्रांट के तहत बराबर फंड देकर और उनके यहां पर भी खेल स्टेडियम बनाया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, आज कुल मिलाकर 77 कट-मोशंस 57 माननीय विधायकों ने लगाये। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि दो दिन के अन्दर इन सबके जवाब आएंगे और सब पर विचार करके हम जल्दी से जल्दी काम कराने की कोशिश करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह जो इस वेल के अन्दर बैठे हुए हैं, मेरी बात खतम करने से पहले इनको एक राय दूंगा कि यह जो नारा लगा रहे थे+++तो मुझे तो लगा कि इनकी केन्द्र की सरकार गिरने वाली है क्योंकि +++

माननीय सभापति महोदय, मोटी-मोटी बातें खेलों की आ चुकी हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारे)

(श्री अशोक)

माननीय सभापति महोदय, यह आज जो इनके पीड़ा है, कई सदस्यों ने बताया कि इनके क्या पीड़ा है। पूरे देश के अन्दर सरकारें गिराने का, पर देश के लोगों के द्वारा वोट देकर सरकारें बनाने का काम किया गया और जनता के विपरीत पैसों से, जो भी तंत्र हो सकते थे, ई.डी. से, इन्कम टैक्स से परेशान करके सरकारें गिराने का जो घिनौना काम इन लोगों ने किया, उस रथ को रोकने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं,

'मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है,
हर पहलू जिंदगी में इम्तिहान होता है।
डरने वालों को कुछ नहीं मिलता,
लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है'।

माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री सभापति: श्री भंवर सिंह भाटी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं सदन में उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा जिन्होंने आज उच्च शिक्षा की मांग पर बोलने का काम किया है।

राज्य की पन्द्रहवीं विधान सभा के षष्ठम सत्र के दौरान माननीय सदस्यगणों ने उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर कई प्रश्न किये हैं और मैंने उसके जवाब भी दिये हैं। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने संवेदनशीलता के साथ उच्च शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रखा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले उच्च शिक्षा पर अपनी बात रखना चाहता हूं। आपके माध्यम से मैं राज्य के संवेदनशील और दूरदर्शी मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक अभिवृद्धि, व्यवस्था सुधार एवं युवा पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखकर बजट में उच्च शिक्षा विभाग को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दलित, कृषक, मजदूर व गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दूरदराज के क्षेत्रों में नवीन राजकीय महाविद्यालय आरंभ किये हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

(श्री भंवर सिंह भाटी)

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के प्रति गंभीर है। इसका परिचय इस बात से भी मिलता है कि प्रति लाख आबादी की दृष्टि से उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में राजस्थान राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। पिछले 2 वर्षों में उच्च शिक्षा में राजस्थान प्रदेश के सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। सत्र 2017-18 में राजस्थान का कुल सकल नामांकन अनुपात 21.7 था जो बढ़कर 2019-20 में लगभग 25 हो गया है। गत 2 वर्षों में महाविद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसका प्रभाव आगामी वर्षों में सकल नामांकन अनुपात की वृद्धि में देखने को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इसी तरह उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में वृद्धि होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया सकल नामांकन अनुपात, ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 50 प्रतिशत के आंकड़े को छू लेगा।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि विदित है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रदेश में माकूल इंतजाम कर प्रदेश की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनायी एवं राजस्थान के मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। इस महामारी के बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में भी उच्च शिक्षा का व्यापक स्तर पर वातावरण तैयार किये जाने हेतु 28 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके साथ-साथ जोधपुर का जो एमबीएम विश्वविद्यालय का बिल है, वह सदन में पुर:स्थापित किया गया है, जो कि राज्य के युवा एवं विद्यार्थियों के कौशल प्रशिक्षण एवं आजीविका विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ प्रदेश में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की अवधारणा को साकार करने हेतु राज्य के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे 4 साथी जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके सामाजिक जीवन एवं योगदान की स्मृति को चिरस्थायी बनाये रखने के लिए कुंवारिया, राजसमंद में किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय; भीण्डर, उदयपुर में गजेन्द्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय; सुजानगढ़, चूरू में मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय व गंगापुर, भीलवाड़ा में कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध करवाने एवं उच्च शिक्षा में शिक्षण कार्य को निरंतर बनाये रखने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ एवं अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिए विद्या संबल योजना लागू करने की घोषणा की है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सभापति महोदय, सत्र 2020-21 में नवसृजित राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था के लिए विद्या संबल योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सत्र 2018-19 से 2020-21 तक विगत 3 सत्रों में नवसृजित 116 राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था हेतु स्वीकृत विषयों में मांग के अनुरूप यूजीसी, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को प्रति कालांश मानदेय भुगतान के आधार पर आमंत्रित किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अध्यापन व्यवस्था हेतु आरंभ की जा रही प्रस्तावित विद्या संबल योजना शिक्षण कार्य में उच्च शिक्षा विभाग की अभूतपूर्व पहल होगी। मेरा मानना है कि इस योजना से दूरदराज के नवसृजित राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुचारु होगी। विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी इससे अत्यंत लाभान्वित होंगे।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा गत 2 वर्षों में किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का लेखा-जोखा इस प्रकार है। जहां तक प्रदेश में नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का प्रश्न है, आजादी के बाद पहली बार मात्र 2 वर्षों में 79 नवीन व 9 राज्याधीन, कुल 88 तथा इस वर्ष खोले गये 27 नए राजकीय महाविद्यालय, कुल मिलाकर 116 नवीन राजकीय महाविद्यालय आरंभ कर माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इतिहास रचते हुए उच्च शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया गया है जबकि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ 73 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले। वर्तमान बजट में भी ग्रामीण एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 28 नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा की गई है।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने न केवल नए महाविद्यालय खोले बल्कि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 14 राजकीय महाविद्यालयों में 20 नवीन संकाय, 11 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 18 नवीन विषय प्रारंभ किये गये। 19 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर 24 नवीन विषय प्रारंभ किये गए तथा 13 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर, पीजी में क्रमोन्नत किया गया। इसी तरह प्रदेश के 7 राजकीय महाविद्यालयों में उर्दू साहित्य विषय प्रारंभ किया गया।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सामाजिक सरोकारों के लिए योगदान देने वाले भामाशाहों एवं नागरिकों के समाज कल्याण के कार्यों को पहचान देने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। इसी के चलते प्रदेश में शराब बंदी जैसे पवित्र उद्देश्य के लिए अनशन करते हुए अपने प्राण त्यागने वाले स्वर्गीय गुरुशरण जी छाबड़ा की स्मृति में राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़, श्री गंगानगर का नामकरण श्री गुरुशरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ किया गया।

इसी प्रकार राज्य के शहीदों को समर्पित राजकीय महाविद्यालय खानपुर, झालावाड़ का नाम शहीद मुकुट बिहारी मीणा के नाम पर शहीद मुकुट बिहारी मीणा राजकीय महाविद्यालय खानपुर तथा राजकीय महाविद्यालय सांगोद, कोटा का नामकरण शहीद हेमराज मीणा के नाम पर शहीद हेमराज मीणा राजकीय महाविद्यालय, सांगोद, कोटा किया गया है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

भामाशाहों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान प्रदेश में उच्च शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु चार राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण भामाशाहों के द्वारा करवाया जा रहा है एवं दो महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण भामाशाहों द्वारा पूर्ण करवाकर विभाग को सुपुर्द किये जा चुके हैं।

श्री करणी माता मंदिर ट्रस्ट ने राजकीय महाविद्यालय देशनोक के लिए भूमि प्रदान करने एवं भवन निर्माण करवाये जाने की सहमति प्रदान की है। मैं आज सदन में प्रदेश के भामाशाहों, श्री गौतम आर मोरारका, नवलगढ़, झुन्झुनूं श्री किशन कुमार मोदी, गुढ़ा गौड़जी, झुन्झुनूं; श्री किशन भाई हजारीमल संघवी, मालगांव सिरोही; श्री दिनेश सुथार, बीदासर, चूरू; श्री नरेन्द्र

(श्री भंवर सिंह भाटी)

कुमार कमालसरिया, कमालसर, झुन्झुनूं; श्री मूलचंद लढ्ढा, नावां सिटी, नागौर; श्री रामावतार सीकरी, भरतपुर का नाम लेते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं जिन्होंने मुक्त हस्त से उच्च शिक्षा विभाग को सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग सदैव उनके लिए आभारी रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि दिनांक 24.02.2021 को माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा उदयपुवाटी में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा होने के साथ ही भूमि के लिए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्री रामकरण सैनी के आह्वान पर श्री गणपत लाल सैनी, श्री छोटेलाल सैनी, श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी ने शाकम्भरी रोड पर बीस बीघा भूमि जो कि लगभग एक करोड़ साठ लाख रुपये की है, को भवन निर्माण हेतु विभाग को देने की सहमति दी है। साथ ही समाज सेवा को समर्पित सराफ परिवार द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, सरदारशहर का भवन निर्माण करवाये जाने का भी प्रस्ताव दिया गया है।

विभिन्न सत्रों में खोले गये नवीन राजकीय महाविद्यालयों में से 23 राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण डीएमएफटी फंड से किये जाने हैं। इस क्रम में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत 10 नवीन राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण में से 01 निर्माणाधीन है, 9 महाविद्यालयों के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा शीघ्र ही राशि जारी की जाएगी। इनमें से कई राजकीय महाविद्यालयों का भवन निर्माण करवाया जा रहा है, जो कि पिछली सरकार के समय के बकाया हैं।

माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग द्वारा सीएसआर मद से राजकीय कन्या महाविद्यालय, तिंवरी, मथानिया के भवन का निर्माण करवाया जाएगा। जयपुर जिले के 2 महाविद्यालयों का निर्माण जयपुर स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत करवाया जाना है माननीय सदस्य, लाहोटीजी।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार सदन के माध्यम से हमारे माननीय मंत्रीगणों एवं सदस्यों से यह विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा के दौरान जिन महाविद्यालयों की घोषणा की है उनके लिए भूमि आबंटन एवं भवन निर्माण में आपका सकारात्मक सहयोग प्रार्थनीय है। हमारी सरकार के कार्यकाल में 37 राजकीय महाविद्यालयों के लिए भूमि का आबंटन, 10 राजकीय महाविद्यालयों के नवीन भवनों का लोकार्पण किया गया है।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को महाविद्यालय स्तर पर विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए राजस्थान राज्य छात्र निधि संशोधित नियम, 2019 दिनांक 06.02.2019 से लागू किये गये हैं। इसके अंतर्गत स्नातक प्राचार्य 20 लाख, स्नातकोत्तर प्राचार्य 30 लाख, आयुक्त कॉलेज शिक्षा 50 लाख और राज्य सरकार को 50 लाख से अधिक छात्र निधि से राशि व्यय करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने में सबसे बड़ी बाधा संकाय सदस्यों की संख्या में कमी रही है। कई वर्षों से विभाग में सहायक आचार्य के पदों की रिक्तियों को भरने के लिए, सहायक आचार्य के 918 पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भेजी गई है, जिसके क्रम में आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया को आरम्भ भी कर दिया गया है। इससे न केवल राजस्थान के नवयुवकों को रोजगार मिलेगा बल्कि रिक्त पदों को भर पाना भी संभव होगा।

माननीय सभापति महोदय, वर्षों से लंबित प्राचार्य तथा उप प्राचार्य पदों की डीपीसी संपादित कर पदोन्नति प्रदान की गई है। वर्ष 2017-18 के लिए प्राचार्य पीजी के लिए 70, यूजी के प्राचार्य के लिए 99 एवं उप आचार्य के 118 पदों के लिए डीपीसी का कार्य संपादित कर पदोन्नति प्रदान की गई है।

माननीय सभापति महोदय, शैक्षणिक सत्र 2019-20 से राजकीय महाविद्यालयों की सभी वर्ग की छात्राओं को प्रवेश शुल्क से राजकीय निधि कोष की राशि पूरी तरह माफ की गई है, यह बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक बहुत बड़ा निर्णय है। मैं कहना चाहूंगा कि सभी राजकीय महाविद्यालयों में अति पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को सत्र 2019-20 से क्रमश: 5 व 10 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कला, वाणिज्य और विज्ञान में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गई हैं, जो कि 2020-21 में भी निरंतर जारी है।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना के समय में भी ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को अपनाया गया, जो विद्यार्थी हित में अत्यंत उपयोगी साबित हुई है। इस पद्धति के माध्यम से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्ययनरत,

(श्री भंवर सिंह भाटी)

विद्यार्थियों को उनके विषय से सम्बन्धित सामग्री को एक साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया गया है। राजीव गांधी ई-कंटेंट बैंक के माध्यम से 2,38,731 वीडियो व्याख्यान एवं 2,16,316 पीडीएफ नोट्स अपलोड किये जा चुके हैं, जो कि यू-ट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों से साझा किये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती के अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नो मास्क, नो एंट्री की पहल को एक जन आंदोलन के रूप में आह्वान जो किया, उसमें उच्च शिक्षा विभाग के हमारे शिक्षकों का बड़ा योगदान रहा। इसके साथ-साथ हमारे एनसीसी के वॉलेंटियर्स, एनएसएस के कैडेट्स, स्काउट्स और गाइड्स कैडेट्स ने कोरोना के समय में आगे बढ़ चढ़कर जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन का सहयोग किया। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन कार्यक्रम जो माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा शुरू किया गया था, उसमें बहुत बड़ा इनका सहयोग रहा।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले ढाई साल के समय में राजस्थान में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो घोषणाएं की गईं, मैं हमारे प्रतिपक्ष के तमाम माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग हमारे नौजवानों को, युवाओं को राजस्थान में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, इस पर आज चर्चा करने की बजाय, जिस प्रकार से इन्होंने गतिरोध पैदा करके एक तरह से बहिष्कार किया है, ये पूरे प्रदेश के लिए अशोभनीय है। जहां एक तरफ शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य करते हैं, आज हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए इतने गंभीर और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा में भाग नहीं लिया, मैं समझता हूं कि यह पूरे सदन के लिए ठीक नहीं है, पूरे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने बजट में घोषणाएं की थीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 34 घोषणाएं की थी और उनमें से लगभग सारी की सारी घोषणाएं हमने पूरी की हैं। 6 ऐसी हैं जो प्रक्रियाधीन हैं, 2 की प्रक्रिया अभी शुरू की गई है।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन में पिछले साल 1,547 करोड़ का शिक्षा विभाग को बजट दिया गया था, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने 1,739 करोड़ का वित्तीय प्रावधान बजट में किया है। 200 करोड़ से भी ज्यादा की राशि का अधिक वित्तीय प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि 2013 में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 43 कॉलेज राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने बजट घोषणा में खोले थे, लेकिन 2014 में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, उन्होंने राजनीतिक दुर्भावना के तहत वे सभी कॉलेज बंद कर दिये। एक तरफ तो ये शिक्षा में राजनीति नहीं करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कॉलेज बंद करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

उसके बाद 2018 में जब इनकी सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ, उस समय इन्होंने 28 कॉलेज खोलने की घोषणा की और उनमें किसी भी प्रकार के भवन का, बिल्डिंग का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए इन्होंने वह घोषणा की। सभापति महोदय, मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वे कॉलेज बंद नहीं किये, उन कॉलेजों को शुरू करने का निर्णय लिया और पिछले दो सालों में आज तक के इतिहास के सबसे ज्यादा कॉलेज खोले गये हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री का जो विजन है, 116 कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में उप-खण्ड स्तर पर खोले गये। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। जो ग्रोस एनरॉलमेंट रेशो है, वह भी राजस्थान का पिछले दो सालों में पूरे देश की तुलना में निश्चित रूप से बढ़ा है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में प्रतिपक्ष के लोगों ने अपनी सरकार के समय राजधानी जयपुर में पत्रकारिता विश्वविद्यालय को बंद करने का काम किया। लॉ यूनिवर्सिटी हमारी पिछली सरकार ने खोली थी, इसे इन्होंने बंद करने का काम किया। ये खोले हुए संस्थानों को बंद करने का काम करते हैं। आज उच्च शिक्षा जैसे मुद्दे पर इन्हें सकारात्मक रुख रखना चाहिए था। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पक्ष-विपक्ष और राजनीतिक दुर्भावना से ऊपर उठकर काम किया और इस सदन के 200 विधायकों को पार्टी की विचारधाराओं से ऊपर

(श्री भंवर सिंह भाटी)

उठकर साथ लेते हुए पूरे प्रदेश में राजकीय महाविद्यालय खोले। हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों के विधान सभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सरकारी कॉलेज खोले गये हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार का रवैया हमारे प्रतिपक्ष के विधायकों का है, ये अपनी गलतियां छिपाने के लिए यह सब कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हमारा विधान सभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से विपक्ष की अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे थे और इसीलिए जब इन्हें भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उच्च नेतृत्व से फटकार पड़ी तो आज ये अपना बचाव करने के लिए, ऊपर तक एक मैसेज भेजने के लिए उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, मैं समझता हूं यह कतई उचित नहीं है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, मांग पारित करवाएं अब।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज की इस चर्चा में 152 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं मैं हमारे पक्ष-विपक्ष के तमाम सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सभी कटौती प्रस्तावों के जवाब इन्हें जल्द से जल्द पहुंचा दिये जाएंगे और इनके जो भी सुझाव हैं, उन पर सरकार सकारात्मक रवैया रखते हुए प्रभावी कार्यवाही करेगी। आने वाले सालों में उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आपके सुझाव हैं, उन्हें पूरी तरह से प्राथमिकता दी जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा।

मैं माननीय सदस्य डॉ. जितेन्द्र सिंह जी, रीटा चौधरी जी, बाबूलाल नागर जी, संयम लोढ़ा जी, शकुन्तला रावत जी, बलवान पूनियां जी, अमित चाचाण जी, पदमाराम जी, राजकुमार रोत जी, बलजीत यादव जी और वेद प्रकाश सोलंकी जी का आभार व्यक्त करूंगा और उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मांग संख्या 24 - उच्च शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर अपने विचार एवं सुझाव रखे। मैं सभी माननीय सदस्यों और पूरे सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज जो सार्थक चर्चा हुई है जिसमें हालांकि विपक्ष ने भाग नहीं लिया, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उच्च शिक्षा जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर जिस प्रकार का रवैया विपक्ष के सदस्यों का रहा है, मैं समझता हूं कि यह शर्मनाक है।

(श्री भंवर सिंह भाटी)

आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता पूरे सदन को देख रही है और राजस्थान की विधान सभा का यह सदन लोगों की भावनाओं का एक पृष्ठ है। राजस्थान के लोगों ने देखा है जिस प्रकार का बर्ताव, जिस प्रकार का व्यवहार आज सदन में विपक्ष के लोगों द्वारा सदन में किया गया है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार आमजन की सरकार है और अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार से राजस्थान की जनता से वायदे किये थे, उन वायदों पर खरा उतरने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है।

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राजस्थान को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में ले जाने का जिम्मा लिया है। मुख्य मंत्री जी ने आज जो भरोसा दिलाया है, उस भरोसे पर हमारी सरकार पूरी तरह से खरी उतरेगी। आने वाले साल में भी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तमाम संसाधनों की हम व्यवस्था करेंगे। इन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, राजस्थान की जनता ने हमें काम करने का मौका दिया है और हम राजस्थान के तमाम 136 गवर्नमेंट कॉलेजों में बिल्डिंग भी बनाएंगे, शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं, उन्हें भरने का भी काम करेंगे और राजस्थान में उच्च शिक्षा को आगे ले जाने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राजस्थान की सरकार की होगी, हम तमाम सदस्यों की होगी। मैं यही कहना चाहूंगा।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

सभापति महोदय, मैं पुन: यह कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सारी बात रखी, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने जिस प्रकार से आज एक immaturity का प्रदर्शन किया है और जिस प्रकार से इनके द्वारा अलोकतांत्रिक व्यवहार किया गया है, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। मैं पुन: यही कहना चाहूंगा, ये बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन जो इनका यह गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इसे राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। राजस्थान के तमाम लोग आज आपको देख रहे हैं और राजस्थान की जनता के सामने आपका असली चेहरा सामने आ गया

(श्री भंवर सिंह भाटी)

है। आपका जो मुखौटा है, वह उतर गया है। मैं समझता हूं कि आज आपका व्यवहार बहुत निंदनीय रहा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति को पारित किया जाए। धन्यवाद।

मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,70,60,17,30,000/- (तीन सौ सत्तर अरब साठ करोड़ सत्रह लाख तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 17 मार्च 2021 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18:38 बजे बुधवार, दिनांक 17 मार्च 2021 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

कल्याणपुर पंचायत समिति मुख्यालय में सहशिक्षा महाविद्यालय की स्थापना

300. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर उच्च शिक्षा हेतु कॉलेज संचालित हैं? यदि नहीं, तो वंचित पंचायत समिति मुख्यालय की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत समिति मुख्यालय कल्याणपुर में सहशिक्षा स्नातक स्तरीय कॉलेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में 112 पंचायत समिति मुख्यालयों पर राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं है, जिनका विवरण परिशिष्ट 01 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 48 के क्रम में विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नदबई के गांव सैदपुरा में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना

301. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव सैदपुरा से प्रतिवर्ष 200 छात्र-छात्राएं संस्कृत उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु अन्य स्थान पर जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त गांव में संस्कृत महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा 2021-22 के बिन्दु संख्या 51 में विधान सभा क्षेत्र नदबई के गांव सैदपुरा में संस्कृत महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी गई है।

वर्ष 2021-22 के बजट में शास्त्री स्तर के महाविद्यालय सैदपुरा में खोलने के कारण इच्छुक पात्र अभ्यर्थी संस्कृत उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश ले सकेंगे।

कामां के सोनोखर औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की कार्य योजना

302. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र कामां के सोनोखर औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां तो उक्त के संबंध में उद्योगों को प्रोत्साहन करने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में उद्योगपतियों को विशेष योजना लागू कर एवं आधारभूत सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सोनोखर (जुरहरा) वर्ष 1993 में 16.18 है. भूमि पर स्थापित किया गया था। वर्तमान में इस औद्योगिक क्षेत्र में समस्त आधारभूत सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, सड़क इत्यादि उपलब्ध हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र को दिनांक 01.04.1998 से विकसित घोषित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में जेवीवीएनएल का जीएसएस कार्यरत है। जलापूर्ति रीको द्वारा संचालित है।

औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों का पुन: डामरीकरण रु. 45.19 लाख की लागत से वर्ष 2019-20 में करवाया गया है।

राज्य में नवीन उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 17.12.2019 से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 प्रभावी की गई है। योजनान्तर्गत सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों के लिए निवेश अनुदान-

(उद्योग मंत्री)

एसजीएसटी का 75 प्रतिशत, रोजगार सृजन का अनुदान - श्रमिकों के ईपीएफ व ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण तथा विद्युत कर, मण्डी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए शत प्रतिशत छूट एवं स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपान्तरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट के प्रावधान हैं।

योजनान्तर्गत थ्रस्ट सैक्टर्स के लिए अतिरिक्त परिलाभों के प्रावधान किये गए हैं।

राज्य के पिछड़े, अतिपिछड़े, जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवेश किए जाने पर भी अधिक परिलाभ देय हैं।

उद्योग विभाग के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय अथवा उद्योग स्थापित करने हेतु मुख्य मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है। योजना दिनांक 13.12.2019 को अधिसूचित की गई है। योजना की क्रियान्वयन अवधि दिनांक 17.12.2019 से 31.03.2024 है। योजना अन्तर्गत अधिकतम 10 करोड़ रु. तक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सेवा/व्यापार/विनिर्माण उद्यम स्थापनार्थ प्रदत्त ऋण प्रकरणों में योजना के नियमानुसार 5 से 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है।

योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु **www.sso.rajasthan.gov.in** पर लागइन करके मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के आईकन पर लॉग-इन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(2) बिन्दु सख्ंया 2 में उल्लेखित योजनाएं सम्पूर्ण राज्य के लिए लागू है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र कामां भी सम्मिलित है।

आयुर्वेद व होम्योपैथी चिकित्सालयों के बिजली व पानी के बिलों का भुगतान

303. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में आयुर्वेदिक व होम्योपैथी चिकित्सालयों के भवनों के रखरखाव, बिजली, पानी की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर ही किया जाना नियत है तथा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवायी जा रही है?

(श्री अमृतलाल मीणा)

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कुल कितने आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी चिकित्सालय हैं? उक्त चिकित्सालयों के भवन, बिजली, पानी के बिलों के भुगतान व भवन के रखरखाव, रंग-रोगन, मरम्मत आदि की क्या स्थिति है?

(3) क्या सरकार उक्त कार्यों हेतु सहायता उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त की क्या कार्ययोजना है व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा इन कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कुल 33 आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय संचालित हैं तथा कोई राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय संचालित नहीं है। चिकित्सालय/औषधालयवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जिन आयुर्वेद चिकित्सालय/औषधालय में बिजली, पानी के कनेक्शन उपलब्ध हैं, उन चिकित्सालय/औषधालय में फरवरी, 2021 तक का भुगतान किया जा चुका है।

भवनों के रखरखाव, रंग-रोगन, मरम्मत आदि के सम्बन्ध में प्रति वर्ष प्रति चिकित्सालय 25,000 रुपये एवं प्रति औषधालय 10,000 रुपये की राशि आबंटित की जाती है, इसके अतिरिक्त बिजली एवं पानी के बिलों के लिए समय-समय पर उपनिदेशकों की मांग एवं उपलब्ध बजट के अनुरूप भुगतान कराया जाता है।

(3) भवन के रखरखाव, रंग-रोगन, मरम्मत आदि के सम्बन्ध में प्रति वर्ष प्रति चिकित्सालय 25,000 रुपये एवं प्रति औषधालय 10,000 रुपये की राशि आबंटित की जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर उपनिदेशकों की मांग एवं उपलब्ध बजट के अनुरूप भवन के रखरखाव हेतु एवं बिजली पानी के बिलों हेतु विभागीय एवं आयुष मिशन के माध्यम से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

जे.के. व्हाइट सीमेन्ट फैक्ट्री गोटन द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध खनन

304. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के गोटन गांव में स्थित जे.के. व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री द्वारा सरकारी, चरागाह व गोचर भूमि से अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो कौन-कौन से राजकीय, चरागाह व गोचर राजस्व खसरों से अवैध खनन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्री द्वारा कि जा रहे अवैध खनन के संबंध में स्थानीय जन प्रतिनिधियों व लोगों द्वारा कई बार जिला कलेक्टर व सरकार को अवैध खनन रोकने बाबत शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा और कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त अवैध खननकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कब-कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के गोटन गांव में स्थित जे. के. व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री द्वारा सरकारी चरागाह व गोचर भूमि में अवैध खनन नहीं किया जा रहा है। साथ ही मौजा धनापा में स्थित कुल खसरे 18 जिसका रकबा 1,618.74 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिनमें ही जे. के. व्हाइट सीमेंट व अन्य लीजें आबंटन हुई हैं जिनका राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। जे. के. व्हाइट सीमेंट द्वारा लीज क्षेत्र में खनन किया जा रहा है तथा वर्तमान में भी खनन कार्य चालू है, जो लीज क्षेत्र में आता है एवं किसी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है।

सहायक खनि अभियंता गोटन द्वारा भी सरकारी, चरागाह व गोचर भूमि में अवैध खनन किये जाने सम्बन्धी कोई प्रकरण नहीं होना बताया गया है।

(राजस्व मंत्री)

(2) उपखण्ड अधिकारी मेड़ता की रिपोर्ट एवं इस कार्यालय के रिकार्ड अनुसार अवैध खनन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. सरपंच ग्राम पंचायत टूकलिया द्वारा दिनांक 09.04.2019 को ग्राम धनापा के खसरा नम्बर 3471 व 3091 गै.मु. गोचर भूमि पर अवैध खनन करने की शिकायत जिला कार्यालय, नागौर में प्रस्तुत की गई है।

2. श्री हनुमान बेनीवाल, माननीय सांसद नागौर द्वारा दिनांक 01.07.2019 को सरपंच ग्राम पंचायत टूकलिया के पत्र दिनांक 30.06.2019 की प्रति के साथ खसरा नम्बर 3091 व 3471 में अवैध खनन की शिकायत प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग को प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में विभागीय पत्र क्रमांक 1(86) राज-3/2019 दिनांक 06.08.2019 एवं स्मरण पत्र दिनांक 21.08.2020 द्वारा जिला कलेक्टर, नागौर को प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

3. श्रीमती इन्दिरा देवी बावरी, माननीय विधायक, मेड़ता के पत्र दिनांक 08.02.2021 द्वारा खसरा नम्बर 3091 व 3471 में अवैध खनन की शिकायत जिला कार्यालय, नागौर में प्रस्तुत की गई।

(3) उपखण्ड अधिकारी मेड़ता तथा सहायक खनिज अभियंता गोटन की रिपोर्ट अनुसार उक्त क्षेत्र में अवैध खनन नहीं है।

(4) बिन्दु संख्या 3 के अनुसार।

ओबरा कलां (गोगुन्दा) में पेयजल हेतु टंकी का निर्माण

305. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ओबरा कलां राविलया खुर्द तथा ढोल में पेयजल हेतु टंकी निर्माण मय पाइपलाइन की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उक्त कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई थी? यदि हां, तो वर्तमान सरकार द्वारा उक्त कार्यों को निरस्त करने का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में ग्राम ओबरा कलां में 29 हैण्डपम्प कार्यशील हैं। ग्राम रावलियां खुर्द जनता जल योजना के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है।

(राज्य मंत्री, जनजातिय क्षेत्रीय विकास)

इसके अन्तर्गत एक खुला कुआं एवं एक भूतल जलाशय 50,000 लीटर क्षमता का बना हुआ है, जिसके माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसका संचालन एवं संधारण स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इस ग्राम में 20 हैंडपम्प कार्यशील हैं।

ग्राम ढोल को जनता जल योजना के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत दो खुले कुएं एवं दो भूतल जलाशय 50,000 लीटर एवं 60,000 लीटर क्षमता के बने हुए हैं। उपरोक्त भूतल जलाशय के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इसका संचालन एवं संधारण स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है साथ ही इस ग्राम में 45 हैंडपम्प कियाशील हैं।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के ओबरा कलां, रावलिया खुर्द तथा ढोल में पेयजल हेतु टंकी निर्माण मय पाइप लाइन की व्यवस्था हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 05-10-2018 को जारी की गई थी, जिसमें स्वीकृति राशि तक उल्लेख नहीं था। इस प्रकार की सारहीन प्रशासनिक स्वीकृति को 13-02-2019 को निरस्त कर इस कार्यालय के आदेश दिनांक 26-06-2019 द्वारा ओबरा कलां, पेयजल हेतु राशि रु. 49.84 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस कार्य को कराया जाएगा।

अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय हेतु बजट एवं भूमि का आबंटन

306. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय संचालित है? यदि हां, तो कहां एवं कब से? उक्त विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के लिए बजट का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो कितने बजट का व 25 जनवरी, 2021 तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विश्वविद्यालय के लिए सरकार द्वारा भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी व कहां पर?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा जयपुर जिले में अम्बेडकर

(श्री बलजीत यादव)

पीठ बनाया गया है? यदि हां, तो उक्त के लिए कितनी भूमि तथा कितना बजट आबंटित किया गया और किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस विश्वविद्यालय की स्थापना डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 के द्वारा की गई है। यह अधिनियम दिनांक 26.02.2019 को अस्तित्व में आया। विश्वविद्यालय में कुलपति ने दिनांक 02.03.2020 को कार्यभार ग्रहण किया। विश्वविद्यालय दिनांक 24.06.2020 से ग्राउण्ड फ्लोर, रूसा भवन, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर में संचालित है। इस विश्वविद्यालय में एलएल.एम. एक वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2020-21 में 40 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(2) जी हां। इस विश्वविद्यालय को वर्ष 2020-21 में बजट प्रावधान राशि रुपये 560.00 लाख एवं बजट आबंटन 420.00 लाख किया गया। दिनांक 25-01-2021 तक राशि रुपये 94.73 लाख लगभग व्यय किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। विश्वविद्यालय के लिए अभी सरकार द्वारा भूमि आबंटित नहीं की गई है।

(4) जी हां। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार ग्राम मूण्डला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में अम्बेडकर पीठ बनाया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्ववारा 75 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आबंटन किया गया। राज्य सरकार द्ववारा अम्बेडकर पीठ के भवन निर्माण हेतु 6.96 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। अम्बेडकर पीठ में स्वीकृत पदों का संवर्गवार विवरण निम्नानुसार है:-

1. महानिदेशक - 01
2. सचिव - 01
3. निदेशक (शोध) - 01
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी - 01
5. सहायक लेखाधिकारी II - 01
6. निजी सहायक- 02

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

7. लिपिक ग्रेड I - 01

8. लिपिक ग्रेड II - 01

9. सूचना सहायक- 02

10. लाइब्रेरियन ग्रेड II - 01

11. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - 04

उद्यमिता के प्रोत्साहन हेतु अपनाई गई नीतियां

307. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए क्या-क्या नीतियां अपनाई जा रही हैं? उक्त का विस्तार गाँवों तक किस रूप में होगा? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया व स्टार्टअप बिजनस के लिए क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है? प्रदेश में अब तक उक्त योजनाओं पर कितना बजट व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश में कोई घोषित स्टार्टअप नीति है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) प्रदेश में किन-किन विभागों को कितने निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए? उनमें कितना निवेश व रोजगार मिलने का अनुमान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदेश में राजस्थान वित्त निगम युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजनांतर्गत युवाओं को रुपये 5.00 करोड़ तक के ऋण उद्योग स्थापित करने हेतु उपलब्ध करवाता है, जिसमें 1.50 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

योजना के अंतर्गत निगम द्वारा 494 इकाइयों को 501.27 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं।

निगम द्वारा प्रदेश में अपने 22 शाखा कार्यालयों के माध्यम से समय

(उद्योग मंत्री)

-समय पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन किया जाता है तथा शिविर को प्रचारित करने हेतु बैनर व पोस्टर लगाये जाते हैं, जो कि पूरे प्रदेश के सभी जिलों व गांवों को समाविष्ट करता है।

राज्य में एमएसएमई की सरल स्थापना एवं विकास के लिए राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम-2019 लागू किया गया है, जिसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 एवं राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 भी जारी की जा चुकी है।

राजस्थान में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप नीति अपनाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत आई-स्टार्ट, चैलेंज फॉर चेंज के अतिरिक्त स्टार्ट-अप्स को अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सरकार की ओर से नि:शुल्क प्लग एंड प्ले सुविधा जयपुर, उदयपुर एवं कोटा में इनक्यूबेटर सेन्टर के माध्यम से उपलब्ध करवायी जा रहीं हैं।

1. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना-राज्य सरकार की इस योजना अन्तर्गत नवीन उद्यम अथवा पूर्व स्थापित उद्यम के विविधीकरण/ विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 10 करोड़ रु. तक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विनिर्माण/सेवा/व्यापार उद्यम स्थापनार्थ प्रदत्त ऋण प्रकरणों में योजना के नियमानुसार 5 से 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु www.sso.rajasthan.gov.in पर लॉगइन करके मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के आइकन पर लॉग-इन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

2. उक्त योजना के अतिरिक्त विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना अन्तर्गत नवीन इकाइयों के स्थापनार्थ 25 लाख रुपये तक का ऋण विनिर्माण उद्यम एवं 10 लाख रुपये तक का ऋण सेवा उद्यम हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है,

(उद्योग मंत्री)

जिस पर 15 से 35 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु संधारित पीएमईजीपी ई-पोर्टल www.kviconline.gov.in पर लॉगइन करके आवेदन कर सकते हैं।

(2) उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता के साथ साथ नि:शुल्क इनक्यूबेटर की सुविधाएं जैसे नि:शुल्क इंटरनेट, कार्यस्थल, हार्डवेयर इत्यादि दी जा रही हैं एवं इन पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	व्यय
1	2017-18	487 लाख
2	2018-19	3253.91 लाख
3	2019-20	1933.02 लाख
4	2020-21	लगभग 300 लाख

(3) राजस्थान में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप नीति 2015 अपनाई जा रही है।

(4) बी.आई.पी. में जनवरी 2019 से फरवरी 2021 तक 40 निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनसे रु. 2 लाख 89 हजार करोड़ का निवेश प्रस्तावित है एवं 1,50,550 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। उक्त निवेश प्रस्तावों की सूची अनुसंलग्नक-1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

चाकसू के राजकीय चिकित्सालयों में रिक्त पद

308. श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कितने सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं तथा उनमें कितने-कितने चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ कार्यरत हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों व नर्सेज के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सेज के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

(3) क्या सरकार राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, माधोराजपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चाकसू में 01 सैटेलाइट चिकित्सालय, 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कार्यरत चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टॉफ का विवरण परिशिष्ट ब एवं स पर संलग्न है।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं नर्सेज के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट ब एवं स पर संलग्न है।

विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र लगाने के प्रयास किये जाएंगे एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती-2018 के अन्तर्गत विज्ञापित पदों के विरुद्ध दिनांक 05.10.2020 तक क्रमश: 6,692 एवं 4760 पदों पर नियुक्ति/पदस्थापन किया जा चुका है। शेष रिक्त पदों को आवश्यकता/प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका का पद पदोन्नति का पद है। उक्त पदोन्नति के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र माधोराजपुरा पंचायत समिति माधोराजपुरा जिला जयपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों को उपलब्ध सुविधाएं

300. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रीको द्वारा कोटा औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों के लिए शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो कहां- कहां? क्या उक्त औद्योगिक क्षेत्र में पार्कों को विकसित किया गया है? यदि हां, तो उक्त पार्कों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र इन्द्रप्रस्थ कोटा में नगर निगम कोटा को सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करवाई गई है। जिस पर नगर निगम कोटा द्वारा एक आधुनिक सुलभ शौचालय का निर्माण कर संचालन भी किया जा रहा है।

रानपुर औद्योगिक क्षेत्र में रीको द्वारा 3 बस शैल्टर का निर्माण कराया गया है।

(2) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र इन्द्रप्रस्थ कोटा में नगर निगम कोटा को सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करवाई गई है। जिस पर नगर निगम कोटा द्वारा एक आधुनिक सुलभ शौचालय का निर्माण कर संचालन भी किया जा रहा है।

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र इलेक्ट्रोनिक्स कॉम्प्लेक्स कोटा में एक पार्क विकसित किया गया है। एलईडी लाइट, बैठने हेतु बेन्च, वॉकिंग ट्रैक एवं लॉन आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पार्क में फूलदार पौधे एवं पेड़ भी लगाये गये हैं।

जमवारामगढ़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

301. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल लाल मीना)

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बढ़ती बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए यहां रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में जयपुर जिले के जमवारामगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। इस हेतु विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम थौलाई में 49.619 है. चरागाह भूमि का चिह्नीकरण कर जिला कलेक्टर, जयपुर को निगम के पक्ष में भूमि का आरक्षण/आबंटन कराने हेतु पत्र दिनांक 04.09.2020 एवं 16.12.2020 से किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम माथासूला की कुल 84.36 हैक्टेयर चरागाह भूमि के आरक्षण/आबंटन हेतु जिला कलक्टर, जयपुर को पत्र दिनांक 01.03.2021 को लिखा गया है। भूमि के आरक्षण/आबंटन उपरांत नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा सकती है।

सुमेरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि का आबंटन

302. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के शहरी क्षेत्र में कितने सरकारी औद्योगिक क्षेत्र कहां-कहां स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में कितने सरकारी औद्योगिक क्षेत्र हैं तथा कहां-कहां स्थित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उपखण्ड स्तर पर नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र लगाने हेतु सर्वे या जमीन का आबंटन हुआ है? यदि हां, तो कहां व कितनी जमीन का आबंटन? सरकार उक्त क्षेत्र में कब तक औद्योगिक क्षेत्र खोलने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के शहरी क्षेत्र में रीको के अधीन दो औद्योगिक क्षेत्र जाखामाता एवं औद्योगिक सम्पदा (अणगौर) है। औद्योगिक क्षेत्र जाखामाता सुमेरपुर उपखण्ड कार्यालय से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा औद्योगिक क्षेत्र अणगौर सुमेरपुर उपखण्ड कार्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्रामीण क्षेत्र में कोई औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से राज्य के समस्त उपखण्ड क्षेत्रों में रीको के नवीन औद्योगिक क्षेत्र चरणबद्ध रूप से स्थापित करने के लिए ऐसे 147 उपखण्ड क्षेत्र जहां रीको के औद्योगिक क्षेत्र नहीं हैं, में से 64 उपखण्ड क्षेत्रों में प्रथम चरण में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में की है।

(4) जी हां। निगम द्वारा सुमेरपुर उपखण्ड क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र ढोला जागीर विकसित करने के लिए 35.33 हैक्टेयर राजकीय भूमि का आबंटन दिनांक 25.07.2016 को किया जिसकी प्रीमियम राशि दिनांक 18.03.2020 को रुपये 8,60,26,784/- राजकोष में जमा कराये जाकर कब्जा निगम पक्ष में दिनांक 17.06.2020 को लिया जा चुका है तथा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने में क्रम के रीको लि. द्वारा सर्वे डिमार्केशन का कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निवेश के एमओयू

303. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विगत दो वर्षो में राष्ट्रीय अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को दिए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी कंपनियों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कंपनियों से एमओयू भी हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी कंपनी से क्या-क्या एमओयू हुए हैं?

(3) प्रदेश में ऐसी कौन-कौनसी विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं,

(श्री प्रताप सिंह)

जिससे प्रवासी राजस्थानी प्रदेश में एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें?

उत्तर

(1) जी हां। विगत दो वर्षों में राज्य में राष्ट्रीय अथवा बहु राष्ट्रीय कम्पनियों से निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उक्त प्रस्तावों की सूची अनुसंलग्नक -1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं एस.वी.पी. इन्टरनेशनल ग्रुप के मध्य दिनांक 02.09.2020 को पश्चिमी राजस्थान में रक्षा, उड्डयन एवं टैक्सटाइल परियोजना स्थापित किये जाने हेतु समझौता पत्र (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किया गया था।

(3) राज्य में एमएसएमई की सरल स्थापना एवं विकास के लिये राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम-2019 लागू किया गया है, जिसके तहत उद्यमी को 3 वर्ष तक राजस्थान के अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की स्वीकृति एवं निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

रीको द्वारा नवीन विकसित किये जाने वाले सभी औद्योगिक क्षेत्रों में एमएसएमई इकाइयों के लिए कुल विक्रय योग्य औद्योगिक भूमि की 30 प्रतिशत भूमि का नियोजन 5000 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के किये जाने का प्रावधान है। साथ ही एमएसई इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए रीको द्वारा समर्पित एमएसई औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए पॉलिसी भी जारी की गई है। इसके अनुसार 10 हैक्टेयर से अधिक एवं 50 हैक्टेयर से कम के भूमि क्षेत्र पर एमएसई औद्योगिक क्षेत्र नियोजित कर विकसित किये जायेंगे, जिसमें 250 वर्गमीटर से लेकर 700 वर्गमीटर तक के भूखण्ड नियोजित किये जायेंगे तथा नियमानुसार पात्र इकाइयों को आवंटित किये जायेंगे। पॉलिसी की प्रति परिशिष्ट-अ पर सलंग्न है।

राज्य में नवीन उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 17.12.2019 से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 प्रभावी की गई है। योजनान्तर्गत सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों के लिए निवेश अनुदान एसजीएसटी का 75 प्रतिशत, रोजगार सृजन अनुदान-श्रमिकों के ईपीएफ व ईएसआई के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50 प्रतिशत पुनर्भरण तथा

(उद्योग मंत्री)

विद्युत कर, मण्डी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए शत-प्रतिशत छूट एवं स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपान्तरण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट के प्रावधान हैं।

योजनान्तर्गत थ्रस्ट सैक्टर्स के लिए अतिरिक्त परिलाभों के प्रावधान किये गये हैं।

राज्य के पिछड़े, अति पिछड़े, जनजातीय क्षेत्र, पहाड़ी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवेश किये जाने पर भी अधिक परिलाभ देय है।

राज्य में एमएसएमई को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान में राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं उद्यम सहायता योजना-2015 क्रियान्वित है।

प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए हेतु उद्योग विभाग तथा राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से निम्नांकित 3 रोजगार मूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं-

<u>उद्योग विभाग</u>:-

1. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना-राज्य सरकार की इस योजना अन्तर्गत नवीन उद्यम अथवा पूर्व स्थापित उद्यम के विविधीकरण/ विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 10 करोड़ रु. तक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से विनिर्माण/सेवा/व्यापार उद्यम स्थापनार्थ प्रदत्त ऋण प्रकरणों में योजना के नियमानुसार 5 से 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु www.sso.rajasthan.gov.in पर लॉग-इन करके मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के आईकन पर लॉग-इन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(2) उक्त योजना के अतिरिक्त विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना अन्तर्गत नवीन इकाइयों के स्थापनार्थ 25 लाख रुपये तक का ऋण विनिर्माण उद्यम एवं 10 लाख रुपये तक का ऋण सेवा उद्यम हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 15 से 35 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु संधारित पीएमईजीपी ईपोर्टल www.kviconline.gov.in पर लॉग-इन करके आवेदन कर सकते हैं।

(उद्योग मंत्री)

राजस्थान वित्त निगम:-

(3) राजस्थान वित्त निगम द्वारा लघु उद्योगों हेतु युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। उक्त योजना में आसान शर्तों पर उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाता है।

उक्त योजनाओं के विस्तार हेतु योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया है तथा समय-समय पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित कर योजनान्तर्गत आवेदन किये जाने हेतु प्रेरित किया जाता है।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं।)

धौलपुर में ब्लाक चिकित्सा अधिकारी को वाहन का आबंटन

304. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला धौलपुर में सरकार द्वारा देवनारायण योजना के अन्तर्गत संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निरीक्षण हेतु ब्लाकवार चौपहिया वाहन उपलब्ध कराये गये हैं? यदि हां, तो कितने वाहन उपलब्ध कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा आबंटित वाहनों में से प्रत्येक ब्लाक को वाहन उपलब्ध करा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रत्येक ब्लाक चिकित्सा अधिकारी को वाहन उपलब्ध कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला धौलपुर के ब्लाक बसेड़ी में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु देवनारायण योजनान्तर्गत 1 मोबाइल मेडिकल यूनिट, जिसमें 1 डायग्नोस्टिक वाहन एवं 1 स्टाफ वाहन होता है, जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया गया है।

(2) देवनारायण योजनान्तर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक ब्लाक को निरीक्षण हेतु वाहन आबंटित नहीं किये गये हैं। अपितु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक स्तर पर वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु रुपये 2.70 लाख (मोबिलिटी सपोर्ट हेतु) की स्वीकृति ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धक इकाई को जारी की गई है, जिसको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों तथा विभिन्न गतिविधियों

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

का निरीक्षण कार्य हेतु उपयोग में लिया जा सकता है, जिसके तहत उक्त स्वीकृति के द्वारा धौलपुर जिले के सभी ब्लाक स्तर पर वाहन संचालित किये जा रहे हैं।

सोजत में ट्रोमा सेंटर की स्थापना

305. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में सोजत में ट्रोमा सेंटर की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक उक्त सेंटर नहीं बनाने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सोजत में ट्रोमा सेंटर बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा ट्रोमा सेंटर खोलने हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में सोजत में ट्रोमा सेंटर खोलने की घोषणा की गई थी। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.01.2021 के द्वारा सोजत में ट्रोमा सेंटर खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

(2) बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

(3) जी हां। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

धौलपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना

306. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट भाषण 2018-19 में धौलपुर जिले में मेडिकल कालेज खोले जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मेडिकल कालेज कब तक बनकर तैयार हो जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्माण कार्य हेतु आर.एस.आर.डी.सी. को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त कर एम.ओ.ए. सम्पादित किया जा चुका है एवं सी.पी.आर. अनुमोदित की जा चुकी है। कार्यकारी एजेंसी को प्रारम्भिक अग्रिम राशि 3 करोड़ रुपये उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(2) मेडिकल कॉलेज निर्माण हेतु शीघ्र ही निविदा आमंत्रित कर कार्यादेश जारी किया जायेगा। मेडिकल कॉलेज को शीघ्रातिशीघ्र बनाने के प्रयास किये जा रहे है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय के आई.डी.एच.- आईसीयू हेतु बजट का आबंटन

307. श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय के आई.डी.एच.-आईसीयू हेतु कुल कितना बजट आबंटित किया गया? निर्माण एवं उपकरणों की खरीद सहित पृथक्-पृथक् मद में किये गये व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपकरणों की खरीद हेतु किस-किस फर्म द्वारा निविदा दी गयी? निविदा की शर्तों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों का मानक परीक्षण कराया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय के आई.डी.एच.-आईसीयू हेतु कुल 719.60 लाख का बजट आबंटित किया गया, जिसमें किये गये व्यय का मदवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	व्यय राशि
1	आई.डी.एच. आई.सी.यू. में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित	3,15,61,488.00
2	आई.डी.एच. आई.सी.यू. में उपकरण क्रय से सम्बन्धित	3,99,38,512.00

(2) उक्त आई.सी.यू. स्थापना से सम्बन्धित आमंत्रित निविदा में निम्न फर्मों द्वारा भाग लिया गया:-

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

1. M/s DR Healthtech, Jaipur

2. M/s Avighna solutions, Jaipur

निविदा की शर्तों सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) प्रत्युत्तर फर्म द्वारा आपूर्ति एवं स्थापित किये गये उपकरण CE/ USFDA प्रमाणित शुदा हैं, जो कि अन्तरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। CE/USFDA मानकों को पूरा करने वाले उपकरणों को आपूर्ति के पश्चात् मानक परीक्षण नही कराया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

थानागाजी तहसील में गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार

308. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो तहसील थानागाजी के संवत् 2028 में बंदोबस्त विभाग द्वारा (सैटलमेंट) बन्दोबस्ती गैर खातेदारों को अब तक खातेदारी अधिकार क्यों नहीं दिये गये? क्या सरकार उक्त को अब खातेदारी अधिकार देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन) नियम, 1970 के नियम 18 में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान किये हुए हैं। भूप्रबंध विभाग की संक्रियाओं के दौरान दर्ज किये गये गैर खातेदार को खातेदारी दिये जाने के संबंध में उपर्युक्त आबंटन नियम के उप नियम 18 में विहित विधिक प्रक्रियानुसार एवं बन्दोबस्ती गैर खातेदार द्वारा स्वयं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रावधान है। नियम 18 की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

मैड ग्राम (विराटनगर) के मंदिरों की पुनर्ग्रहित भूमि

309. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल शर्मा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर स्थित मैड ग्राम के कई मंदिरों की भूमि राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत पुनर्ग्रहित की गई थी? यदि हां, तो उक्त पुनर्ग्रहित की गई भूमि व मंदिरों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मैड स्थित मंदिरों के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत जारी पुनर्ग्रहण आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुक्त, जागीर द्वारा तत्संबंधी कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गई।

उपखण्ड कार्यालय विराटनगर, तहसील कार्यालय विराटनगर एवं जिला कार्यालय में मैड ग्राम के मंदिरों की भूमि राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत पुनर्ग्रहण की गई भूमि संबंधी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, न ही संवत 2009 यानी सन् 1952 की खतौनी व जमाबंदी उपलब्ध है। तहसील कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड सन् 1955 (संवत 2012-27) की मिसल खतौनी के आधार पर उक्त सूचना पृथक्-पृथक् विगतवार (मंदिर मूर्ति की खुदकाश्त व जागीर तथा उपकृषक/शिकमी काश्तकार) की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) बिन्दु सं 1 के अनुसार आदेशों की प्रति रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

बस्सी में सिवायचक एवं चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

310. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में किस-किस गांव में कितनी सिवायचक एवं चरागाह भूमि उपलब्ध है तथा कितनी सिवायचक तथा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण है? अतिक्रमियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? ग्रामवार व नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने किसान हैं जिन्हें सरकार द्वारा कृषि कार्य हेतु भूमि आवंटित की गई थी किन्तु अब तक उन्हें खातेदारी

(श्री लक्ष्मण मीणा)

अधिकार नहीं दिए गए हैं? सरकार कब तक उक्त गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार दिए जाने का विचार रखती है? गैर खातेदारों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ग्रामवार सिवायचक एवं चरागाह उपलब्ध भूमि तथा सिवायचक एवं चरागाह भूमि पर अतिक्रमण की सूची "परिशिष्ट अ" पर संलग्न है। अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ऐसे किसान जिन्हें सरकार द्वारा भूमि कृषि कार्य हेतु आवंटित की गई थी लेकिन अभी तक उन्हें खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये है, की सूची "परिशिष्ट ब" पर संलग्न है। उक्त गैर खातेदारान को खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कार्यवाही जैरकार है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

पलसाना पंचायत समिति के भवन निर्माण हेतु भूमि का आबंटन

311. श्री वीरेंदर सिंह (दांतारामगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन पंचायत समिति पलसाना को भूमि आबंटन कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नई स्वीकृत पंचायत समिति के भवन निर्माण हेतु कब तक बजट आबंटन किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में नई स्वीकृत ग्राम पंचायतों हेतु भूमि का आबंटन एवं भवन निर्माण हेतु बजट कब तक आबंटित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में पटवारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो नई भर्ती की प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नवीन पंचायत समिति पलसाना हेतु भूमि आबंटन का रकबा

(राजस्व मंत्री)

जिला कलेक्टर के क्षेत्राधिकार से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को इस कार्यालय के पत्रांक 158 दिनांक 15.01.2021 को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था, जिसकी स्वीकृति राज्य सरकार के पत्रांक प.1(Mis)राज-/2020 जयपुर दिनांक 05.03.2021 से प्राप्त होने के उपरान्त आबंटन आदेश जारी किये जा चुके हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार नवसृजित पंचायत समिति पलसाना के कार्यालय भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई बजट स्वीकृत नहीं किया गया है परन्तु अनुदान/विकास योजनाओं से कन्वर्जेंस कर निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) सीकर जिले में कुल 33 ग्राम पंचायत नई स्वीकृत हुई हैं जिनमें से 14 ग्राम पंचायतों हेतु भूमि का आबंटन किया जा चुका है। शेष ग्राम पंचायतों हेतु भूमि आबंटन शीघ्र कर दिया जायेगा।

नई स्वीकृत ग्राम पंचायतों के भवन निर्माण का कार्य महानरेगा, 15 वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग पंचम (ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/ जिला परिषद् मद) व अन्य योजनाओं की राशि से किया जायेगा। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) सीकर जिले में कुल 101 पटवारियों के पद रिक्त हैं। पटवारियों के 4421 पदों पर भर्ती किये जाने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 17.01.2020 को विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा तिथि माह जनवरी, 2021 में निर्धारित कर दी गई थी लेकिन चयन बोर्ड द्वारा उक्त निर्धारित तिथि को भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सका। चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा के आयोजन पश्चात् रिक्त पटवार मण्डलों पर पटवारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जनजातीय आवासीय विद्यालय हेतु बजट का आबंटन

312. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में टीएसपी क्षेत्र में वर्तमान में कितने जनजातीय आवासीय विद्यालय संचालित हैं? जिलेवार एवं ग्रामवार विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत दो वर्षों में सरकार द्वारा कितने नये जनजातीय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आवासीय विद्यालय कहां-कहां स्वीकृत किये गये? जिला एवं विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नव स्वीकृत जनजातीय आवासीय विद्यालयों हेतु वर्षवार कितनी राशि का बजट में प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नव स्वीकृत जनजातीय आवासीय विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में टीएसपी क्षेत्र में वर्तमान में 20 जनजाति आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जिलेवार एवं ग्रामवार विद्यालय की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में विगत दो वर्षों में 13 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल विद्यालय स्वीकृत किये गये। जिला एवं विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूलों हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रति छात्र प्रति वर्ष 109000 रुपये के हिसाब से बजट प्रावधान स्वीकृत किया जाता है। नव स्वीकृत जनजातीय ईएमआरएस विद्यालयों के निर्माण एवं संचालन हेतु वर्षवार बजट राशि का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(4) नव स्वीकृत एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल विद्यालयों में से 4 का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है तथा शेष 9 में पद स्वीकृति हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित कर दिया गया है, जिसमें स्वीकृत पदों का विवरण परिशिष्ट द पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

मां-बाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को देय मानदेय

313. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति विकास के लिए मां-बाड़ी केन्द्र कई वर्षों से संचालित हैं तथा सरकार उक्त में कार्यरत कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फूल सिंह मीणा)

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को संविदाकर्मी का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2007 से जनजाति क्षेत्र में मां-बाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे है। मां-बाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत शिक्षा सहयोगियों का मानदेय प्रतिवर्ष योजना स्वीकृति अनुसार ग्राम विकास समिति द्वारा दिया जाता है, जिसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है।

मानदेय में वर्ष 2016-17 से आज तक की गयी वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) मां-बाड़ी केन्द्रों का संचालन ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाता है। शिक्षा सहयोगी का चयन भी ग्राम विकास समिति द्वारा किया जाता है। इन शिक्षा सहयोगियों को संविदाकर्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

सागवाड़ा में कुसुम योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन

314. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कुसुम योजनान्तर्गत सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना से कितने उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त हुआ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कुसुम योजना (कम्पोनेन्ट-बी) अन्तर्गत सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, डूंगरपुर को कुल 9 जनजाति कृषकों के आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कुसुम योजनान्तर्गत कम्पोनेन्ट "सी" में कुल 96 जनजाति कृषकों के आवेदन अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को प्राप्त हुए हैं।

जनजाति कृषकों के नामवार विवरण मय सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(2) सहायक निदेशक, उद्यान विभाग, डूंगरपुर को 100 सोलर पम्प सैट हेतु राशि 45.00 लाख रुपये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से हस्तान्तरित किये जा चुके हैं।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कुसुम योजनान्तर्गत कम्पोनेन्ट "सी" में लाभान्वित करने हेतु आयुक्तालय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को डूंगरपुर जिले हेतु राशि रु. 120.00 लाख हस्तांतरित की जा चुकी है।

उद्यान विभाग तथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा कुसुम योजनान्तर्गत पात्र उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिन्हें नियमानुसार लाभान्वित किया जाना है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के आवेदन

315. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने आवेदन प्राप्त हुए? संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत कितने आवेदन स्वीकृत किये गये हैं व कितने अस्वीकृत किये गये हैं? आवेदनों को अस्वीकृत करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में उक्त योजनान्तर्गत अस्वीकृत आवेदनों को पुन: स्वीकृत कर छात्रवृत्ति कब तक दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा उक्त योजना के तहत कितना-कितना बजट का प्रावधान किया गया है तथा छात्रवृत्ति देने के क्या मापदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दिनांक 09.03.2021 तक 1,03,460 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.03.2021 है।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

15.03.2021 है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् ही आवेदनों की नियमानुसार जांच कर स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) बिन्दु संख्या-02 के अनुसार।

(4) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 54 करोड़ 50 लाख बजट का प्रावधान है। उक्त योजना के नियमों की प्रति परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

आमेर में नवीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना

316. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जनवरी, 2019 से अब तक कितने नये कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में कौन-कौनसे संकाय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आमेर में छात्राओं की सुविधार्थ नया राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक 13 नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले गये हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) उक्त 13 नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालयों में स्वीकृत संकायों का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र आमेर में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने संबंधी वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

राजस्थान निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग का गठन

317. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले निजी शिक्षण संस्थानों पर सरकारी नियंत्रण है? यदि हां, तो संबंधित परिपत्रों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विनियामक आयोग के गठन का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के लिए कोई विनियामक आयोग प्रस्तावित नहीं है क्योंकि ये पहले से ही राजकीय नियंत्रण में है।

राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र में की गई घोषणाओं के संदर्भ में प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों/कोचिंग संस्थानों आदि पर नियंत्रण हेतु नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण हेतु इनके अधिनियमों में प्रावधान कर राज्य सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान की हुई हैं। अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होने पर इन प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। उपलब्ध प्रावधानों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

निजी कॉलेजों पर नियंत्रण हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति अनुसार सामान्य शिक्षा के उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार निजी महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी।)

सैट परीक्षा आयोजित करने के मापदंड

318. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश से कॉलेज व्याख्याता चयन के लिए सैट परीक्षा आयोजित करने के क्या मापदंड निर्धारित हैं?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 के पश्चात् प्रदेश में सैट परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है?

(3) क्या सरकार युवाओं को रोजगार देने हेतु उक्त परीक्षा के आयोजन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सैट परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है। इसमें पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह सही है कि आयोग द्वारा राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के प्रत्यायन (Accreditation) प्राप्त होने पर सैट परीक्षा का विज्ञापन जारी कर आयोजन कराया जाता है।

(2) जी हां।

(3) वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकारी वाहनों में जीपीएस लगाये जाने की कार्ययोजना

319. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या राजस्थान स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दो वर्ष पूर्व सरकारी वाहनों में जीपीएस लगाने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट रास शुरू करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त के संबंध में जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेशों की पालना में सभी सरकारी वाहनों में जीपीएस डिवाइस नहीं लगाया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। सरकारी वाहनों में जीपीएस लगाने के लिए मुख्य सचिव

(राज्य मंत्री, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज)

महोदय (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग) द्वारा जारी पत्र F.5 (1171)/ Doit/Tech/19/04307/2019 Jaipur, Dated 30.09.2019 के द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। (संलग्न प्रपत्र- 'अ')

(2) राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग के वाहन भारत के महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, माननीय केन्द्रीय मंत्रीगणों, राजकीय अतिथियों, अतिविशिष्ट/ विशिष्ट व्यक्तियों, माननीय मुख्य मंत्री, राज्य के मा.मंत्रीगणों, बोर्ड निगम के अध्यक्षों, वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण, मुख्य मंत्री कार्यालय के अधिकारीगण एवं जिला प्रशासन से जुड़े (विशेषकर राजस्व, कानून व्यवस्था, चुनाव, प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रशासनिक कार्य संपादित करने वाले) आदि को आवंटित किये जाते हैं।

वाहनों के उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण पदों से जुड़े हुए हैं। सुरक्षा एवं गोपनीयता के मामले को दृष्टिगत रखते हुए जीपीएस डिवाइस लगाये जाने की पत्रावली प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

लखासर (श्रीडूंगरगढ़) के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय का क्रमोन्नयन

320. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बीकानेर में वर्तमान में कुल कितने राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में नये संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, लखासर को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वर्तमान में 03 वरिष्ठ उपाध्याय, 08 प्रवेशिका,

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

17 उच्च प्राथमिक एवं 23 प्राथमिक राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में नये राजकीय संस्कृत विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्तमान में श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, लखासर को क्रमोन्नत करने का का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

दौसा के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

321. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में संस्कृत के कितने विद्यालय किस-किस स्तर के कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित स्तरवार विद्यालयों की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

मसूदा में राजकीय संस्कृत विद्यालय खोले जाने की कार्ययोजना

322. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में कितने राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र मसूदा में राजकीय संस्कृत

(श्री राकेश पारीक)

विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में 05 राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। स्थानवार विवरण निम्नानुसार है :-

1. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, नागोला पं.स. भिनाय;
2. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, मसूदा पं.स. मसूदा;
3. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, खरवा पं.स. मसूदा;
4. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रामगढ़ पं.स. मसूदा एवं
5. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, दौलतपुरा प्रथम पं.स. मसूदा

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र मसूदा में राजकीय संस्कृत विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

परिशिष्ट

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति (बजट मद 2202-02-माध्यमिक शिक्षा-03 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा 4202-01-202 माध्यमिक शिक्षा-203 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

1. विधान सभा क्षेत्र मावली में माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र मावली में महाविद्यालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

3. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के बाधनू में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन परीक्षा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में कृषि, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के दुलचासर में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

8. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के केलवाड़ा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के नाहरगढ़ में महाविद्यालय क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में केलवाड़ा में कन्या महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के माध्यमिक विद्यालय में कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र किशनंगज में फलदी एवं पीपल्दा माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

13. विधान सभा क्षेत्र नोखा के पांचू पंचायत समिति मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र नोखा के मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय में स्नातक में भूगोल एवं गृह विज्ञान विषय प्रारम्भ करने तथा स्नातकोत्तर में स्ववित्त पोषित योजना (एसएफएस) में चल रहे रसायन शास्त्र एवं समाज शास्त्र को सरकार द्वारा पूर्णकालीन नियमित विषयों के रूप में सम्मिलित करने तथा राजनीति शास्त्र विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. तहसील मुख्यालय नोखा के राजकीय बाबा छोटूनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आउटडोर व इनडोर स्टेडियम बनाये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

16. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगरा (भजनगंज) को स्वयं का भवन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के संचालित माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदान विकसित किये जाने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के कोठी अजमेर में स्ववित्त पोषित योजना (एसएफएस) के तहत चलाये जा रहे विषय को सरकार द्वारा पूर्णकालीन नियमित विषयों के रूप में घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के पांच उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

20. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाड़मेर में स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी विषय खोलने एवं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाड़मेर में विज्ञान स्नातकोत्तर एवं वनस्पति शास्त्र की शाखा खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं लगवा में कला संकाय, आदर्श माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी चौक बाड़मेर एवं महावार में कृषि संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में उच्च माध्यमिक विद्यालय महावीर नगर, बाड़मेर शहर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के रूप में प्रारंभ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. राजकीय कन्या महाविद्यालय, बाड़मेर में स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान एवं कृषि विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

24. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के रियां बड़ी उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोटन में विज्ञान संकाय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाम्बा जाटान में कला संकाय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के गांव भूरियासनी, करकवाल डूकिया व धनेरिया में माध्यमिक विद्यालय तथा गांव मोकलपुर में बालिका माध्यमिक विद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय व कन्या महाविद्यालय में शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

29. विधान सभा क्षेत्र भादरा के राजकीय महाविद्यालय में एनसीसी प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र भादरा में राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र भादरा के ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र भादरा में राजकीय महाविद्यालय के नाम का नामकरण शहीद भगत सिंह के नाम से करने के संबंध में विभागीय पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र भादरा के कलाना, कुजी एवं रामगढ़ में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय एवं जोगी वाला एवं डाबड़ी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा):

34. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर में विज्ञान संकाय व उर्दू संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद सरकार की जिम्मेदारी तय किये जाने तथा विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के जे.जे.टी. विश्वविद्यालय, चुडैला में व्याप्त अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

36. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में माध्यमिक विद्यालय में भवन निर्माण एवं रिक्त पद भरे जाने के संबंध में तथा कन्या महाविद्यालय, तिंवरी-मथानिया में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

37. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राज्यावास व रा.उ.मा.वि. पीपली आचार्यान में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजनगर में कक्षा नवीं व दसवीं में हिन्दी माध्यम प्रारंभ करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के स्वर्गीय श्रीमती किरण माहेश्वरी कन्या महाविद्यालय, कुंवारिया में छात्राओं की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के स्वर्गीय श्रीमती किरण माहेश्वरी कन्या महाविद्यालय को सह-शिक्षा महाविद्यालय बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

41. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा कक्ष की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र चौहटन के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता के रिक्त पद भरने, बालिका महाविद्यालय खोलने तथा कॉलेज व्याख्याता के रिक्त पद पर भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

43. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के कुराबड़ पंचायत समिति में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. स्वामी विवेकानन्द राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कुराबड़ (उदयपुर) की घोषणा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

45. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में तखतगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय हेतु भूमि आबंटन करवाने व भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में राजकीय महाविद्यालय, सुमेरपुर में

भवन निर्माण पूर्ण करवाये जाने व द्वितीय फेज हेतु आवश्यक राशि स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

47. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय एवं संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कक्षा कक्षों का निर्माण, प्रयोगशाला एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को अतिशीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में ग्राम पंचायत मुख्यालयों से अधिक दूरी वाले राजस्व गांवों में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा के नवीन परीक्षा केन्द्रों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जैतारण में बजट घोषणा के उपरांत विज्ञान संकाय की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने एवं स्थानीय महाविद्यालय में प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर सहित अन्य रिक्त पदों पर अतिशीघ्र नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

52. विधान सभा आमेर के राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मानपुरा माचेड़ी में विज्ञान संकाय एवं कला संकाय में अतिरिक्त विषय खुलवाये जाने, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांट में अतिरिक्त विज्ञान संकाय खोले जाने, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलौंची में विज्ञान संकाय में गणित विषय खोले जाने तथा जालसू के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र आमेर के राजकीय विद्‌यालयों में विद्‌यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त संख्या में कक्षा-कक्षों के निर्माण, प्रयोगशालाओं एवं अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र आमेर में राजकीय महाविद्‌यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. प्रदेश में निजी विश्वविद्‌यालयों में छात्र–छात्राओं से अधिक शुल्क एवं मनमानी फीस वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

57. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्‌यालय को उच्च माध्यमिक विद्‌यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में जर्जर पड़े माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्‌यालय भवनों की मरम्मत व नये कक्षा-कक्षों के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में राजकीय महाविद्‌यालय में सभी संकायों में सीटें बढ़ाने, रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता तथा निजी शिक्षण संस्थानों द्‌वारा मनमानी राशि वसूल किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के संबंध में।

60. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के माध्यमिक विद्‌यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के माध्यमिक विद्‌यालयों में पेयजल की व्यवस्था तथा शौचालयों के निर्माण के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

62. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के राजकीय शहीद मुकुट बिहारी महाविद्‌यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

63. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की तहसील आंधी में कन्या महाविद्‌यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के राजकीय सैकण्डरी स्कूलों को हायर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुडला (महवा):

65. विधान सभा क्षेत्र महवा में देवनारायण महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र महवा के तहसील बैजूपाड़ा में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र महवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गढहिक्य सिंह, हडिया, सालिमपुर, गहनौली, समलेरी व बालाहेडा में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

68. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

71. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के एमबीआर कॉलेज, डीआरजे कन्या महाविद्यालय एवं कल्याणपुरा महाविद्यालय में खेलकूद हेतु विभिन्न खेलों के मैदानों के निर्माण एवं खेल सामग्री उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में बालोतरा के बालक/बालिका एवं कल्याणपुरा के महाविद्यालयों में सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के एमबीआर कॉलेज एवं डीआरजे कन्या महाविद्यालय में नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) प्रारंभ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के अपर्याप्त भवन वाले विद्यालयों में मानदण्ड अनुसार भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य सभी श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

76. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की बकानी तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के ब्लॉक खानपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नागौनिया को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के ब्लॉक खानपुर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

79. राजकीय महाविद्यालय, मावली में स्नातकोत्तर में कला वर्ग एवं स्नातक में वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग कक्षाओं की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान, कला व भूगोल के संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र मावली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चूण्डावत खेडी, कलबास, वाजमिया व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, वांगरोही (मावली) को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

82. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में राजकीय माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में भूमिविहीन विद्यालयों के लिए भूमि आबंटन कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति अन्य स्थानों पर करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के आलीसर, कालाडेरा, सामोद, धोबलाई आदि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोरागुढ़ा में कला संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

86. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान के निर्माण हेतु विभागीय पहल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में आवश्यकतानुसार कक्षा-कक्ष निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लेबोरेटरी (प्रयोगशाला) स्थापित किये जाने तथा कक्षा-कक्ष निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. जिला झुंझुनूं के बुहाना में बालिका महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

91. जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं के.एन. बालिका महाविद्यालय, जोधपुर में संगीत शिक्षण हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. राजकीय कन्या महाविद्यालय, सूरसागर एवं राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर में संगीत एवं ललित कला संकाय प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिवांची गेट, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अल्पभाषा राजमहल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बलदेव नगर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विद्याशाला में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोतवाली को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. प्रदेश के सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिये प्रयोगशालाओं का नियमित उपयोग अनिवार्य करने की कार्य योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

96. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के महाविद्यालय, भोपालगढ़ में शिक्षकों के पदों को भरने तथा महाविद्यालय, बावड़ी का भवन निर्माण कराने जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

97. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के प्रताप सिंह बारहठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा) में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय बालिका उच्च महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा) के जीर्ण-शीर्ण भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (भीलवाड़ा) के राजकीय माध्यमिक व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के राजकीय महाविद्यालय, बनेड़ा में नये

संकाय खोले जाने एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों पर पदस्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

102. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

104. छबड़ा-छीपा बड़ौद जिला बारां के राजकीय महाविद्यालय के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

105. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के लाखेरी उपखण्ड स्तर पर राजकीय महाविद्यालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के इन्दरगढ़ कस्बे में राजकीय महिला महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

107. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के गुरूशरण छाबड़ा महाविद्यालय की क्षतिग्रस्त चारदीवारी का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के गुरूशरण छाबड़ा महाविद्यालय में नये विषय एवं संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में स्थित राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में नये कक्षा-कक्ष निर्माण एवं क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह (मारवाड़ जंक्शन):

110. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन के देवली उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण पूर्व विधायक स्व. खंगार सिंह जी के नाम पर किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन के ग्राम चेलाबान, (ग्राम पंचायत गादाना) निचली निम्बड़ी ग्राम पंचायत बोरीमादा कारवाड़ा, ग्राम पंचायत चगोड़ा, राजोला खुर्द, ग्राम पंचायत बोदनड़ी माला जी गुड़ा, ग्राम पंचायत गजनीपुरा, डायलाना खुर्द एवं ग्राम पंचायत

डायलानाकलां में पेंवी कल्ला तथा ग्राम पंचायत पनोवना के उच्च माध्यमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की मरम्मत एवं चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

113. विधान सभा क्षेत्र आहोर के ग्राम बुडतरा, बोकड़ा, बिजली, पलसिया खुर्द, रसियाबाग खुर्द के विद्यालय को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

114. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब के लिए एमएलए लैड से बजट स्वीकृत होने के बाद भी आईसीटी लैब की स्थापना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना व अनूपगढ़ में कन्या महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं (शौचालय, चारदीवारी व खेल मैदान) नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के संबंध में।

117. अनूपगढ़ के सेठ बिहारी लाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

118. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, दलीर, अरनोड में विज्ञान, वाणिज्य, कृषि संकाय खोलना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कूणी में विज्ञान संकाय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाबड़ा में आर्ट (कला) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कूणी में विज्ञान एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निमड़ी में वाणिज्य संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

119. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़ में स्ववित्तपोषित संकाय को सरकार द्वारा वित्त पोषित करने व आवश्यक संकाय

खोलने एवं नये महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने तथा आमाड उपखण्ड, भचुण्डला में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

120. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के श्यामपुरा प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने तथा क्षेत्र जखराना, माजरी, मांढण, काठूवास पहाड़ी के माध्यमिक विद्यालयों में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खूंदरोट, मांढण, तलवाड़ में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

122. विधान सभा क्षेत्र डग के महाविद्यालय में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

123. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण के राजकीय महाविद्यालय के मूल भवन में कला संकाय का कॉलेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

124. प्रदेश के ग्राम पंचायत मुख्यालय के अलावा बड़े गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

125. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के करीब 30 राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 105 कक्षा-कक्ष, 10 विद्यालयों में चारदीवारी व शौचालय निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों भावरी, खैरवा, पावा, खिवान्दी, डेन्डा, खौड, लोवी, तख्तगढ, बसंत, साण्डेराव, किश्वा में विज्ञान विषय, चाणोद बालिका में गृह विज्ञान, चाणोद बालक में जीव विज्ञान, तखतगढ में जीवन विज्ञान, चाणौद बालक तथा तखतगढ़ में गणित व कृषि विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमित्रा देवी पन्नालाल जी चैरिटेबल ट्रस्ट राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुजाना को अंग्रेजी माध्यम घोषित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

128. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, इटावा में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

129. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, इटावा में विज्ञान एवं कृषि संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. कोटा जिले के महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं सुल्तानपुर व इटावा के माध्यमिक विद्यालय में भवन निर्माण हेतु राशि उपलब्ध करवाने में विभागीय विफलता के संबंध में चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ढीपरी एवं जाखजेंदा सहित विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

132. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं पुस्तकालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में महाविद्यालय, बस्सी को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने तथा विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

135. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में भवन विहीन राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

137. विधान सभा क्षेत्र सोजत के माध्यमिक विद्यालय में कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

138. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लारा तहसीलों में माध्यमिक विद्यालय व उच्च माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान का निर्माण करने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गिगला बालिका विद्यालय को उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराड़ा, सेमारी, झल्लारा माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

143. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में बजट घोषणा 2020-21 में विभिन्न स्कूलों में नवीन संकाय खोलने के उपरांत भी संबंधित विषयों के अध्यापकों का पदस्थापन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय महाविद्यालय, अराई में विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की नियुक्ति एवं राजकीय आर.के. पाटनी महाविद्यालय, किशनगढ़ में प्राचार्य एवं अन्य व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की गुजरवाड़ा (अराई) डांग, भामोलाव बालिका, भगवंतपुरा (अराई) वार्ड नं. 17 किशनगढ़ कुचील बालिका, फलौदा, (सिलौरा) नोहरिया (सिलोरा) राजकीय लूणकाण बाहेती किशनगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक, विद्यालय सिरोज में विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बोराड़ा में विज्ञान, सार्दुल स्कूल किशनगढ़ में चित्रकला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तिलोनिया में कला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरपा में जीव विज्ञान एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरमाड़ा में विज्ञान संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

148. ग्राम पंचायत स्तर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र डग के उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र डग के उमरिया, जेलाखेड़ी, सखर, पिपलीया कलां एवं सरकनीया के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

151. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के जर्जर माध्यमिक विद्यालय के भवनों का जीर्णोद्धार करने के संबंध में चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के माध्यमिक विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण व व्याख्याताओं के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

156. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की सभी ग्राम पंचायत स्तर पर राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के जावर में रिक्त राजकीय उच्च बालिका प्राथमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के बुधवाड़ा में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

160. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल स्थित बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में परिवर्तित करने पर तथा नवीन हिन्दी माध्यम सीनियर सैकण्डरी विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की सांभर एवं फुलेरा के राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में फर्नीचर, लैब एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न राजकीय सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में नवीन संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

165. विधान सभा क्षेत्र सोजत में माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र सोजत में खेल मैदान बनाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

167. शिक्षा विभाग के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में लम्बे समय से विभिन्न श्रेणी के पदों की भर्ती समय पर नहीं होने से शिक्षा के स्तर में हो रही गिरावट के संबंध में चर्चा के लिये।

168. मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के कुलपति के पद पर शैक्षणिक एवं अनुभव पूर्ण नहीं होने के पश्चात् भी नियुक्ति दिये जाने तथा कुलपति द्वारा वित्तीय अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

169. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने एवं नवीन माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

171. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के संकाय खोलने के उपरांत भी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करने एवं थानागाजी के गांवों में माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

172. विधान सभा क्षेत्र कपासन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

173. राजकीय महाविद्यालय, कपासन एवं मण्डफिया में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र कपासन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जर्जर कक्षा-कक्षों की मरम्मत हेतु बजट उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

175. विधान सभा क्षेत्र चूरू के माध्यमिक विद्यालयों की चारदीवारी व खेल मैदान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र चूरू में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास व साइंस लैब नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

177. चूरू के राजकीय महाविद्यालय में परेड ट्रैक बनवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र चूरू के राजकीय महाविद्यालय में शौचालयों की बदहाल स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

179. चूरू के राजकीय महाविद्यालयों में विषय विशेषज्ञों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

180. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के मांढण में कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में नये संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

183. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के बस्सी और भदेसर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

184. प्रदेश के विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव कराये जाने के संबध में विभागीय पहल कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की

जीर्ण-शीर्ण स्थिति व नये भवन व कक्ष निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित राजकीय कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों के स्थान पर अन्य राजनीतिक व्यक्तियों को बुलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर स्थित राजकीय विद्यालयों में शौचालयों की बदहाल स्थिति एवं पुरुष व महिला शौचालय अलग-अलग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में कॉलेज भवन निर्माण व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसींद):

189. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के हुरड़ा के आठवीं तक के विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबध में चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के हुरड़ा तहसील में आठवीं तक के विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

191. कोटा के वाणिज्य/कला/विज्ञान एवं अन्य राजकीय कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए कैंटीन/एटीएम/इंडोर गेम्स आदि सुविधाओं के विस्तार के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. कोटा के नान्ता महल स्थित भूमि विहीन राजकीय माध्यमिक विद्यालय को भूमि आवंटित एवं भवन निर्माण करवाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

193. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में ब्लॉक मूण्डवा में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जनाना में बोर्ड परीक्षा का केन्द्र स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में जर्जर माध्यमिक विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं नये भवनों हेतु बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ब्लॉक मूण्डवा में स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

197. नागौर जिले के खींवसर मुख्यालय पर स्थित राजकीय कॉलेज को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

198. विधान सभा क्षेत्र आहोर में भाद्राजून चादराई, हरगी में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र आहोर में बागरा, हरगी में स्थित बालिका विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

200. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में बालिका माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की 2 ग्राम पंचायत रास्तापाल व नागरिया पचैला में बालिका माध्यमिक विद्यालय व छात्रावास खोलने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

202. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के सभी माध्यमिक विद्यालयों में शौचालय का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत बारापाल में हिन्दी माध्यमिक विद्यालय खुलवाने की संबंध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में जिन माध्यमिक विद्यालय में चारदीवारी नहीं है, उनमें चारदीवारी बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर):

205. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन्दुन्दा (जहाजपुर) में

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र स्वीकृत करने संबंधी आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लुहारीकलां एवं सरसिना में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गडबोडिया एवं आगरिया कोटडी विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने संबंधी आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, धोड में नवीन बालिका महाविद्यालय खोलने तथा राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरसिया को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

209. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उपखण्ड पर राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पीपलखूंट क्षेत्र की धरतीपुरा में उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा-कक्ष निर्माण तथा पीपलखूंट महाविद्यालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

212. विधान सभा क्षेत्र नोहर में नवसृजित तहसील पल्लू में राजकीय महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र नोहर की वंचित ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. विधान सभा क्षेत्र नोहर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्ष निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र नोहर के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम राजकीय माध्यमिक विद्यालय के लिए रिक्त पड़ी भूमि को आबंटन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

217. राजकीय महाविद्यालय, फागी में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. प्रदेश के डी.डी.पी. ब्लॉकों में महिला महाविद्यालय खोलने तथा राजकीय महाविद्यालय, दूदू को क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. प्रदेश में विगत वर्षों में बन्द किये गये माध्यमिक विद्यालयों को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

220. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर तथा हिन्दुमल कोर्ट में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान देने तथा राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

222. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सालोतरा, दत्ताणी, सिरोडी, निमतलाई, पीथापुरा एम, माटासन, बांट, कोटडा, जैतावाडा, हाथल-सेलवाडा, अनापुर-हरणी, अमरापुरा, वडवज रायपुर, राजगढ-लूणोल, गोरेली-मरावल, वासडा तथा जैतावाडा को माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

223. सिरोही जिले की राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

224. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के माध्यमिक विद्यालयों में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

226. विधान सभा क्षेत्र नगर के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

227. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के नौगावां उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के वडोदा मेव में कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. कला कॉलेज, अलवर में उर्दू विषय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. अलवर जिले में मेवात आवासीय बालिका विद्यालयों को दसवीं तक क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. रामगढ़ (अलवर) महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा):

232. विधान सभा क्षेत्र सहाडा के कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय, गंगापुर का भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार):

234. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के समसा योजनान्तर्गत माध्यमिक विद्यालय भवनों के निर्माण में अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं भवनों के निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

236. प्रदेश के निजी माध्यमिक विद्यालयों की मनमानी फीस वसूली आदि रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

237. प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये जाने हेतु नियामक आयोग गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. प्रदेश में अनेक राजकीय महाविद्यालयों के भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

240. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में अध्यापकों के अधिकांश पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

241. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, शिवपुरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

242. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अखैपुरा (पीसांगन) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, समरथपुरा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के उपखण्ड मुख्यालय पीसांगन पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

245. बाड़मेर जिले के सीमावर्ती माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

246. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा को भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटन किये जाने की आवश्यक्ता पर चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों

को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा में आचार्य/सह-आचार्य एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के कक्षा-कक्षों की कमी वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के उपखण्ड मुख्यालय जसवंतपुरा में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

251. अलवर जिले के कठूमर में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेड़ा कल्याणपुर व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जखाड़ा में विज्ञान संकाय है, अत: इनमें से एक में विज्ञान वर्ग हटाकर कला संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र कठूमर के माध्यमिक विद्यालयों में नवीन भवन एवं कमरे बनाने हेतु ज्यादा से ज्यादा बजट स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कुटटीन सावदास, इन्द्र कॉलोनी, मंगोलाकी, रामपुरा पाटन, नागल रूपा आदि नई ग्राम पंचायतों में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में स्थित राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, इमलाडी, इरनिया, खेरली सूनिया, डयोपना को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

255. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जावली में विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर):

256. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के ग्राम बादड़िया के उच्च माध्यमिक विद्यालय में समस्त रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में आर.टी.ई. के तहत माध्यमिक विद्यालय नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

259. विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में समसा के अंतर्गत 10वीं और 12वीं के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

260. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नयाखेड़ा (केवलपुरा) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, नालवा (नकोर) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, निकुम्भ में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चिकारड़ा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मंगलवाड़ को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह (मारवाड़ जंक्शन):

265. प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में भारत एकीकरण, भारत निर्माण में योगदान करने वाले महापुरुषों के जीवनवृत्त को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

266. अजमेर की एमडीएस विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

267. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर सहित प्रदेश के सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. अजमेर जिले सहित सम्पूर्ण प्रदेश में जर्जर माध्यमिक विद्यालय भवनों के स्थान पर पुन: नए भवनों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

269. माध्यमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति के प्रावधान को प्रदेश में सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

270. विधान सभा क्षेत्र बारां में स्वीकृत नवीन कन्या महाविद्यालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

271. विधान सभा क्षेत्र बारां के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बमूलिया, तहसील बारां को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

272. विधान सभा क्षेत्र बारां के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, खेड़ली बारूला, तहसील अटरू को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

273. विधान सभा क्षेत्र बारां के राजकीय महाविद्यालय में नवीन संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

274. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में श्रीबिजयनगर उपखण्ड पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की श्रीबिजयनगर तहसील के गांव डाबला में माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम प्रारंभ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में शहीद भगत सिंह कॉलेज के सरकारीकरण की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी करायी जाकर प्रारंभ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के गांव 14 बीजीडी तथा गांव 17

एपीडी के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

278. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में उच्च प्राथमिक विद्यालय, खखेड़ा ग्राम पंचायत बिलोदा, पंचायत समिति अरथुना को माध्यमिक में, माध्यमिक विद्यालय, चिकनपाडा, ग्राम पंचायत मण्डेला पाडा, पंचायत समिति अरथुना, पंचायत हैडक्वार्टर को माध्यमिक विद्यालय, बाका, ग्राम पंचायत अरनीया, पंचायत समिति तलवाड़ा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालय, माजीया, ग्राम पंचायत नाहली, पंचायत समिति अरथुना को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

279. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

280. विधान सभा क्षेत्र सोजत में कक्षा-कक्ष व पेयजल की सुविधा से वंचित माध्यमिक विद्यालयों में उक्त सुविधाएं सुनिश्चित किये जाने पर चर्चा के लिये।

281. विधान सभा क्षेत्र सोजत में कॉलेज की चारदीवारी के निर्माण तथा पुस्तकालय की सुविधा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

282. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर):

283. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में कॉलेज खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

284. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ओडा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

285. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के ग्राम जोगीवाड़ा में राजकीय माध्यमिक

विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाडा-आबू):

286. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के ग्राम पंचायत अथारी में काटल के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

287. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में बालिका विद्यालय, झाडोली नादिया अजारी को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू की नवगठित ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

289. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा-कक्ष, चारदीवारी व शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

290. विधान सभा क्षेत्र शिव के गडरा रोड व शिव के कॉलेज के भवनों के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

291. बाड़मेर जिले की पंचायत समिति गडरा रोड में माध्यमिक विद्यालय, देतानी, खानीथानी, राटांसर-शहदाद, कामार व पंचायत समिति रामसर में राजनकापर बीन्देकापार अयेकावार में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

292. जिला बाड़मेर की पंचायत समिति गडरा रोड, रामसर व चौहटन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

293. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुंदरपुरा, बंधमुजफर, नीलका व फतेहसिंहवाला को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

294. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

भामरू, बड़नगर, बागावास अहीरान, गोविन्दपुरा धाभाई व बाड़ीजोड़ी में विज्ञान संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. राजकीय महाविद्यालय, विराटनगर को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने के लिए एवं विज्ञान व वाणिज्य विषय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

296. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्राम पंचायत मुख्यालय पादरू (सिवाना) में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

297. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन संकाय प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

298. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजकीय महाविद्यालय को स्नातकोत्तर (पी.जी.) में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

299. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजकीय महाविद्यालय, सिवाना, समदड़ी एवं सिणधरी में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

300. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिवाना, पादरू, सिकरे व चाडों की ढाणी में विज्ञान संकाय, इन्द्राणा में कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

301. जय नारायण मोहन लाल पुरोहित राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फलौदी में विभिन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में चर्चा के लिये।

302. पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय, बाप के भवन निर्माण के लिये बजट राशि जारी किये जाने के पश्चात् भी भवन निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

303. पूर्ववर्ती सरकार द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शुरू किये गये स्टाफिंग पैटर्न (छात्र संख्या अनुसार पदों की संख्या) को पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

304. विधान सभा क्षेत्र डेगाना के माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों के निर्माण तथा राजकीय महाविद्यालय, डेगाना में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़):

305. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के माध्यमिक विद्यालयों में खेल मैदानों को अतिक्रमण मुक्त करवाकर उनका विकास करवाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

306. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की पूर्ति करने एवं जर्जर विद्यालयों की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

307. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

308. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के चारदीवारी विहीन माध्यमिक विद्यालयों की चारदीवारी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

309. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, झोथरी का नामकरण स्वतंत्रता सैनानी शिवराम रोत व राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भीलवा पचैला का नामकरण स्वतंत्रता सैनानी सैगा भाई रोत के नाम से करने के संबंध में चर्चा के लिये।

310. राजकीय भोगीलाल पण्ड्या महाविद्यालय, डूंगरपुर में विज्ञान संकाय के रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

311. गोविन्द गुरू विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा में कम्प्यूटर शिक्षा के लिये एमसीए संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

312. माध्यमिक विद्यालय के दुराचरण वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

313. बच्चों में अनुशासन की भावना पैदा करने हेतु एनसीसी का माध्यमिक

विद्यालय में विस्तार करने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

314. शिक्षा के साथ विद्यालयों में खेल पर ध्यान देने की आवश्यकता हेतु सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के स्वीकृत पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

315. माध्यमिक शिक्षा की मोनिटरिंग करने हेतु उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी को जिम्मेदारी देकर प्रति माह नियमित जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

316. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

317. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाबा की बार में कृषि संकाय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

318. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा के गलियाकोट ब्लॉक में कन्या महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

319. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सैपऊ में महिला महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

320. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बंद किये गये माध्यमिक विद्यालयों को पुन: संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

321. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में नवीन पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

322. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा में उर्दू विषय संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

323. माध्यमिक शिक्षा में प्रतिनियुक्तियों पर रोक लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

324. महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

325. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल व शौचालय की स्थायी व्यवस्था करने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

326. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के राजकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

327. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में एकीकरण से बन्द माध्यमिक विद्यालयों को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

328. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

329. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

330. विधान सभा क्षेत्र जालौर में संचालित समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की सुविधा हेतु उचित स्थान पर सेनेटरी पैड वितरण एवं निष्पादन मशीनें लगाये जाने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

331. विधान सभा क्षेत्र जालौर में संचालित समस्त राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

332. जालौर जिले में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

333. जालौर जिले के उपखण्ड मुख्यालय सायला में नवीन राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

334. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नापासर कस्बे में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

335. राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर की चारदीवारी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

336. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राणीसर (ग्राम पंचायत शेरेरा) के नव स्वीकृत माध्यमिक विद्यालय के लिये आवंटित भूमि पर कक्षा-कक्षों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

337. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के मौलानिया, कतरियासर, जामसर, जलालसर, रावासर, नकीदेसर, आडसर, राजासर उर्फ करणीसर, साबनीया, शेरपुरा, भीखनेरा, खींसेरा में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

338. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राणीसर (ग्राम पंचायत रामबाग) गैरसर, जगदेवाला उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

339. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में संचालित राजकीय जालान महाविद्यालय, रतनगढ़ में स्नातक में एसएफएस में चल रहे भूगोल को राजकीय विषय घोषित करना एवं स्नातकोत्तर में अंग्रेजी, हिन्दी एवं संस्कृत विषय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

340. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में संचालित राजकीय कन्या महाविद्यालय, रतनगढ़ में रिक्त पदों को भरने, स्नातक में इतिहास व भूगोल एवं स्नातकोत्तर में संस्कृत विषय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

341. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पड़िहारा में विज्ञान संकाय व रतनगढ़, राजलदेसर, छापर एवं पड़िहारा में नवीन राजकीय माध्यमिक विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

342. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में संचालित जेगनियां बीकान, भोजलाई, जोरावरपुरा, कुहाडिया, छाबडी मीठी, छाबडी खारी, बालिका विद्यालय,

चाडवास व ढढेरू एवं भामूवान के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

343. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के सभी राजकीय महाविद्यालयों तथा राजकीय उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों के सभी श्रेणी के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

344. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के मालपुरा शहर में नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

345. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण व जर्जर भवनों की मरम्मत करवाने तथा फर्नीचर उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

346. राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा के जर्जर व क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत, चारदीवारी निर्माण करवाने तथा महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।